

ज्ञानशौर्यम्



ISSN : 2582-0095

**Peer Reviewed and Refereed International
Scientific Research Journal**

Website : <http://gisrrj.com>



GYANSHAURYAM

INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED

RESEARCH JOURNAL

Volume 4, Issue 3, May-June-2021

Email : editor@gisrrj.com Website : <http://gisrrj.com>



ज्ञानशौर्यम्

**Gyanshauryam
International Scientific Refereed Research Journal**

Volume 4, Issue 2, March-April-2021

[Frequency: Bimonthly]

ISSN : 2582-0095

**Peer Reviewed and Refereed International Journal
Bimonthly Publication**

**Published By
Technoscience Academy**



Editorial Board

Advisory Board

- **Prof. Radhavallabh Tripathi**
Ex-Vice Chancellor, Central Sanskrit University, New Delhi, India
- **Prof. B. K. Dalai**
Director and Head. (Ex) Centre of Advanced Study in Sanskrit. S P Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Divakar Mohanty**
Professor in Sanskrit, Centre of Advanced Study in Sanskrit (C. A. S. S.), Savitribai Phule Pune University, Ganeshkhind, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Ramakant Pandey**
Director, Central Sanskrit University, Bhopal Campus. Madhya Pradesh, India
- **Prof. Kaushalendra Pandey**
Head of Department, Department of Sahitya, Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Dinesh P Rasal**
Professor, Department of Sanskrit and Prakrit, Savitribai Phule Pune University, Pune, Maharashtra, India
- **Prof. Parag B Joshi**
Professor & OsD to VC, Department of Sanskrit Language & Literature, HoD, Modern Language Department, Coordinator, IQAC, Director, School of Shastric Learning, Coordinator, research Course, KKSU, Ramtek, Nagpur, India
- **Prof. Sukanta Kumar Senapati**
Director, C.S.U., Eklavya Campus, Agartala, Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi, India
- **Prof. Sadashiv Kumar Dwivedi**
Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Coordinator, Bharat adhyayan kendra, Banaras Hindu University, Varanasi Uttar Pradesh, India
- **Prof. Manoj Mishra**
Professor, Head of the Department, Department of Vedas, Central Sanskrit University, Ganganath Jha Campus, Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
- **Prof. Ramnarayan Dwivedi**
Head, Department of Vyakarana Faculty of Sanskrit Vidya Dharma Vigyan, BHU, Varanasi, Uttar Pradesh, India

- **Prof. Ram Kishore Tripathi**

Head, Department of Vedanta, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Editor-In-Chief

- **Dr. Raj Kumar**

SST, Palamu, Jharkhand, India

Senior Editor

- **Dr. Pankaj Kumar Vyas**

Associate Professor, Department- Vyakarana, National Sanskrit University (A central University), Tirupati, India

Associate Editor

- **Prof. Dr. H. M. Srivastava**

Department of Mathematics and Statistics, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada

- **Prof. Daya Shankar Tiwary**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Prof. Satyapal Singh**

Department of Sanskrit, Delhi University, Delhi, India

- **Dr. Ashok Kumar Mishra**

Assistant Professor (Vyakaran), S. D. Aadarsh Sanskrit College Ambala Cantt Haryana, India

- **Dr. Raj Kumar Mishra**

Assistant Professor, Department of Sahitya, Central Sanskrit University Vedavyas Campus Balahar Kangara Himachal Pradesh, India

- **Dr. Somanath Dash**

Assistant Professor, Department of Research and Publications, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India

Editors

- **Dr. Suneel Kumar Sharma**
Assistant Professor Department of Education, Shri Lalbahadur Shastri National Sanskrit University (Central University) New Delhi, India
- **Dr. Rajesh Sarkar**
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Faculty of Arts, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India
- **Rajesh Mondal**
Research Scholar Department of Vyakarana, National Sanskrit University, Tirupati, Andhra Pradesh, India
- **Dr. Sheshang D. Degadwala**
Associate Professor & Head of Department, Department of Computer Engineering, Sigma University, Vadodara, Gujarat

Assistant Editors

- **Dr. Shivanand Shukla**
Assistant Professor in Sahitya, Government Sanskrit College, Patna, Bihar, India | Constituent Unit : Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University, Bihar, India
- **Dr. Shalendra Kumar Sahu**
Assistant Professor, Department of Sahitya Faculty of S.V.D.V, Banaras Hindu University (BHU) Varansi, Uttar Pradesh, India

International Editorial Board

- **Vincent Odongo Madadi**
Department of Chemistry, College of Biological and Physical Sciences, University of Nairobi, P. O. Box, 30197-00100, Nairobi, Kenya
- **Dr. Agus Purwanto, ST, MT**
Assistant Professor, Pelita Harapan University Indonesia, Pelita Harapan University, Indonesia

- **Dr. Morve Roshan K**
Lecturer, Teacher, Tutor, Volunteer, Haiku Poetess, Editor, Writer, and Translator
Honorary Research Associate, Bangor University, United Kingdom
 - **Dr. Raja Mohammad Latif**
Assistant Professor, Department of Mathematics & Natural Sciences, Prince Mohammad Bin
Fahd University, P.O. Box 1664 Al Jhobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
 - **Dr. Abul Salam**
UAE University, Department of Geography and Urban Planning, UAE
-

Editorial Board

- **Dr. Kanchan Tiwari**
Assistant Professor, Department of Sahitya, Uttarakhand Sanskrit University Haridwar,
Uttarakhand, India
- **Dr. Jitendra Tiwari**
Assistant Professor, Sahitya, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Eklavya Campus, Radhanagar,
Agartala, Tripura, India
- **Dr. Shilpa Shailesh Gite**
Assistant Professor, Symbiosis Institute of Technology, Pune, Maharashtra, India
- **Dr. Ranjana Rajnish**
Assistant Professor, Amity Institute of Information Technology(AIIT), Amity University,
Lucknow, Uttar Pradesh, India
- **Dr. Vimalendu Kumar Tripathi**
Lecturer +2 High School, Bengabad, Giridih, Jharkhand, India

CONTENT

SR. NO	ARTICLE/PAPER	PAGE NO
1	आज़ादी के बाद की राजनीति और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य डॉ. कविता राजन	04-09
2	भाषाविज्ञानदृष्ट्या उत्कल-संस्कृत-मैथिलीभाषाणां द्वितीयाविभक्तिविमर्शः गौतमकुमारराजहंसः	10-18
3	रोजगार परख शिक्षा में गृहविज्ञान की छात्राओं की भूमिका डॉ. प्रीतम कुमारी, डॉ. सीमा कुमारी सहायक	19-23
4	सतीविजय गद्यकाव्य में अलंकार योजना डॉ. अरुणा शर्मा, सुमन	24-34
5	समकालीन परिस्थितियों में शांति शिक्षा में उपकरण के रूप में योग डॉ. भारती कौशल	35-40
6	राष्ट्रीय मूल्यों में अध्यापक की भूमिका दीपक कुमार पाठक	41-44
7	साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में ज्ञानरंजन के कथाकार-व्यक्तित्व की निर्मिति डॉ. विशाल श्रीवास्तव	45-51
8	21वीं सदी में महिला मानवाधिकारों का हनन करती कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास जितेन्द्र कुमार सरोज	52-58
9	Post Nehrunivan Legacy and Its Impact on Globalization Dr. Shazia Akhtar	59-61
10	कोरोना संकट और हमारा दायित्व रेशमा त्रिपाठी	62-68
11	Cultural Contribution of Nur Jahan Subia Hashmat	69-72
12	दृग्गणितस्य आगम-प्रामाण्यविमर्शः डॉ. रामदासशर्मा	73-76
13	पण्डितताराचरणभट्टाचार्यविरचितस्य भारतवसुन्धरासान्त्वनगीतिकाव्यस्य सामाजिकं समीक्षणम् राहुलमण्डलः	77-80

14	बाजार की प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा: एक अध्ययन डा॰ कमल सिंह	81-87
14	ग्रामीण समाज के पुरुषों और महिलाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव कविता कनौजिया	88-93
15	हर्षचरितम् में धर्मशास्त्रीय अंश रेखा जैसवार	94-97
16	महिला उद्यमिता विकास में बैंकों की भूमिका : एक अध्ययन दीपक कुमार राणा	98-105
17	कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन प्रो० रीता सिंह, राजकुमार सिंह	106-113

आज़ादी के बाद की राजनीति और हरिशंकर परसाई के व्यंग्य

डॉ. कविता राजन

एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवती महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number: 04-09

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 02 May 2021

Published :15 May 2021

सारांश - हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लोगों की राजनीतिक चेतना का विकास करता है। लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाता है। वे राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध थे। इसी प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने घटनाओं का मूल्यांकन किया है। इस क्रम में राजनीतिक अवसरवाद, भ्रष्टाचार, दलबदल, राजनीति की सिद्धांतहीनता तथा सांप्रदायिकता पर उनके व्यंग्य अत्यन्त सशक्त बन पड़े हैं। यह सब होते हुए भी परसाई जी के राजनीतिक व्यंग्यों का अपना महत्व है।

मुख्य शब्द - हरिशंकर परसाई, राजनीतिक, साहित्य, आज़ादी, व्यंग्य, सांप्रदायिकता, अवसरवाद, भ्रष्टाचार, दलबदल, सिद्धान्तहीनता।

हरिशंकर परसाई एक ऐसे प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। दृष्टि आज़ादी के बाद राजनीति के बदलते चरित्र पर लगातार जिनकी केन्द्रित थी। आज़ादी के बाद की हर राजनीतिक घटना पर उनकी नजर थी। अतः आज़ादी के बाद का विस्तृत राजनीतिक घटनाक्रम उनके साहित्य में समाविष्ट है। स्वातंत्र्योत्तर राजनीति को जानने और समझने के लिए परसाई का साहित्य इस प्रकार एक उपलब्धि है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

आज़ादी के बाद राजनीति में तेजी से बदलाव आया। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान उसकी जो मूल्य और मान्यताएं थीं, स्वतंत्रता के उपरान्त व तेजी से गायब होने लगीं। त्याग और सेवा के स्थान पर राजनीति अब सत्ता प्राप्ति का साधन बन गई। उसमें भाई-भतीजावाद, अवसरवाद और

भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। अब तक जो नेता लोगों के आदर्श और त्याग की प्रतिमूर्ति थे, सत्ता की अंधी दौड़ में उनका चारित्रिक पतन होने लगा और जनता की नजरों में उनका महत्व घटने लगा। राजनीति अपने सिद्धान्तों और विचारों से हट गई। आज़ादी के बाद राजनीति के इस चारित्रिक पतन को लक्षित करते हुए हरिशंकर परसाई ने लिखा है, "सिद्धान्त, नैतिकता, मूल्य, ईमान सब इस राजनीति से गायब हो चुके। राजनैतिक संस्कृति सड़ चुकी। किसी छोटे से बड़े नेता तक को आज ईमानदार और सिद्धान्तवादी कहने में खतरा है। सुननेवाला गुस्से से चाँटा मार देगा। किसी को विश्वास नहीं है।"^p स्वतंत्रता के बाद जिस तरह राजनीति से सिद्धान्त और मूल्य गायब होने लगे उससे लोगों का नेताओं पर से विश्वास उठने लगा और राजनीति विकलांग हो गई। चुनाव नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित न होकर छल-कपट और जोड़-तोड़ से जीते जाने लगे। 'विकलांग राजनीति' और 'भेड़ें और भेड़िये' में परसाई जी ने इस पर व्यंग्य किया है। 'विकलांग राजनीति' में उन्होंने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए वास्तविक मुद्दे नहीं होते हैं और वे जनता को झूठी बातों द्वारा गुमराह करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अपनी टूटी टाँग के रूपक के माध्यम से उन्होंने लिखा है, "नहीं, टाँग टूटने से उसका अलग व्यक्तित्व हो गया है। बल्कि टूटी टाँग ने राष्ट्रीय जीवन में आपको महत्वपूर्ण बना दिया है। हमें अनुमति दीजिए कि हम प्रचार कर दें कि कांग्रेसियों ने आपकी टाँग तोड़ दी।"ⁱⁱ

'कबिरा खड़ा बाजार में', 'यह माजरा क्या है?', 'सुनो भाई साधो' और 'अरस्तू की चिट्ठी' जैसे कालमों में हरिशंकर परसाई ने राजनीतिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य लिखा है। स्वतंत्रता के बाद की राजनीति का स्वरूप, संसद और सरकार की कार्यप्रणाली, सत्तापक्ष और विपक्ष की भूमिका, जय प्रकाश नारायण की क्रान्ति और इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल का लगाया जाना आदि सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की आलोचना का दायरा इनकी रचनाओं में है। राजनेताओं के सत्तालोलुप चरित्र, अवसरवादिता और राजनीतिक मूल्यहीनता की आलोचना करके परसाई जी ने जनता को जागरूक बनाने का कार्य किया है। आज़ादी के बाद पार्टियों के सिद्धान्तों और व्यवहारों में तथा नेताओं के कथनी और करनी में बढ़ते भेद पर व्यंग्य करके उन्होंने राजनीतिक विसंगतियों को उद्घाटित किया है। नेहरू के बाद देश में आये राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप सत्ता के लिए जोड़-तोड़ की राजनीति का तेजी से विकास हुआ। दलबदल और विधयकों तथा सांसदों की खरीद-फरोख्त ने राजनीति को एक व्यावसायिक मंडी बना दिया। हरिशंकर परसाई ने इस प्रवृत्ति पर जमकर प्रहार किया है।

आजादी के बाद देश में जनतंत्र की स्थापना हुई जिसमें संसद का महत्त्व है। संसद देश के लिए कानून का निर्माण करती है तथा वह देश की सबसे बड़ी पंचायत है। परन्तु संसद और सांसदों का रवैया जनता के प्रति कई दृष्टि गैर-जिम्मेदाराना है। हरिशंकर परसाई ने संसद के इस रवैये पर व्यंग्य किया है। जब देश की जनता अकाल से पीड़ित है तब संसद का समय बेकार की बहसों में चला जाता है। जनता की वास्तविक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। 'संसद में 'मुंडन', 'संसद और मंत्री की मूँछ' आदि व्यंग्य-निबंधों में इसे देखा जा सकता है। संसद का बहुमूल्य समय केवल इस बात पर बहस में चला जाता है कि अमुक सदस्य ने मुंडन कराया है या नहीं, मंत्री ने मूँछ क्यों मुड़ाई है। हरिशंकर परसाई ने सरकार की कार्यप्रणाली की विसंगतियों को भी उद्घाटित किया है। सरकार समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं करती है बल्कि उस पर जाँच कमीशन या कमेटी बैठा कर उसे टाल देती है। यह सरकार की अकर्मण्यता को दर्शाता है। सरकार अपनी अकर्मण्यता और विफलता को छिपाने के लिए कमेटियों और जाँच कमीशनों का सहारा लेती है। छोटी-से-छोटी बात पर एक कमेटी बैठा दी जाती है। जो सालों तक जाँच करती है और नतीजा सिफर होता है।

रोजाना इतने आयोगों और कमेटियों का गठन होता है कि उनकी वास्तविक संख्या जानने के अलग से उन पर आयोग के गठन की आवश्यकता होती है। 'जाँच कमीशन : सरकार का कुल्ला' और 'कमेटियों पर कयामत' में परसाई जी ने कमेटियों और कमीशनों की वास्तविकता को उद्घाटित किया है। "इस रफ्तार से कमीशन बैठ रहे हैं कि अब मुझे डर लगने लगा है। किसी दिन यह दुर्घटना घट सकती है कि मेरे बारे में कोई जाँच कमीशन बैठ जाये, या मैं ही किसी कमीशन का सदस्य नामजद कर दिया जाऊँ।"^{पप्प} हरिशंकर परसाई ने जाँच कमीशनों को सरकार का कुल्ला कहा है, "सरकार इस तरह कमीशन बिठाती है, जैसे हम कुल्ला करते हैं। जाँच कमीशन सरकार का कुल्ला ही है। मुँह साफ करने के लिए कुल्ला कर लिया, और नकली दाँतों का सेट लगा लिया।"^{पअ} वास्तव में सरकार के लिए कमेटी और जाँच कमीशन एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। "कमेटी वह दीवार है, जिसके पीछे सरकार छिप जाती है। इधर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, मगर कमेटी की दीवार से टकराकर वे गिर रहे हैं।"^व सरकार जनता की आवाज को चुप कराने के लिए जाँच कमीशनों का गठन कर देती है। "सरकार को कोई समस्या हल करनी नहीं है। उसके वश की बात नहीं है। जब समस्या हल न करनी हो, या वह हल न होती हो, तो कमीशन बिठा दो। भूखा रोटी माँगता हो तो उससे कहो-मुँह खोल। वह मुँह खोले तो उसमें कमीशन डाल दो-ले,

जिन्दगी—भर जुगाली करता रह।^{अप} मंत्री के मुण्डन जैसे निरर्थक विषय पर संसद सदस्य अनावश्यक बहस करते हैं और सरकार उस पर जाँच कराने का आदेश देती है। मुंडन विवाद पर मंत्री सदन में वक्तव्य देते हैं, “अध्यक्ष महोदय! सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है, तो वह किसने किया है। ये प्रश्न बहुत जटिल हैं। और इस पर सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं दे सकती। मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुण्डन हुआ है या नहीं। जब तक पूरी जाँच न हो जाये, सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती। हमारी सरकार तीन व्यक्तियों की एक जाँच समिति नियुक्त करती है, जो इस बात की जाँच करेगी। जाँच समिति की रिपोर्ट मैं सदन में पेश करूँगा।”^{अप} वास्तव में यह संवैधानिक संस्थाओं और जनता की आस्था के साथ खतरनाक मजाक है जिस पर परसाई जी ने प्रहार किया है।

रामनिहाल गुंजन ने हरिशंकर परसाई के राजनीतिक व्यंग्यों को तीन भागों में विभाजित किया है— “हरिशंकर परसाई के राजनीतिक व्यंग्य तीन प्रकार के हैं। एक प्रकार का राजनीतिक व्यंग्य यह है, जो राजनीतिक विषयों पर लिखने के क्रम में सामने आता है। दूसरी तरह के व्यंग्य का सरोकार राजनीतिक व्यक्तियों के प्रसंग में व्यक्त विचारों से है। दोनों प्रकार व्यंग्यों की प्रस्तुति कभी—कभी तो एक ही लेख में दिखाई पड़ जाती है, किन्तु तीसरे प्रकार के व्यंग्य के जरिये परसाई ज्यादातर और अमूमन उन स्थितियों पर व्यंग्य करते देखे जाते हैं, जो भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों से जुड़ी हैं।इस दृष्टि से लिखे उनके राजनीतिक व्यंग्य लेखों में ‘गुड़ की चाय’, ‘अन्न की मौत’, ‘पहला सफेद बाल’, ‘दो नाक वाले लोग’, ‘गेहूँ का सुख’, ‘हरिजनों को पीटने का यज्ञ’, ‘अकाल—उत्सव’, ‘संसद और मंत्री की मूँछ’, ‘ठिठुरता हुआ गणतंत्र’, ‘महात्मा गाँधी को चिट्ठी पढ़ें’, ‘विकलांग श्रद्धा का दौर’, ‘अति क्रांतिकारी’, ‘लिटरेचर ने मारा मुझे’ आदि विशेषतः उल्लेख्य हैं।^{viii} हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग्यों में जनतंत्र की खामियों और उसकी विसंगतियों को उद्घाटित किया है। ‘ठिठुरता हुआ गणतंत्र’, ‘गणतंत्र का तोहफा’, ‘लोकतंत्र की नौटंकी’ में आम जनता की वास्तविक स्थिति का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने ‘ठिठुरता हुआ गणतंत्र’ नामक रचना में वर्तमान परिस्थिति, नेताओं में व्याप्त स्वार्थ एवं सड़ांध, नेताओं के झूठे वादों और घोषणाओं और समाजवाद की दुहाई देने वाले दलों और नेताओं की सच्चाई को उजागर किया है। भारत की अर्थनीति पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने लिखा है— “छब्बीस जनवरी के पहले ऊपर बर्फ पड़ जाती है। शीत—लहर आती है, बादल छा जाते हैं, बूँदाबाँदी होती है और सूर्य छिप जाता है। जैसे दिल्ली की

अपनी अर्थनीति नहीं है, वैसे ही अपना मौसम भी नहीं है। अर्थनीति जैसे डालर, पौण्ड, रुपया, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष या भारत सहायता क्लब से तय होती है, वैसे ही दिल्ली का मौसम कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान आदि तय करते हैं।^{ix}

हरिशंकर परसाई ने लिखा है, “स्वतंत्रता—दिवस भीगता है और गणतंत्र—दिवस ठिठुरता है।... हम नहीं बजा रहे हैं, फिर भी तालियाँ बज रही हैं। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं, जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है, गणतन्त्र ठिठुरते हुए हाथों की तालियों पर टिका है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है, जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए गर्म कपड़ा नहीं है।”^x वास्तविकता यह है कि आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। न लोगों को खाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न है और न पहनने के लिए कपड़े। ये वही लोग हैं जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ताली बजाते हैं क्योंकि इनके पास हाथ गर्म करने वाले कोट नहीं हैं। वस्तुतः वे ताली नहीं बजाते हैं बल्कि ठण्डक से बचने के लिए अपने हाथ को गर्म रखने का प्रयास करते हैं।

हरिशंकर परसाई प्रतिबद्ध रचनाकार हैं। उनकी प्रतिबद्धता वंचित, शोषित, पीड़ित निम्न और निम्न मध्यवर्गीय जनता के प्रति है। उनकी विचारधारा मार्क्सवादी है और वे कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध थे। इसलिए उन्होंने अपने साहित्य में समाजवादी मूल्यों की स्थापना के लिए निरन्तर प्रयास किया है। उन्होंने वंचितों और शोषितों की समस्याओं— गरीबी, अकाल, भुखमरी के लिए उत्तरदायी पक्षों पर प्रहार किया है। हरिशंकर परसाई क्रान्ति के लिए व्यवस्था में बदलाव के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। उनकी रचनाओं — ‘चूहा और मैं’, ‘अकाल—उत्सव’, ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’, ‘घायल वसंत’, ‘नाग यज्ञ’, ‘न्याय का दरवाजा’ आदि में व्यवस्था में परिवर्तन के लिए संघर्ष का आह्वान और हिंसा का संकेत है। इस पर उनका विचार है कि जब शोषित लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगते हैं तो उनके संघर्ष को हिंसा के नाम पर दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं के शब्दों में, “‘अकाल—उत्सव’ जैसी और भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं। एक कहानी ‘चूहा और मैं’ है। इसमें हिंसा का संकेत है। यह अजब बात है बल्कि षड्यंत्र है कि जब शोषित लोग लड़ने लगते हैं तब ही यह शोर हो जाता है कि हिंसा हो रही है। शोषक वर्ग की हिंसा सिर्फ ‘लॉ एण्ड आर्डर प्राबलम्’ कहलाती है। शासन की हिंसा संवैधानिक बन जाती है।”^{xi}

‘अकाल—उत्सव’ नामक फैंटेसी में हरिशंकर परसाई ने बार—बार पड़ने वाले अकाल और उसके परिणामस्वरूप भूख के संत्रास को व्यंजित किया है। अकाल पड़ना इतनी आम बात हो गई है कि लोग उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें परसाई जी ने नेताओं और जमाखोरों दोनों की मानसिकता को भी उद्घाटित किया है। नेता और जमाखोर तथा मुनाफाखोर सभी चाहते हैं कि अकाल पड़े जिससे वे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सकें। अकाल को मुद्दा बनाकर नेता चुनाव जीतना चाहते हैं तो जमाखोरी और कालाबाजारी के द्वारा व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। अकाल को उत्सव के रूप में मनाये जाने पर हरिशंकर परसाई लिखते हैं, “मैं देखता हूँ— भूखे बिलबिला रहे हैं। मजदूरी नहीं मिलती। मिलती है तो दाना नहीं मिलता। मिलता है तो महँगा मिलता है। महँगा मिलता है, तो उसमें न जाने क्या—क्या कचरा मिला रहता है। भूखे और अधमरे चिल्लाते हैं— रोटी नहीं तो उत्सव काहे का! उत्सव फेल हो गया है।”^{गपप} भूखे लोगों को अधिक देर तक बरगलाकर नहीं रखा जा सकता है। अकाल उत्सव अधिक दिन तक नहीं चल सकता है क्योंकि भूख आदमी की बुनियादी आवश्यकता है। और भूखा व्यक्ति अधिक दिन तक चुप नहीं रह सकता है। धूमिल के शब्दों में, ‘भूख से भागा हुआ आदमी, भाषा की ओर जायेगा/ एक भुककड़ जब गुस्सा करेगा, अपनी ही उंगलियां चबाएगा।’ परन्तु हरिशंकर परसाई यहीं नहीं रूकते हैं। उनके अनुसार भूखा व्यक्ति सत्ता—प्रतिष्ठानों और व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। वह अपनी ही उंगलियां नहीं चबाएगा बल्कि शोषकों का संहार भी करेगा। फअब ये भूखे क्या खायें? भाग्य—विधाताओं और जीवन के थोक ठेकेदारों की नाक खा गये, कान खा गये, हाथ खा गये, टाँग खा गये। अब क्या खायें? अब क्या खायें? आखिर वे विधन—सभा और संसद की इमारतों के पत्थर और ईंटे काट—काटकर खाने लगे।^{गपपप} इतना ही नहीं ‘धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे’ नामक व्यंग्य में हरिशंकर परसाई पूरी संवैधानिक व्यवस्था और संविधान को चूहों से कुतरवा देते हैं। “पहले चूहे संविधान कुतरकर खा जाते हैं। फिर चूहे सरकार को खा जाते हैं, संसद को खा जाते हैं, न्यायपालिका को खा जाते हैं।”^{xiv} ‘चूहा और मैं’ में उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। चूहों के रूपक के माध्यम से उन्होंने लिखा है, “फिर वह कहीं से अपने एक भाई को ले आया। कहा होगा— ‘चल रे, मेरे साथ उस घर में। मैंने उस रोटीवाले को तंग करके, डराके, खाना निकलवा लिया है। चल, दोनों खायेंगे। उसका बाप हमें खाने को देगा। वरना हम उसकी नींद हराम कर देंगे। हमारा हक है।’... मगर मैं सोचता हूँ— आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है? चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी

नींद हराम कर देता है? इस देश का आदमी कब चूहे की तरह आचरण करेगा?"^{गअ} व्यवस्था चाहे किसी भी प्रकार की हो हर जगह गरीबों का शोषण होता है माँगने से कुछ नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। 'घायल वसन्त' नामक व्यंग्य में वसन्त के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था में बदलाव का आह्वान किया है। वसन्त अपने-आप नहीं आता बल्कि उसे लाना पड़ता है। चीजें अपने-आप नहीं बदलती हैं, उन्हें अपने अनुसार बदलना पड़ता है। "मौसम की मेहरबानी पर भरोसा करेंगे, तो शीत से निपटते-निपटते लू तंग करने लगेगी। मौसम के इन्तजार से कुछ नहीं होगा। वसन्त अपने-आप नहीं आता; उसे लाया जाता है। सहज आनेवाला तो पतझड़ होता है, वसन्त नहीं। अपने-आप तो पत्ते झड़ते हैं। नये पत्ते तो वृक्ष का प्राण-रस पीकर पैदा होते हैं। वसन्त यों नहीं आता। शीत और गरमी के बीच से जो जितना वसन्त निकाल सके, निकाल ले।"^{गअप} इसी प्रकार 'नाग-यज्ञ' में भी परसाईजी ने व्यवस्था-परिवर्तन की बात कही है- "इस व्यवस्था की चादर फटकर तार-तार हो गयी है और रफूगर उसमें पैबन्द लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तार-तार में कही पैबन्द लगता है। चादर ही बदलनी पड़ेगी जनाब।"^{गअपप} हरिशंकर परसाई पूँजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रयास करते हैं जिसमें किसी का शोषण नहीं होगा, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त होगा।

आज़ादी के बाद राजनीति में बढ़ते हुए अवसरवाद और भ्रष्टाचार पर हरिशंकर परसाई ने सबसे अधिक व्यंग्य किया है। स्वाधीनता के उपरान्त नौकरशाही और राजनीति दोनों में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा। राजनेताओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जो त्याग किया था, आज़ादी के बाद वे उसकी वसूली में लग गये। या तो वे कुर्सीपकड़ की दौड़ में शामिल हो गये, नहीं तो दोनों हाथों से घर भरने का अभियान शुरू कर दिया। परसाईजी इससे बहुत अधिक खिन्न थे। अतः उन्होंने ऐसे लोगों पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया है। 'लंका-विजय के बाद' नामक व्यंग्य में राम और उनकी वानर सेना के पौराणिक चरित्रों के माध्यम से उन्होंने दलगत वास्तविकताओं को उद्घाटित किया है। वानर अपने घाव को दिखा-दिखाकर जनता को लूट रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। उसी प्रकार हमारे नेताओं ने अपने त्याग को तमगे के रूप में पहनकर उसके माध्यम से विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त करने की जुगाड़ में लग गये। हरिशंकर परसाई ने उनकी इस प्रवृत्ति पर प्रहार किया है। 'सुदामा के चावल', 'अयोध्या में खाता बहीं', 'सड़क बन रही है', 'भोलाराम का जीव', 'भ्रष्टाचार-वितरण का कार्यक्रम', 'सदाचार की तावीज', 'भ्रष्टाचार-नियोजन आन्दोलन', 'उखड़े खम्भे' आदि व्यंग्यों में उन्होंने नौकरशाही और राजनीति

में व्याप्त भ्रष्टाचार को उद्घाटित किया है। 'इंस्पेक्टर यातादीन चाँद पर', 'रामसिंह की ट्रेनिंग' आदि में परसाईजी ने पुलिस प्रशासन की विसंगतियों और उसके शोषणकारी चरित्र का पर्दाफाश किया है।

परसाईजी ने आपातकाल के बाद की राजनीतिक अस्थिरता, दलबदल, सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त को अपने व्यंग्यों का लक्ष्य बनाया है। उस समय नेता एक दिन में तीन-तीन पार्टियाँ बदलते थे। राजनीति का कोई सिद्धान्त और मूल्य नहीं रह गया था बल्कि सत्ताप्राप्ति ही राजनीति का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। गैर कांग्रेसी पार्टियों के पास देश के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई विजन नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य इंदिरा गाँधी को सत्ता से हटाना था। परसाई जी जानते थे केवल कांग्रेस विरोध या कि सत्ता परिवर्तन से ही देश का विकास नहीं होने वाला है। इसलिए वे गैर कांग्रेसी पार्टियों की आलोचना करते हैं जो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ही एक हुई थीं। 'विधायक नये बाजार में' नामक व्यंग्य में उन्होंने लोकतंत्र को विधायकों के क्रय-विक्रय के बाजार में स्थापित करने की आलोचना करते हैं। उन्होंने लिखा है, "जैसे चकले का मालिक कई रण्डियाँ रखता है, वैसे ही भजनलाल ने थोक विधायक खरीद लिए।" तथा फयह खरीद बिक्री आम चीज जैसी नहीं है। आलू बिकता है तो उसके दाम आलू को नहीं दूकानदार को मिलते हैं। विधायक बिकता है तो दाम उसी के हाथ में जाते हैं।^{रगअपपप} 'कांग्रेसी समाजवादी', 'लोहियावादी समाजवादी' और 'प्रजावादी समाजवादी' में परसाई जी ने समाजवादियों पर व्यंग्य किया है। 'तीसरी आज़ादी का जाँच कमीशन-1', 'तीसरी आज़ादी का जाँच कमीशन-2' और 'तीसरी आज़ादी का जाँच कमीशन-3' में हरिशंकर परसाई ने आज़ादी के बाद की राजनीतिक स्थिति को विशेष ढंग से रेखांकित किया है।

हरिशंकर परसाई का व्यंग्य लोगों की राजनीतिक चेतना का विकास करता है। लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाता है। उन्होंने अपने दौर की राजनीति का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण एवं परीक्षण किया और तत्पश्चात उस पर अपना विचार व्यक्त किया। आज़ादी के बाद की लगभग प्रत्येक राजनीतिक घटना पर उन्होंने अपनी लेखनी चलायी है। वे राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध थे। इसी प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने घटनाओं का मूल्यांकन किया है। इस क्रम में राजनीतिक अवसरवाद, भ्रष्टाचार, दलबदल, राजनीति की सिद्धांतहीनता तथा सांप्रदायिकता पर उनके व्यंग्य अत्यन्त सशक्त बन पड़े हैं। परन्तु अपने युग की राजनीति के अंतर्विरोधों को पकड़ने में कहीं न कहीं उनकी दृष्टि चूक गई है। इसलिए राजनीतिक परिस्थितियों और राजनेताओं के मूल्यांकन से संबंधित

व्यंग्यों में एक सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है जो उनके शेष व्यंग्यों में नहीं मिलती। यह सब होते हुए भी परसाई जी के राजनीतिक व्यंग्यों का अपना महत्व है। उसमें राजनीतिक परिदृश्य से टकराने की ताकत है और पाठकों को सचेत करने का लालित्यपूर्ण विवेक!

संदर्भ

- i. हरिशंकर परसाई, 'तुलसीदास चंदन घिसै', पृ. 43
- ii. परसाई रचनावली-1, (सं.) मण्डल, कमलाप्रसाद, धनंजय वर्मा, श्यामसुन्दर मिश्र, मलय, श्याम कश्यप, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण: जनवरी 2005, पृ. 199
- iii. परसाई रचनावली-4, पृ. 32
- iv. परसाई रचनावली-4, पृ. 33
- v. परसाई रचनावली-5, पृ. 81
- vi. परसाई रचनावली-4, पृ. 34
- vii. परसाई रचनावली-1, पृ. 396
- viii. कमला प्रसाद (सं.), 'युगसाक्षी', हरिशंकर परसाई, साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, 2004, पृ. 230
- ix. परसाई रचनावली-3, पृ. 75
- x. वही, पृ. 77
- xi. कमला प्रसाद (सं.), 'आँखन देखी', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृ. 49
- xii. परसाई रचनावली-1, (सं.) मण्डल, कमलाप्रसाद, धनंजय वर्मा, श्यामसुन्दर मिश्र, मलय, श्याम कश्यप, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण: जनवरी 2005, पृ. 317
- xiii. परसाई रचनावली-1, पृ. 319
- xiv. परसाई रचनावली-4, पृ. 400
- xv. परसाई रचनावली-1, पृ. 161
- xvi. परसाई रचनावली-3, पृ. 224
- xvii. परसाई रचनावली-4, पृ. 105
- xviii. हरिशंकर परसाई, 'तुलसीदास चंदन घिसै', पृ. 148-149

भाषाविज्ञानदृष्ट्या उत्कल-संस्कृत-मैथिलीभाषाणां द्वितीयाविभक्तिविमर्शः



गौतमकुमारराजहंसः

शोधार्थी,

श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी

केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number: 10-18

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 15 May 2021

Published : 30 May 2021

शोधपत्रसारांशः - अस्मिन् संसारे मानवव्यवहारस्य प्रधानाधारः भाषा। मानवस्य सर्वविधचिन्तनं भाषामाध्यमेन बहिर्भूत्वा समाजं , राष्ट्रं किञ्च समग्रं विश्वमुपकरोति। एवं कस्याश्चित्भाषायाः मानकस्वरूपं ज्ञातुं व्याकरणज्ञानं यावत् अनिवार्यं ततोऽप्यधिकं भाषाविज्ञानस्य ज्ञानमनिवार्यमिति मन्ये। भाषाविज्ञानदृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् सर्वस्यां भारतीयार्यभाषायां संस्कृतस्य महान्प्रभावो वर्तते। तत्रापि मागध्याः विकसितायां मैथिल्याम् उत्कलभाषायाञ्च भूयान्प्रभावो दृश्यते। कस्यापि भाषाप्रयोक्तुः सम्पूर्णार्थविवोधनाय प्रत्येकं भाषासु वाक्यानि प्रयुज्यन्ते । वाक्येषु यानि सुबन्तपदानि भवन्ति तानि कारकपदानि अपि उच्यन्ते । कारकज्ञानं विभक्तिज्ञानं विना वा वाक्यानि प्रयोक्तुं न शक्यन्ते। यथा संस्कृतभाषायां विभक्तयः सन्ति तथैव उत्कलभाषायां मैथिल्यां च विद्यन्ते। विभक्ति इति पूर्वाचार्यकृता संज्ञा। परम्परायाम् उक्तमस्ति - संख्याकारकबोधयित्री विभक्तिः। पाणिनीयमते तु सुप्तिङौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः।¹ ओडियासर्वसारव्याकरणे अपि उच्यते - याहाद्वारा संख्या ओ कारकर प्रतीति जन्मे ताहाकु विभक्ति बोलायाए।² प्रायशः मैथिल्यामपि इत्थमेव परिभाष्यते। वस्तुतः मैथिलीभाषा प्रतिपदं पाणिनिव्याकरणमनुकरोति। उत्कलभाषया सह मैथिल्या अस्ति समीपतरः सम्बन्धः। न केवलम् उत्कलभाषया अपितु असमीबङ्गभाषाभ्यां साकमस्याः नैकत्वं स्पष्टतया संलक्ष्यते। वस्तुतः उत्कल-मैथिली-बङ्ग-आसामीभाषाः परस्परं

¹ विभक्तिश्च -पा.सू.01.04.104

² सर्वसारव्याकरणम् (ओडिया) पृ.43

न्यूनाधिक्यरूपेण साम्यं स्थापयन्ति। अतएव ग्रियर्सनमहोदयः युगपत् चतसृणां भाषाणां व्याकरणं कर्तुं शक्यते इति प्रोक्तवान् ।

अतः शोधपत्रेऽस्मिन् उत्कल-संस्कृत-मैथिलीभाषाणां द्वितीयाविभक्तिविषयिणी भाषावैज्ञानिकी कीदृशी चिन्तनधारा, किञ्च साम्यं वैषम्यं वा प्रवर्तते इति समुद्घाटयितुं प्रयतिष्ये। अत्र तिसृणामपि उत्कलसंस्कृतमैथिलीभाषाणां भाषाविज्ञानदृशा द्वितीयाविभक्तेः तौलनिकमध्ययनं प्रस्तोस्यते।

कूटशब्दाः – भाषाविज्ञानम्, संस्कृतम्, उत्कलभाषा, मैथिली, कारकम्, विभक्तिः, पाणिनि-व्याकरणम्, ओडिया सर्वसार व्याकरण, मिथिलाभाषाविद्योतनम्

1.1 प्रस्तावना –

भाष् व्यक्तायां वाचि इत्यस्माद्धातोः गुरोश्चहलः³इति सूत्रेण अ प्रत्यये स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सुपि च कृते भाषेति पदनिष्पत्तिः।

भाष्यते व्यक्तवागूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा। भाषायाः लक्षणमेवमपि वक्तुं शक्यते –

स्फुटवाक्करणोपात्तो भावाभिव्यक्तिस्साधकः।

सङ्केतितो ध्वनित्रातः सा भाषेत्युच्यते बुधैः⁴।।

सामान्यतो वक्तुं शक्यते यत् – येन साधनेन मानवः परस्परं भावाभिव्यक्तिङ्करोति सा भाषा इति। पाश्चात्यभाषाशास्त्रिणां मते तु –

A language is a system of arbitrary vocal symbol by means of which social groups cooperate.⁵

अर्थात् भाषा यादृच्छिक –वाचिक-ध्वनिसंकेतानामेका प्रणाली वर्तते यया मानवः परस्परं विचारविनिमयं कुरुते। इयं भाषैव समग्रप्रपञ्चस्य सर्वोत्तमा ज्योतिः, या मानवस्य अन्तः- करणान्धकारं दूरीकरोति। अनयैव संसारस्य अखिलानि कार्याणि प्रवर्तन्ते। नेदं कल्पयितुं शक्येत यद् भाषामन्तरा मानवस्य का गतिरभविष्यत्? इति।

³ अ.सू. 3.3.102

⁴ भा.वि.भा.शा पृ.30

⁵ Outlines of linguistic analysis, P.Blooch & G.L. D.Trager, P.5

कस्यापि भाषायाः साधुस्वरूपमवगन्तुं तस्याः व्याकरणं सरलं स्पष्टञ्च साधनं भवति। व्याकरणेनैव भाषा सुव्यवस्थिता परिष्कृता च तिष्ठति। लौकिकवैदिकोभयविधसाहित्यस्य यथार्थबोधः व्याकरणाधीनो वर्तते।

यथा भाषा नियमान् ज्ञातुं व्याकरणज्ञानमनिवार्यं, तथैव व्याकरणनियमानां ज्ञानार्थं भाषायाः आन्तरिकस्वरूपस्य व्याख्यायै च भाषा विज्ञानस्य अनिवार्यता वर्तते। वस्तुतस्तु कस्या अपि भाषायाः वैज्ञानिकदृष्ट्या स्वरूपनिर्धारणं भाषाविज्ञानेनैव सिध्यति।

1.2 भाषाविज्ञानस्य परिभाषा: –

भाषायाः विज्ञानं भाषाविज्ञानं किं वा भाषाविज्ञानं नाम यत्र भाषाविषयकं सर्वविध-विवेचनान्तरिकमध्ययनं प्रस्तूयते तदेव भाषाविज्ञानमिति। तथा हि –

भाषायाः यत्तु विज्ञानं सर्वाङ्गं व्याकृतात्मकम्।
विज्ञानदृष्टिमूलं तत् भाषाविज्ञानमुच्यते।⁶

भाषाविज्ञानमपि विज्ञानस्यांशभूतं वर्तते। भाषाविज्ञानस्य विचारेण भाषाणां निदानं सुतरां ज्ञायते। यतो हि तत्र भाषा कथमागता? कुतः आगता? कस्माज्जाता? स्वाभाविकी अस्वाभाविकी वा? इयं भाषा सृष्टेः प्रागासीन्न वा? अथवा तदनन्तरं मानवैर्निर्मिता? नित्यानित्या वा? इयं भाषा विभिन्नेषु देशेषु कथं भिद्यते? देशेष्वपि भिन्न-भिन्न प्रदेशेषु कथं भिद्यते का प्रकृतिः? कश्च प्रत्ययः? पूर्वं व्याकृता अव्याकृता वेति बहुविधाः प्रश्नाः जायन्ते। अमीषां प्रश्नानामुत्तराणि पाश्चात्यैर्भारतीयैर्वा भाषाविज्ञानविद्विर्ग्रथ्यावसरं दीयन्ते। अतः भाषाविज्ञानमन्तरा भाषाणां मूलभूतं रहस्यं कदापि ज्ञातुं न शक्यते।

1.3 भारतीयं भाषाविज्ञानम् –

संस्कृतवाङ्मये निरुक्तं, व्याकरणं, शिक्षा चेति वेदाङ्गत्रये भाषावयवानां शब्दानां निर्वचनं सम्यक्तया उपलभ्यते। अत्र भाषाविज्ञानस्य प्राचीनं नाम तु निरुक्तं, निर्वचनं, शब्दशास्त्रमिति ज्ञायते। निरुक्तन्तावच्छब्दानान्निर्वचनङ्करोति। तत्र प्रकृति प्रत्ययादीनां विवेचनं, कथं वा तत्तदर्थेषु शब्दानां शक्तिग्रहस्य त्यागः भवतीति विचारः क्रियते। अत्र अव्युत्पन्नानां शब्दानां साधुत्वमपि प्रदर्शितं दृश्यते। निरुक्ते शब्दानां साधुत्वनिर्वचनं वा पञ्चधा क्रियते-

⁶भा.वि.भा.शा. पृ 06

वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।
धातोस्तदर्थतिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम् ॥⁷

अथ च –

भवेद्वर्णागमाद्धंसः सिंहो वर्णविपर्ययात्।
गूढोऽऽत्मा वर्णविकृतेर्वर्णनाशात्पृषोदरम् ॥⁸

अत इदं सिद्ध्यति यत् –निरुक्तं भाषाविज्ञानमेव।

व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्। एतदर्थमेव संस्कृतव्याकरणस्य जनिरभूत्। संस्कृतव्याकरणावबोधाय पाणिनिविरचिताष्टाध्यायी प्राधान्यं स्थानमावहति। पाणिनीयसूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकानि महर्षिणा पतञ्जलिना च भाष्याणि विरचितानि। अतो मुनित्रयविरचितमिदं व्याकरणं त्रिमुनिव्याकरणनाम्ना प्रसिद्धिमगात्। व्याकरणं हि साक्षात् भाषाविज्ञानपदं लब्धुन्नार्हति, यतो हि व्याकरणं भाषाणां सिद्धस्वरूपं बोधयति। भाषाविज्ञानं तु तन्मूलं किमिति विचारयति। व्याकरणं सर्वथा भाषास्वरूपसङ्घटनाय न व्याक्रियते अपि तु भाषावयवभूतानि पदानि व्याकरोति। यद्यपि महर्षिः पाणिनिः सूत्रेषु क्वचित्-क्वचित् भाषाविज्ञानांशानपि निवेशितवान् तथापि तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यं स्वार्थसाधकं च इत्यादि निरुक्तवचनेन स्पष्टं भवति यत् व्याकरणं भाषाविज्ञानमनुसरतीति।

1.4 भाषाविज्ञानस्य भेदाः-

तुलनात्मकभाषाविश्लेषणे भाषाज्ञानस्य मुख्यतः चत्वारि अङ्गानि स्वीक्रियन्ते। तानि च –

1. ध्वनिविज्ञानम्-(Phonology)
2. पदविज्ञानम् (Morphology)
3. वाक्यविज्ञानम्(Syntax)
4. अर्थविज्ञानम्(Semantics)

अत्र मम विवेच्यविषयः वाक्यविज्ञाने अन्तर्भवति।

⁷नि.रु.1.1.1

⁸वै.सि.कौ.समासाश्रयप्रकरणे (पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्-06.03.109)

1.5 कारकं विभक्तिश्च-

अस्मिन् संसारे मानवव्यवहारस्य प्रधानाधारः भाषा। मानवस्य सर्वविधचिन्तनं भाषामाध्यमेन बहिर्भूत्वा समाजं , राष्ट्रं किञ्च समग्रं विश्वमुपकरोति। एवं कस्याश्चित्भाषायाः मानकस्वरूपं ज्ञातुं व्याकरणज्ञानं यावत् अनिवार्यं ततोऽप्यधिकं भाषाविज्ञानस्य ज्ञानमनिवार्यमिति मन्ये।

भाषाविज्ञानदृष्ट्या चिन्तयामश्चेत् सर्वस्यां भारतीयार्यभाषायां संस्कृतस्य महान्प्रभावो वर्तते। तत्रापि मागध्याः विकसितायां मैथिल्याम् उत्कलभाषायाञ्च भूयान्प्रभावो दृश्यते। कस्यापि भाषाप्रयोक्तुः सम्पूर्णार्थबोधनाय प्रत्येकं भाषासु वाक्यानि प्रयुज्यन्ते । वाक्येषु यानि सुबन्तपदानि भवन्ति तानि कारकपदानि अपि उच्यन्ते । कारकज्ञानं विभक्तिज्ञानं विना वा वाक्यानि प्रयोक्तुं न शक्यन्ते। यथा संस्कृतभाषायां विभक्तयः सन्ति तथैव उत्कलभाषायां मैथिल्यां च विद्यन्ते।

क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् । अर्थात् क्रियया सह यस्य साक्षात् अन्वयो भवति तद् कारकमिति ज्ञायते। व्याकरणशास्त्रे कारकं किञ्चन महत्त्वपूर्णं प्रकरणं भवति। वाक्यप्रयोगे कारकस्य ज्ञानं विशिष्टं स्थानम् आवहति। संस्कृतव्याकरणे कारकं षड्विधं भवति। यथा –

कर्ता कर्म च करणञ्च सम्प्रदानं तथैव च ।

अपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि षट्⁹ ॥

एवमेव मिथिलाभाषाविद्योतने अपि कारकं षड्विधमेव प्रतिपादितं दृश्यते - क्रियान्वयी कारक, छओ प्रकारक – कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण¹⁰-इति ।

उत्कलभाषाव्याकरणे कारकविषये प्रतिपाद्यते यत् – येषां पदानां क्रियया साकं प्रत्यक्षसम्बन्धो विद्यते तानि कारकाणि भवन्ति।¹¹

विभक्ति इति पूर्वाचार्यकृता संज्ञा। परम्परायाम् उक्तमस्ति – संख्याकारकबोधयित्री विभक्तिः। सुप्तिडौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः। अष्टाध्याय्यां विभक्तिश्च¹² इति सूत्रेण विभक्तिसंज्ञा क्रियते। एवमेव दिक्शब्देभ्यः प्राग् वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः अपि विभक्तिसंज्ञां लभन्ते।¹³ पाणिनिः विभक्तिसंज्ञया प्रत्ययान् बोधयति।

⁹परमलघुमंजूषा, कारकनिरूपणम्।

¹⁰मिथिलाभाषाविद्योतन, विभक्त्यर्थ, सू. 1

¹¹ ओडियाव्याकरणम् , मा.शि. परिषद्

¹² विभक्तिश्च – पा.सू. 01.04.104

¹³ प्राग्दिशो विभक्तिः- पा.सू. 05.03.01

पदमरीकारः हरदत्तः प्रतिपादयति – विभक्तिशब्दः सुपां वाचकः , कारकशक्तिवचनो वा , विभज्यते अनया प्रातिपदिकार्थः इति कृत्वा ।¹⁴

ओडियासर्वसारव्याकरणे अपि उच्यते - याहाद्वारा संख्या ओ कारकर प्रतीति जन्मे ताहाकु विभक्ति बोलायाए।¹⁵ प्रायशः मैथिल्यामपि इत्थमेव परिभाष्यते। वस्तुतः मैथिलीभाषा प्रतिपदं पाणिनि-व्याकरणमनुकरोति। इयं विभक्तिः मुख्यतः द्विविधा साकल्येन त्रिधा। यथा- 1.कारकविभक्तिः 2.उपपदविभक्तिः 3.साधारणविभक्तिश्च।

क्रियामाश्रित्य उत्पन्ना विभक्तिः कारकविभक्तिः। यथा- रामः ग्रामं गच्छति।¹⁶ पदमाश्रित्य उत्पन्ना विभक्तिः उपपदविभक्तिः। यथा- ज्ञानान् ऋते न मुक्तिः। मासं गुडधानाः, मासम् अधीते, क्रोशं कुटिला नदी¹⁷ चेत्यादीनि साधारणविभक्त्युदाहरणानि।

उत्कलभाषया सह मैथिल्या अस्ति समीपतरः सम्बन्धः। न केवलम् उत्कलभाषया अपितु असमीबङ्गभाषाभ्यां साकमस्याः नैकद्वयं स्पष्टतया संलक्ष्यते। वस्तुतः उत्कल-मैथिली-बङ्ग-आसामीभाषाः परस्परं न्यूनाधिक्यरूपेण साम्यं स्थापयन्ति। अतएव ग्रियर्सनमहोदयः युगपत् चतसृणां भाषाणां व्याकरणं कर्तुं शक्यते इति प्रोक्तवान् ।

1.6 उत्कलसंस्कृतमैथिलीनां द्वितीयाविभक्तिविश्लेषणम्-

अधुना एतासां भाषाणां निम्नरीत्या द्वितीयाविभक्तिविषयकं तौलनिकं विश्लेषणं प्रस्तूयते- संस्कृतव्याकरणे कर्मसंज्ञानिमित्तम् अनेकानि सूत्राणि सन्ति। अत्र संज्ञानन्तरं विभक्तिविधानं भवति। महर्षि-पाणिनिः मुख्यतः दशसंख्यकसूत्रैः कर्मकारकं प्रतिपादयति । एषु सूत्रेषु वार्तिकाणि अपि सन्ति। कर्मसंज्ञायाः फलं तु एकमेव कर्मणि द्वितीया¹⁸ इत्यनेन द्वितीयाविभक्तिः। मुख्यरूपेण कर्म द्विविधं साकल्येन सप्तविधम्। कर्तुरीप्सिततमं कर्म¹⁹ इति सूत्रेण भगवान् पाणिनिः ईप्सिततमकर्म प्रतिपादयति। यथा- रामः ग्रामं गच्छति। संस्कृतभाषायां द्वितीयाविभक्तौ अम् औट् शस् चेत्येषां संकेतानां प्रयोगो भवति। अम् औट् शस् इति द्वितीया²⁰।

¹⁴ पा.सू. - एकविभक्ति चापूर्वनिपाते-01.02.44

¹⁵ सर्वसारव्याकरणम् (ओडिया) पृ.43

¹⁶ पा.सू. कर्मणि द्वितीया-02.03.02

¹⁷ पा.सू. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे -02.03.05

¹⁸ पा.सू.02.03.02

¹⁹ पा.सू.01.04.49

²⁰ पा.सू.- स्वौजसमौट्.....04.01.02

एवमेव उत्कलभाषायामपि द्वितीयाविभक्तिनिमित्तं संकेतानां प्रयोगो दृश्यते। यथा तत्र कु इकु मानङ्कु चेत्यादीनां संकेतानां प्रयोगः द्वितीयाचतुर्थ्योः भवति।

विभक्तिः	संस्कृतम्	उदाहरणम्	उत्कलभाषा	उदाहरणम्
द्वितीया	अम्	रामः मन्दिरं गच्छति	कु, इकु, मानङ्कु	तुमे मन्दिरकु याअ।
चतुर्थी	डे	भिक्षुक्षाय भिक्षां देहि।	कु	भिखारिकु भिक्षा दिअ।

संस्कृते संकेतानां प्रयोगः अवश्यं करणीयः परम् उत्कलभाषायां संकेतानां

प्रयोगाभावेऽपि अर्थबोधो भवति । यथा – मुँ गाँ यिवि। राम भात खाउछि । अत्र राम, भात कर्मपदम् । उभयत्र द्वितीयाविभक्तिः। अतः ज्ञायते यत् संकेताभावेऽपि विभक्तिर्भवति। यथा संस्कृतव्याकरणेन अकर्मकधातूनां योगे कर्मसंज्ञा तथैव उत्कलभाषायां भवति।

विभक्तिः	संस्कृतम्	उदाहरणम्	उत्कलभाषा	उदाहरणम्
द्वितीया	अकर्मकधातुभिर्योगे देशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यम्। ²¹	कुरुन् स्वपिति। मासम् आस्ते। गोदोहम् आस्ते। क्रोशम् आस्ते।।	-----	सैन्यमाने सातदिन यात्रा कले। पढारे रातियाक कटाइलि। से दशहात डेइँला।

अत्र सातदिन ,रातियाक , दशहात कर्मपदानि सन्ति।

यथा संस्कृतभाषायाम् उपपदविभक्तिः विद्यते तथैव उत्कलभाषायामपि अस्ति। यथा – संस्कृते- चौरं धिक् । उत्कलभाषायाम् – चोरकु धिक् । उत्कलभाषायां निकटार्थक-दूरार्थकयोः द्वितीया । यथा-

²¹ वार्तिकम् ।

1.पुरीकु सत्यवादी पाकोश। 2.राम घरकु मंदिर लागिछि।

उत्कलभाषावत् मैथिलीभाषायामपि संकेतानां प्रयोगो विलोक्यते। अत्रापि द्वितीयाचतुर्थ्योः समानः संकेतः। यथा-

विभक्तिः	संस्कृतम्	उदाहरणम्	मैथिली	उदाहरणम्
द्वितीया	अम्	रामं पश्य	कँ	रामकँ देखू।
चतुर्थी	डे	भिक्षुक्षाय भिक्षां देहि।	कँ	भिखारिकँ भीख दू।

1.7 उपसंहार

संस्कृतव्याकरणे तु द्वितीयाविभक्तिविमर्शः महान् विद्यते। तत्र कारकविभक्तिदृष्ट्या उपपदविभक्तिदृष्ट्या चोभयथा विचारः कृतोऽवलोक्यते। विवृते लघुशोधनिबन्धेऽस्मिन् स्थालीपुलाकन्यायेन वक्तुं शक्यते यत् भाषाविज्ञानदृष्ट्या संस्कृत-उत्कल-मैथिलीभाषासु द्वितीयाविभक्तिसम्बन्धि न्यूनाधिक्यरूपेण परस्परं साम्यं वैषम्यं च विद्यते।

सन्दर्भग्रन्थसूची-

1. अष्टाध्यायी- पाणिनिः , शिवसंस्कृतसंस्थानम् , वाराणसी ,2003
2. ओडियासर्वसारव्याकरणम्
3. गोणिका,श्रीसदाशिवपरिसरः,पुरी,2015-16
4. निरुक्तम् – सम्पादकः,प्रो. उमाशंकरशर्मा ऋषि, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,1989
5. भाषाविज्ञान एवं भाषाशास्त्र – डा.कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी,2010
6. भाषाविज्ञान तथा लिपिविज्ञान – प्रो. ब्रह्मचारी सुरेन्द्र कुमार , नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना ,2009
7. मिथिलाभाषा विद्योतन,दीनबंधु झा,मैथिली-साहित्य-परिषत्,दरभंगा,1993
8. मैथिली-परिशीलन,पं.गोविन्द झा,मैथिली अकादमी ,पटना,2012

9. लघुसिद्धान्तकौमुदी- पं.सदाशिवशास्त्री , चौखम्बा संस्कृत सीरीज ,वाराणसी ,2014
10. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी – डा. अर्कनाथ चौधरी , जगदीश संस्कृत पुस्तकालय , जयपुर,2015
11. संस्कृतभाषाविज्ञानम् – चक्रवर्ती श्रीरामाधीनचतुर्वेदी , चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी,2011
12. Linguistic Analysis of Paninian Grammar – Dr.Shashibhushan Mishra , The Banaras Mercantile Co. Kolkata,2012
13. Outlines of linguistic analysis, B.Bloch & G.L.Trager, Linguistic Society of America, 1942

रोजगार परख शिक्षा में गृहविज्ञान की छात्राओं की भूमिका

डॉ प्रीतम कुमारी

सहायक विभागाध्यक्ष-गृहविज्ञान प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋशिकेश
देहरादून उत्तराखण्ड

डॉ सीमा कुमारी सहायक

विभागाध्यक्ष-गृहविज्ञान प्रोफेसर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार पौड़ी,
गढ़वाल, उत्तराखण्ड

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number: 19-23

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 10 June 2021

Published : 20 June 2021

गृहविज्ञान एक विशय ऐसा है जिसमें कई विशयों का समावेश होता है। जैसे आहार और पोशण, वस्त्र और परिधान, गृहप्रबन्ध, बालविकास, मानव विकास, और प्रसारशिक्षा, आहार और पोशण एक ऐसा हैं। जो गृहविज्ञान की छात्र-छात्राओं के लिए अतिआवश्यक है साथ ही सभी वर्गों के लिए भी आज की छात्राए कल की गृहिणी हैं। परिवार की आधारशिला हैं। घर की सुख शांति अमन चैन सब उस पर निर्भर करता हैं। सबसे पहले परिवार के सदस्यों के लिए आहार पोशिक और संतुलित होना चाहिए।

प्रतिदिन जो हम खाते है उसे आहार कहेंगे लेकिन संतुलित आहार वह कहलाएगा जिसमें की सभी पोशक तत्व पूर्ण मात्रा में हो शरीरिक और मानसिक रूप से संतुष्टि प्रदान करें। संतुलित आहार वह है। जो व्यक्ति के कार्य लिंग और उम्र के अनुसार हो जो आहार एक के लिए संतुलित आहार हैं। वह दूसरों के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी का कार्य, अवस्था और लिंग एक जैसा नही हो सकता है।

इस के लिए यह जानकारी जरूर होनी चाहिये कि कौन सा व्यक्ति को किस प्रकार का आहार चाहिये कितनी कैलोरी उर्जा की आवश्यकता है। जिसके लिए आहार और पोशण का ज्ञान होना अतिआवश्यक हैं। किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोशक तत्व कितने मात्रा में पाया जाता है।

गृहविज्ञान एक विशय ऐसा है जिसे पढने के बाद छात्र या छात्राएँ बेरोजगार नहीं हो सकते उनके जीवन में निराशा या उदासी नहीं आ सकती हैं। वे अपना विवेक और कल्पना शक्ति का उपयोग कर अनेक प्रकार के स्वरोजगार चला सकती हैं। जिसे अर्थशास्त्र भाशा में कुटीर उद्योग कहा जाता हैं। जो छात्र छात्राएँ अपने परिवार के

सभी लोगों से सहयोग प्राप्त कर तथा हजारों लोगों को रोजगार देकर कामयाब बना सकती है।

चूल्हे की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ही रोजगार की आवश्यकता पड़ती है जिसे आजिविका कहते हैं। आजिविका का संबंध जीवन से हैं। और जीवन ब्राह्मण्ड के वाहय तत्व से संचालित होता है। जिसमें पृथ्वी और जलतत्व की प्रख्यानता होती है। यही जल तत्व और पृथ्वी अन्य प्रदान करता हैं। इस अन्य की उत्पादन के लिए मानवशक्ति की आवश्यकता पड़ती है और यही मानव शक्ति की वृद्धि के लिये आजिविका को प्रधान माना जाता है।

गृहविज्ञान में हम जीवन को चलाने के लिए उन चीजों का अध्ययन करते है क्योंकि इस मे अन्य जल आदि को उत्पादन करने के लिए मानव की आवश्यकता पड़ती है। गृह विज्ञान में उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जो मानव को आजिविका से जोड़ती है। वर्तमान में कृषि उत्पादनों से लेकर नये प्रकार के रसायनों पर शोध हो रहा हैं। यह सब कुछ गृहविज्ञान का विशय हैं इस विशय या गृहविज्ञान के माध्यम से रोजगार की अनेक संभावनाएँ समीटी जा सकती हैं। इसमें सबसे पहली बडी भूमिका उस नारी की हैं जो कि अपने सम्पूर्ण परिवार की पालन पोशण करती हैं वह सबसे ज्यादा व्यस्त कहीं हैं तो चूल्हा चौका में।

वर्तमान में इस रोजगार से लाखों नहीं करोड़ों महिलाएँ और पूरुश जुड़ी हुई हैं। जो घर से लेकर उँचे-2 पंच सीतारे होटलों में कार्यरत है। इन सबको शिक्षित और दीक्षित करने का सबसे सशक्त माध्याम हैं गृहविज्ञान। उदाहरणार्थ पहले ग्रामीण स्त्रीयों चुल्हे पर लकड़ी कंडे अथवा कोयले के प्रयोग से खाना पकाती थीं। तब खाना पकाना एक थकावट तथा मेहनत वाला कार्य था क्योंकि उन्हें जलाने में काफी मेहनत तथा समय लगता था बर्तन काले होते थे, धुआँ निकलता था, रसोई घर काला होता था। तसला या भगोने में चावल दाल सब्जियों पकाए जाते थे। समय, श्रम अधिक लगता था परन्तु वर्तमान में प्रेशर कुकर, मिक्सर, ग्राइंडर जूसर, गैस, चूल्हा, हीटर से कम समय और श्रम में भोजन तैयार कर रख ली जाती हैं। गृहविज्ञान के द्वारा भोजन बनाने की कला ने आज अनेकों लोगों को रोजगारी बना दिया हैं। छोटें-2 होटलों से लेकर बड़े-2 गाँव से लेकर शहर देश और विदेश तक इसका विस्तार हुआ हैं। इस क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य अपेक्षित हैं।

1 **टिफिन बनाने का व्यवसाय:-** आजकल शहरी जीवन में विद्यार्थियों और नौकरी करने वालों के लिए घर में तैयार कर खाना डिब्बे में बंद कर पहुचाया जाता है। यह

बहुत ही आसानी से किए जाने वाला लोकप्रिय व्यवसाय हैं। इससे हॉस्पिटल में भी विशेषकर रोजगार मिल सकता है।

2 अगरवती बनाने का काम:- दुनिया के सभी लोग इसका उपयोग पूजा अर्चना आदि करने के लिए करते हैं।

3 नमकीन बनाने का व्यवसाय:- विभिन्न प्रकार के नमकीन बना कर उचित मूल्य पर बेच कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।

4 मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग:- भारतीय इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ का रहने वाला प्रायः आदि काल से ही मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करता आ रहा है। और यह परम्परा आज भी जीवित है। और इन मिट्टी के बर्तनों को प्रायः एक जाति विशेष बनाया करती थीं। लेकिन आज समय बदल गया है। इसलिए इसे उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। गृहविज्ञान के छात्र-छात्राएँ भी मिट्टी के घड़ा सुराही फ्लावरपौट खिलौने मुर्तियों आदि बना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

5 साड़ी कपड़ों का व्यवसाय:- बाजारों से सस्ते दाम पर कपड़ें खरीद कर तथा मांग के अनुसार अपने कला के अनुरूप ढाल कर उसे बाजारों में बेचा जा सकता है। इससे अनेकों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और छात्र-छात्राओं का कला प्रदर्शन भी होगा।

6 रेस्टोरेंट व बेकरी कार्नर:- इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कम सामग्री और कम जगहों की आवश्यकता होती है। आजकल शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में छोटी सी जगह में रेस्टोरेंट व बेकरी कार्नर की ट्रेड बढती जा रही है। जैसे पापरीचाट, समोसा, भेलपुरी, पिज्जा, बर्गर, आदि इस क्षेत्र में भी गृहविज्ञान की छात्र-छात्राएँ दक्ष होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में इनकी रोजगार की संभावनाएँ स्वतः ही बढ़ जाती हैं।

7 मसाले बनाने का उद्योग:- विभिन्न प्रकार के मसाले तैयार कर इसके गुणों की जानकारी के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। चूँकि इस क्षेत्र में गृहविज्ञान के छात्र-छात्राएँ प्रायोगिक रूप से इनका उपयोग करते हैं। इसलिए बड़े-बड़े होटल व्यवसाय में इनकी कार्य कुशलता का सुगमता से उपयोग हो सकता है।

8 फर्नीचर बनाने का उद्योग:- प्रायः देखा जाता है कि परम्परा से जीवित इन व्यवसायों को यदि नयी पीढ़ी की शिक्षित छात्र-छात्राएँ अपनाएँ तो इस क्षेत्र में उन्हें आजीविका के नये सनसाधन प्राप्त हो सकते हैं।

9 पापड़ बड़ी-कचड़ी आदि बनाने का उद्योग:- ऐसे ही सुखे पकवानो को यदि बडी मात्रा में तैयार किया जाए तो गृहविज्ञान की छात्र-छात्राए लाभन्वित हो सकते है।

10 साबुन बनाने का उद्योग:- साबुन व्यक्ति या समाज की एक आवश्यक आवश्यकता है। इसलिए इसकी मांग अधिक है। आज कल साबुनों का निर्माण अनेक प्रकार के रसायनिक पदार्थों से होता है। लेकिन यदि नई तकनीक से क्षार, नींबू आदि के साबुन बनाए जाए तो नये पीढि के छात्र-छात्राएँ अपने एक नये उद्योग चला सकते हैं।

11 कपडों की छापाई:- कपडों पर पारम्परिक वस्तुओं एवं ऐतिहासिक वस्तुओं को छापने की यदि एक नयी परम्परा चलायी जाय तो नये युग के छात्र-छात्राएँ अपनी कला को लोकप्रिय बनाने के साथ-2 अधिक धन अर्जित कर सकते हैं।

12 सिलाई कढ़ाई:- सिलाई के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पोशाक पर्दे टेबुलक्लॉथ आदि आते हैं। यदि नये पीढि के छात्र-छात्राए इस क्षेत्र में काम करना चाहे तो उन्हें अपार सफलता मिल सकता हैं। क्योंकि इन सबकी बाजार में बहुत अच्छी मांग हैं।

13 चुडी बनाने का कुटीर उद्योग:- इस क्षेत्र में भी गृहविज्ञान की छात्र-छात्राएँ घर पर बैठ कर परिवार के सहयोग से इस व्यवसाय को चला कर स्वयं को और अनेको लोगो को रोजगार दिला सकते हैं।

14 बुनाई:- गृहविज्ञान की छात्र-छात्राएँ इस कला में दक्ष होते है उसे दरी, कालीन, डोरमैट, स्वेटर टोपी आदि बनाकर अपने कला का प्रदर्शन भी कर सकती है। और अनेको लोगो को रोजगार भी दिला सकती है।

15 ब्यूटी पार्लर:- नयी पीढि के बच्चे इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा धन कमा रहे हैं।

16 दोना पत्तल बनाने का छोटा उद्योग:- सांस्कृतिक समारोह और मांगलिक कार्यों में प्रायः दोना पत्तल आदि की विशेष मांग हाती हैं। यदि इन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से देखा जाय तो ये लाभदायक होने के साथ-2 हमें पॉलीथीन आदि के उपयोग से बचा जा सकता हैं। इस क्षेत्र में भी नये युग के छात्र-छात्राएँ क्रांतिकारी कार्य कर सकते है। इसके अतिरिक्त अखबार के कागज से थैलिया बनाना सजावट की झाडिया बनाना जैसे वस्तुओं के निर्माण से भी धन कमाया जा सकता हैं।

17 गाय भेड़ बकरी का पालन:- पशु पालन प्रायः भारतीय कृषि व्यावसाय का मेरुदण्ड है। जिसमें की गाय भेड़ बकरी आदि का पालन आता है। इन पशुओं से हमें घी, दूध, दही, छाछ, पनीर, मलाई, खोआ, आइसक्रीम आदि प्राप्त होता है।

जिनकी आज सभी जगह मांग होती है। नयी पीढि के छात्र-छात्राएँ इनसे डेरीफार्म विकसित कर सकती है। जो कि अच्छे व्यवसाय के सांथ-2 पुण्य का काम माना जाता है। मछली बतख व मुर्गी पालन आदि गृहविज्ञान की छात्र-छात्राएँ भी इस क्षेत्र में नये तकनीक को अपना कर उन्नत किसम के रोजगार को पाप्त कर सकते है ।

19 पुराने वस्त्र का उपयोग:- प्रायः हर घर में कुछ ऐसे कपड़े होते है जिन्हे या तो फेक दिया जाता है। या जला दिया जाता है। लेकिन यदि छात्र-छात्राएँ थोरा सा भी प्रयास करे तो इस सामग्री से पर्दे, थैले, पायदान आदि का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक की घर में परे कतरन भूसा आदि से तकिया, कुशन, मशनद आदि बनाये जाते हैं।

20 जैम, जैली, मुरब्बा, आचार:- प्रायः ऐसा फल जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते है। ये हर समय हर मौसम में उपलबध नहीं होते अतः इनका स्वाद लेने के लिए हम इनसे जैम, जैली, मुरब्बा, आचार आदि बनाते है। यदि इस व्यवसाय से नये युग के छात्र-छात्राएँ इससे नवीन व्यवसाय अपना सकते है।

21 किचेन गार्डन:- छोटे से ऑगन या छत पर ऐसा किचेन गार्डन बनाया जा सकता जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियाँ और मसाले उँगाए जा सकते है यहाँ तक कि अगर आपके पास अधिक जमीन हो तो आप बड़ी मात्रा में प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, राई, मूली, सरसों, मेथी, पालक, चुकुन्दर, गाजर, शलजम, गोभी आदि को ताजा बेचकर कम परिश्रम और मूल्य पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते है।

गृहविज्ञान की क्षेत्र काफी विस्तृत और विविधता से परिपूर्ण है। यह घर की सीमा को काफी हद तक पार कर चुका है। वास्तव में यह एक ऐसा विशय है जो युवा छात्र-छात्राओं को दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिये तैयार करता है। घर तथा परिवार की देखभाल और अपनी जीवन में कैरिअर अथवा पेशे के लिये तैयार करता है।

आजकल महिला या पुरुश दोनों ही घर तथा परिवार की जिम्मेदारिया समान रूप से निभाते हैं। एवं अपने जीवन को सुखमय बनाते है। गृहविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है। जो एक घर को स्वथ्य तथा आनन्दमय बनाये रखने और आवश्यकता पड़ने पर एक सफल पेशे के चुनाव में आपकी मदद कर सकता है।

गृहविज्ञान बेकार चीजों को उपयोगी चीजे बनाने की कला सिखाता है। जैसे बेकार वस्तुओं से सुन्दर चीजे बनाना यह अपने चारों ओर के वातावरण को सुन्दर और आनन्दमयी बनाता है। अपने विवेक का उपयोग करके जैसे सुन्दर व्यवहार सर्व त्यागी की भावना ज्ञान वर्धक बोल और मीठी व्यवहार से प्रत्येक के दिल को जीत सकता

हैं। गृहविज्ञान के विविध क्षेत्रों की पढाई करने के बाद छात्र छात्राएँ अपने साधनों का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मानवी और अमानवीय साधनों को उपयोग कर जीवन को प्रभावशाली बनाते हैं। समय, शक्ति और उर्जा बचत आदि साधन हैं जो गृहप्रबंध में सहायक होते हैं। गृहविज्ञान की शिक्षा द्वारा घर की जिम्मेदारियों में पुरुशों की सहभागिता भी बढ़ी है। परम्परागत रूप से हमारे समाज को पुरुश घर के कार्यों में बहुत क्रियाशील नहीं होते थे। लेकिन गृहविज्ञान की हुनर ने इन्हें घर को सुन्दर बनाने और सही तरीके से चलाने की सहायता प्रदान की है।

गृहविज्ञान ही एक मात्र ऐसा विशय है जो युवाओं को एक सफल गृहस्थ बनाने एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे माता-पिता बनाने में सहायक होते हैं। हमारे घर में उपयोग होने वाले वस्त्र गृह कार्य से लेकर पहनने का वस्त्र भी गृहिणी को खरीदना पडता है। इसके लिए रेशों का गुण रंग कार्य क्षमता का ज्ञान होना आवश्यक है।

बालविकास पाठ्यक्रम में हम बच्चों को जन्म से पूर्व और बाद के विकास का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे समाज की बनावट में काफी परिवर्तन आया है। सयुक्त परिवार टुटकर एकल परिवार में बदलने लगा है। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों को पति-पत्नी को खुद ही सम्भालना पडता है। अधिकांश महिलाएँ घर से बाहर काम पर जाने लगी हैं। इसलिए पुरुशों को घर की जिम्मेदारियों के बारे में अधिक शिक्षा की आवश्यकता पडती है। यह ज्ञान सिर्फ गृहविज्ञान के द्वारा ही सम्भव हो सकती है। आज इसलिए अनेक युवा पुरुश इस विशय को पढने के लिए जागरुक हो रहे है। छात्र-छात्राएँ घर की बहुत सारी बातें अपनी माँ और दादी को देखकर सीखती है। लेकिन विस्तृत ज्ञान के लिए गृहविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। गृहविज्ञान युवा छात्र-छात्राओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। अन्य विशयों की तरह इस विशयों की भी पढाई पुरी करनी चाहिए और किसी एक विशय में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए। अस्पतालों में डाइटीशियन के रूप में, बुटीक में फैशन डिजाइनर के रूप में, होटल में परिचायक परिचायिका, एवं कॉलेज में अध्यापक अध्यापिकाओं आदि के रूप में गृहविज्ञान की पढाई करके और इस विशय की पढाई के बाद छात्र-छात्राएँ अच्छी आय वाली और संतोशजनक नौकरिया प्राप्त कर सकते है।

आज के बदलते परिवेश में हमारे खान-पान में काफी परिवर्तन आया है। जंक फूड अनेक लोगो की जीवनशैली का अंग बन गया है। इस प्रकार पौष्टिक व सुपाच्य आहार के आभाव में लोगो को कई प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना करना

पड रहा है। ऐसे में खान-पान की सही जानकारी देने के लिए एक आहार विशेषज्ञ या डाइटीशियन की नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि गृहविज्ञान ही एक ऐसा विशय है जो कि मानव का सर्वांगिन विकास कर सकता है। अतः नई पीढि के छात्र-छात्राओं को इस विशय का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। जिसे कि वे अपने लिए रोजगार ही नहीं अपितु जीवन को जीने का एक अच्छा साधन भी ढूँढ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

- 1 आहार एवं पोशण विज्ञान - डॉ अनिता सिंह स्टार पब्लिकेशन्स, आगरा-282002
- 2 बेकरी एवं कन्फैक्शनरी - डॉ मुनीरा हुसैन शिवा प्रकाशन इन्दौर
- 3 प्रयोगात्मक पोशण - अरुण पल्टा शिवा प्रकाशन इन्दौर
- 4 गृह व्यावस्था एवं गृह सज्जा -शर्मा एवं पाटनी शिवा प्रकाशन इन्दौर
- 5 आहार विज्ञान - डॉ वृन्दा सिंह पंचशील प्रकाशन जयपुर

सतीविजय गद्यकाव्य में अलंकार योजना

डॉ. अरुणा शर्मा
प्रोफेसर, शोधनिर्देशिका
संस्कृत, पालि एवं प्राकृत विभाग,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, भारत।

सुमन
शोधार्थी, संस्कृत,
पालि एवं प्राकृत विभाग,
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, भारत।



Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number: 24-34

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 15 May 2021

Published : 30 May 2021

सारांश – कवि जयनारायण यात्री द्वारा रचित 'सतीविजय' गद्यकाव्य में अलंकार-योजना के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग सहज एवं प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल है। कवि ने अलंकारों का प्रयोग बलात् नहीं किया अपितु उनकी वाणी में यह कला स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। कवि ने शब्दालंकार तथा अर्थालंकारों के साथ-साथ दोनों प्रकार के अलंकारों के मिश्रित रूप 'उभयालंकार' का भी बहुत सुन्दर रूप में निबन्धन किया है। उन्होंने प्रस्तुत गद्यकाव्य में सुन्दर, सरल एवं यथावसर अलंकारों का प्रयोग कर-गद्यकाव्य को शोभायुक्त तथा समृद्ध रूप प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत गद्यकाव्य में अनुप्रास के नाना भेदों की छटा पदे-पदे विद्यमान है। अर्थालंकारों की योजना भी भाषा के प्रवाह में इस प्रकार निबद्ध है, जैसे नदी के प्रवाह में तरंगे। अलंकारों की इस सहज और स्वाभाविक योजना ने काव्य के कथाप्रवाह को अत्यन्त मनोरम और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। अतः निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि कवि जयनारायण यात्री अलंकारयोजना में सिद्धहस्त हैं।
मुख्यशब्द – जयनारायण यात्री, सतीविजय, गद्यकाव्य, अलंकार, भाषा, काव्य।

कविता-कामिनी का शृंगार है – अलंकार योजना। जिस प्रकार कटक-कुण्डल आदि विभिन्न प्रकार के आभूषणों के प्रयोग से कामिनी के सौन्दर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उपमा, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों के प्रयोग से कवितारूपी कामिनी का सौन्दर्य भी बढ़-जाता है। काव्य का शरीर शब्द और अर्थ रूप है। अतः कवि अलंकारों के प्रयोग से काव्य के शरीर रूप शब्द और अर्थ की ही शोभावृद्धि करके काव्य का चित्ताकर्षक रूप सहृदय सामाजिक के लिए प्रस्तुत करता है।

अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ :

अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ—आभूषण, श्रृंगार का साधन अथवा सौन्दर्यविशेषक तत्त्व है । व्युत्पत्ति के अनुसार 'अलंकार' शब्द अलम् पूर्वक √कृ धातु के साथ भाव एवं करण अर्थ में 'घञ्' प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है ।

भावपरक व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार शब्द का अर्थ भूषण अथवा शोभा का भाव है ।

'अलंकृतिः अलंकारः' इसी अर्थ के अनुसार आचार्य वामन ने अलंकार को सौन्दर्य का पर्याय कहकर अलंकारयुक्त काव्य को ग्राह्य तथा अलंकारहीन काव्य को अग्राह्य कहा है ।¹

करणपरक व्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार का अर्थ है — सौन्दर्य का साधन । 'अलङ्क्रियतेऽनेन इति अलंकारः' अर्थात् जिस साधन के द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाए, वह साधन अलंकार कहलाता है ।²

वास्तविक रूप में अलंकार सौन्दर्य—वृद्धि के साधन ही हैं । काव्य में इनका प्रयोग भावों को सजाने तथा रमणीयता प्रदान करने के लिए किया जाता है । जिस प्रकार स्त्री के सहज सौन्दर्य को अधिक निखार देने वाले हार—कुण्डल आदि अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार सरस काव्य को अधिक आकर्षक एवं परिष्कृत बना देने वाले तत्त्व को अलंकार कहते हैं ।

अलंकार की परिभाषा :

सभी काव्यशास्त्रियों ने अलंकार की परिभाषा भिन्न—भिन्न रूप में प्रस्तुत की है । सर्वप्रथम आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य के आत्मतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने शब्द और अर्थ की वक्रता से युक्त उक्ति को अलंकार के रूप में परिभाषित किया ।³ आचार्य दण्डी⁴ तथा अग्निपुराणकार⁵ ने काव्य के शोभाकारी धर्मों को अलंकार का नाम दिया है । आचार्य मम्मट ने हार तथा बाजूबन्द आदि अलंकारों के समान काव्य की शोभा में वृद्धि करके काव्यकीआत्मा रस का उपकार करने वाले तत्त्वों को ही अलंकारों के रूप में परिभाषित किया है ।⁶

1. काव्यं ग्राह्यमलंकारात् । सौन्दर्यमलंकारः । का. अ. सू. वृ., 1.1.1

2. करणव्युत्पत्त्यापुनः अलंकारशब्दोऽयमुपमादिषु वर्तते । वही, 1.1.2

3. वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टा वाचामलङ्कृति ।

वाचां वक्रार्थं शब्दोक्तिरलङ्काराय कल्पते ॥ का. अ., 1.36

4. काव्य शोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते ।

ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कात्सर्येन वक्ष्यति ॥ का. आ., 2.1

5. काव्य शोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते । अ. पु., 42.17

6. उपकुर्वन्ति तं सन्तं ये अंगद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ का. प्र., 8.67

आचार्य विश्वनाथ ने भी मम्मट के मत का अनुसरण करते हुए शोभा का अतिशय करने वाले, रसभाव आदि के उपकारक, शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म को अलंकार कहा है ।⁷

इस प्रकार ध्वनिवादी आचार्यों से पूर्व अलंकार को काव्य के अंगी रूप में प्रतिष्ठित किया गया लेकिन ध्वनिवादी आचार्यों ने काव्य की शोभा का आधायक तत्त्व मानकर अलंकारों को गौण/अंग रूप में स्थापित किया है । उनके अनुसार अलंकारों की योजना रस की अपेक्षा से ही होनी चाहिए । अतः अलंकार, शब्द और अर्थ का वह धर्म है, जो उन्हें लोक-व्यवहार के साधारण प्रयोग से अधिक सुन्दर बनाता है । वर्ण्य-वस्तु के रूप, गुण एवं क्रिया के प्रभाव में वृद्धि करता है, उसे स्पष्टता तथा लाघव के साथ व्यक्त करने में सहायक होता है ।

अलंकारों का महत्त्व :

काव्य पद्यरूप में हो अथवा गद्यरूप में, उसमें अलंकारों का विशिष्ट स्थान होता है । काव्य में अलंकारों का प्रयोग नवीन नहीं है अपितु वैदिक काल से ही काव्य को सुन्दर और शोभाधायक बनाने का प्रयास निरन्तर रूप से होता रहा है । अतः अलंकारों की महत्ता स्वतः सिद्ध है ।

सर्वप्रथम आचार्य भामह अलंकारों के महत्त्व को दर्शाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कामिनी का मुख आभूषणों के बिना सुन्दर नहीं लगता, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य भी सुशोभित नहीं होता ।⁸ आचार्य राजशेखर अलंकार की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसे वेद का सातवां अंग मानते हैं । उनके अनुसार अलंकार वेद के अर्थ का उपकारक होता है तथा अलंकारों के अभाव में वेदार्थ की अवगति नहीं हो सकती ।⁹ अतः वेदार्थ के परिज्ञान के लिए अलंकारों के स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है । आचार्य जयदेव अलंकारों को काव्य का नित्य धर्म स्वीकार करते हैं । उन्होंने बड़े दृढ़ शब्दों में उन कवियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया है जो अलंकार से विहीन काव्य की सत्ता मानते हैं ।¹⁰

वस्तुतः अलंकार काव्य के आत्मतत्त्व के उत्कर्षाधायक तथा शब्दार्थ रूपी शरीर के अस्थिर धर्म ही हैं, जिनके प्रयोग से काव्य की अभिव्यक्ति में तीव्रता एवं भावों में प्रभावात्मकता आ जाती है ।

अलंकार के भेद :

7. शब्दार्थयोरस्थिरा धर्माः शोभातिशायिनः ।

रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥ सा. द., 10.1

8. न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् । का. अ., 1.12

9. उपकारत्वात् अलंकारः सप्तममंगमिति यायावरीयः ।

ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात् वेदार्थानवगतिः ॥ का. मी., पृ. 4

10. अंगीकरोति च काव्यम् शब्दार्थावनलङ्कृती ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती ॥ च. आ., 1.8

प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा का आधायक मानते हुए अलंकार के दो ही भेद – शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रतिपादित किए हैं तथा इन दोनों अलंकारों के मिश्रण से बनने वाले उभयालंकार को तृतीय भेद के रूप में प्रतिपादित किया है । इस प्रकार अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद स्वीकार किए जाते हैं –

शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार ।

‘सतीविजय’ गद्यकाव्य में अलंकार–योजना :

कवि जयनारायणयात्री काव्य में अलंकारों की महत्ता से भली-भांति परिचित हैं । अतः उनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से परिलक्षित होता है । उन्होंने बलात् अलंकार–योजना से काव्यगत सुषमा और सहज शोभा को क्लिष्ट नहीं होने दिया है । इसीलिए प्राचीन गद्यकाव्यों कादम्बरी, हर्षचरित, दशकुमारचरित आदि की भांति प्रस्तुत ‘सतीविजय’ गद्यकाव्य अलंकारों से बोझिल प्रतीत नहीं होता, अपितु सहज प्रयोग किए गए अलंकारों से काव्य की शोभा में वृद्धि हुई है । कवि ने प्रस्तुत गद्यकाव्य में शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार का सावसर स्वाभाविक प्रयोग किया है ।

प्रस्तुत गद्यकाव्य में मुख्यतया अनुप्रास तथा यमक शब्दालंकार तथा अर्थालंकारों में उपमा, मालोपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना, विशेषोक्ति, विनोक्ति लोकोक्ति, अतिशयोक्ति, परिसंख्या, पर्याय, उदात्त, उत्तर, समाधि, दीपक, अर्थापत्ति, अर्थान्तरन्यास, कारणमाला, विरोध, स्वभावोक्ति, काव्यलिङ्ग, व्यतिरेक, अन्योन्य, तद्गुण अप्रस्तुत प्रशंसा, विषम, निर्दशना, अपह्नुति तथा परिकर आदि का प्रयोग किया गया है । उभयालंकार के रूप में संकर तथा संसृष्टि अलंकारों की भी सुन्दर योजना दृष्टिगत होती है । ‘सतीविजय’ में प्रयुक्त अलंकारों में से कतिपय, विशेष अलंकारों का विवेचन इस प्रकार है –

अनुप्रास : शब्दों की समानता को अनुप्रास अलंकार कहते हैं । जहां किसी काव्य में स्वरों की विषमता होने पर भी शब्दों अथवा व्यंजन वर्णों का सादृश्य अथवा समानता रहती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं ।¹¹ आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास के पांच भेदों का वर्णन किया है । छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अन्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास ।¹² प्रस्तुत गद्यकाव्य में अनुप्रास अलंकार के छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास और अन्त्यानुप्रास की योजना पद-पद पर दृष्टिगत होती है । इनमें से छेकानुप्रास का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत है ।

छेकानुप्रास : जहाँ पर अनेक व्यंजन वर्णों के समूह की उसी क्रम तथा स्वरूप में आवृत्ति होती है, उसे छेकानुप्रास कहते हैं । स्वरों की विषमता के साथ एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से

11. अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येऽपि स्वरस्य यत् । सा. द., 10.3

12. अनुप्रासः पञ्चधा ततः । वही, 10.7

दूसरी बार आए तो छेकानुप्रास कहलाता है ।¹³ छेक शब्द का अर्थ है – चतुर पुरुष । चतुर पुरुषों के प्रयोग के योग्य होने के कारण ही इसे छेकानुप्रास कहते हैं ।
यथा –

तस्य च नृपतेरजस्य.....त्रिभुवनभवनेषूत्तमः;.....
स्नानशीलरमणीतनुलग्नहरिचन्दनसौरभसुरभितः कासार,..... राजप्रासादश्चकाशे ।¹⁴

अर्थात् उस राजा अज का.....तीनों भुवनों के भवनों में उत्तम..... स्नान करने वाली स्त्रियों के शरीर पर लगे हुए हरिचन्दन की सुगन्ध से सुगन्धित तालाब वाला.....राजमहल सुशोभित था ।

प्रस्तुत गद्यांश में 'त्रिभुवनभवनेषूत्तमः' पदसमूह में भ्, व्, न् व्यंजन वर्णों की उसी क्रम तथा स्वरूप से समानता है तथा स्वरों में विषमता है । पुनः 'सौरभसुरभितः' पदसमूह में स्, र्, भ् व्यंजन समूह की उसी क्रम तथा स्वरूप से आवृत्ति है एवं स्वरों की भिन्नता है । अतः यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है ।

यमक :

जहाँ पर सार्थक शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ होने पर स्वर-व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति हो उसे यमक कहते हैं । इसमें कहीं पर एक पद सार्थक तथा दूसरा पद निरर्थक होने पर भी यमक अलंकार होता है ।¹⁵

यथा –

स्वपुरुहूर्म×जुलता गर्वाजी ललितललितबिज्ञा
.....हरिणीनाम्नी देवांगना.....सा×जलिरगादीत् ।।¹⁶

अर्थात् अपनी सुन्दरता पर अभिमान करने वाली, सुन्दर हावभाव में कुशल-हरिणी नाम की अप्सरा...हाथ जोड़कर बोली ।

13. छेको व्यंजनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकधा । सा. द., 10.3

14. स. वि., 2/पृ. 24-25

15. सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यंजनसंहतेः ।

क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते ।। सा. द., 10.08

16. स. वि., 4/पृ. 87

यहाँ पर 'ललित-ललित' पद की आवृत्ति हुई है । प्रथम ललित शब्द का अर्थ 'सुन्दर' तथा द्वितीय ललित शब्द का अर्थ 'हावभाव' है । सार्थक व्यंजनसमूह की आवृत्ति होने पर तथा अर्थ भिन्न होने पर यहाँ पर यमक अलंकार है ।

निदर्शना : वस्तुसम्बन्ध के सम्भव होने और असम्भव होने पर दोनों वाक्यार्थों के बीच बिम्बप्रतिबिम्बभाव की कल्पना करना निदर्शना अलंकार कहलाता है ।¹⁷

उदाहरणार्थ –

स यावदेव पितृपतिगोपितां दिशं प्रतिमुखं विदधाति तावदेव सेनापति सा×जलिखोचद्-युवराज । सा हरित् त्रिलोकविजयिना रावणेनाधिष्ठिता । स भवता कदापि जेयो न विद्यते — तज्जयनं भुजाभ्यां समुद्रतरणमस्ति ।¹⁸

अर्थात् जब वह (दशरथ) दक्षिण दिशा की ओर मुख करता है तब सेनापति हाथजोड़कर कहता है कि युवराज उस दिशा पर त्रिलोक विजयी रावण का अधिकार है । उसको आप कभी भी जीत नहीं सकते । उसको जीतना तो भुजाओं से समुद्र पार करना है ।

प्रस्तुत गद्यांश में दोनों वाक्यार्थों अर्थात् त्रिलोकविजयी रावण को जीतना और 'भुजाओं से समुद्र पार करना' में सम्बन्ध अनुपपन्न है, किन्तु अन्त में इसकी विभ्रान्ति इस सादृश्य में होती है कि त्रिलोकविजयी रावण को जीतना उतना ही दुष्कर है, जितना भुजाओं से समुद्र पार करना । इस प्रकार दोनों वाक्यार्थों के बीच बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव की कल्पना होने से यहाँ निदर्शना अलंकार है ।

विनोक्ति :

जहाँ पर एक वस्तु के बिना दूसरी वस्तु शोभित अथवा अशोभित वर्णित की जाए, वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है ।¹⁹ विनोक्ति का अर्थ है – बिना शब्द के अर्थ की उक्ति । इसमें बिना, हीन, रहित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । शोभन अथवा अशोभन दोनों ही स्थितियों में यह अलंकार होता है ।

यथा – एकदा स चिन्ता जलनिधि निमग्नः किञ्चिच्चिन्तयामास । अहो! इन्दुमतीं बिना शून्यमिदं राजभवनं मां कर्तितुमशितुं च धावति ।

17. सम्भवन् वस्तुसम्बन्धोऽसम्भवन् वाऽपि कुत्रचित् ।

यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्सा निदर्शना ॥ सा. द., 10.51

18. स. वि., 6/पृ. 158

19. विनोक्तिर्यदिनान्येन वा साध्वन्यदसाधु वा ॥ सा. द., 10.56

अर्थात् एक बार वह (अज) चिन्ता रूपी समुद्र में डूबा हुआ सोच रहा था कि इन्दुमती के बिना सूना यह राजभवन मुझे काटने और खाने के लिए दौड़ता है ।

यहाँ पर इन्दुमती के अभाव में राजमहल की अशोभनता का वर्णन किया गया है । अतः विनोक्ति अलंकार है ।²⁰

विरोध :

विरोध अलंकार में दो विरोधी पदार्थ एक ही आश्रय में वर्णित होते हैं । पहले विरोध की प्रतीति होती है, जैसे ही प्रसंगप्राप्त अर्थ स्पष्ट होता है तो विरोध हट जाता है । विरोधालंकार वहीं होता है, जहाँ एक देश में ही स्थित वस्तुओं का विरोध हो । आचार्य विश्वनाथ के अनुसार – जाति जहाँ पर जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यों के साथ विरुद्ध भासित हो, गुण, गुणादिक तीन के साथ, क्रिया, क्रिया और द्रव्य के साथ एवं द्रव्य, द्रव्य के साथ विरुद्ध भासित हो तो वहाँ विरोधालंकार होता है ।²¹ यह उपरोक्त रूप से दस प्रकार का होता है ।

यथा –

...नवनीतमृदुलोऽपि समराङ्गणेऽयसोऽपि दृढतरः..... अजनामधेयः पार्थिव आसीत् ।²²

अर्थात् मक्खन सा कोमल होने पर भी युद्धभूमि में लोहे से अधिक मजबूत अज नाम का राजा था ।

यहाँ एक ही अज में स्थित 'मृदुलता' और 'दृढता' इन परस्पर विरोधी गुणों का वर्णन है, अतः यहाँ विरोध अलंकार है ।

अन्योन्य :

जब दो पदार्थ एक ही क्रिया को एक-दूसरे के प्रति प्रतिपादित करें अथवा परस्पर करें, तब अन्योन्य अलंकार कहलाता है ।²³

यथा – स्वधर्मः प्राणपणेन रक्षणीयः । या जातिर्मानवश्च स्वधर्मं हन्ति जहाति वा, स हतो धर्मस्तांतं चऽमूलाद् विनाश्य रसातलं गमयति ।

20. स. वि., 5/पृ. 94

21. जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्गुणो गुणादिभिः त्रिभिः ।

क्रिया क्रिया द्रव्याभ्या यद् द्रव्यं द्रव्येण वामिथः ।।

विरुद्धमेव भासेत् विरोधोऽसौ दशाकृतिः । सा. द., 10.68-69

22. स. वि., 2/पृ. 22

23. अन्योन्यमुभयोरेक क्रियायाः करणं मिथः । सा. द., 10.73

अर्थात् अपने धर्म की रक्षा प्राण देकर भी करनी चाहिए । जो मनुष्य अथवा जाति अपने धर्म को मार देता है या छोड़ देता है, वह मरा हुआ धर्म, उस जाति और मनुष्य को जड़ से नष्ट करके पाताल में पहुंचा देता है ।

यहाँ पर जाति और मानव द्वारा धर्महनन रूप क्रिया करना तथा विनष्ट धर्म के द्वारा जाति और मानव का हनन (विनाश) रूप क्रिया करना वर्णित है । अतः परस्पर एक ही (विनाश रूप) क्रिया करने का वर्णन होने से यहां अन्योन्य अलंकार है ।²⁴

अपहनुति :

जहाँ प्रकृत (उपमेय) का निषेध करके अन्य अर्थात् (उपमान) की स्थापना की जाती है, वहाँ अपहनुति अलंकार होता है ।²⁵ अपहनुति का अर्थ है – गोपन या छिपाना । इसमें प्रकृत (उपमेय) को छिपाकर अप्रकृत (उपमान) का स्थापन किया जाता है ।

उदाहरणार्थ –

सतीविजय के सप्तम परिच्छेद में दशरथ और कौशल्या के विवाह के अवसर पर सिंहनियों की गर्जना में विवाहगीतों की स्थापना की गई है –

‘सिंहीगणो गर्जनाव्याजेन विवाहगीतानि गायति ।’²⁶

प्रस्तुत उद्धरण में शेरनियों की गर्जना ध्वनि (प्रकृत) का निषेध करके विवाहगीत (अप्रकृत) की स्थापना की गई है, अतः यहाँ अपहनुति अलंकार है ।

पर्याय :

जहां पर एक वस्तु अनेकों में अथवा अनेक वस्तु एक में क्रम से निर्दिष्ट हो अथवा कही जाए तो पर्याय अलंकार होता है । एक वस्तु का अनेक में तथा अनेक वस्तुओं का एक में कथन होने से दो प्रकार का पर्याय अलंकार होता है ।²⁷

यथा – एवं मधुमासं प्रशंसन्त्या अधस्ताद् प्रजन्त्या महिष्याः शिरसि विरपिनः कमनीयं पूर्णप्रफुल्लमरुणवर्णप्रदीप्तं मनोहरं प्रियपरिमलं पृथुकुसुममापतितम् । पुनस्तन्नवनीतकोमलकपोलं पीनपयोधरौ च स्पृशत् करमध्यगतं बभूव ।²⁸

24. स. वि., 5/पृ.131

25. प्रकृतं प्रतिषिद्धान्यस्थापनं स्यादपहनुतिः । सा. द., 10.38

26. स. वि., 7/पृ. 177

27. क्वचिदेकमनेकस्मिन्नेकं चैकगं क्रमात् ।

भवति क्रियते वा चेतदा पर्याय इष्यते ।। सा. द., 10.80

अर्थात् वसंत ऋतु की प्रशंसा करते हुए, नीचे से जाती हुई रानी के सिर पर वृक्ष से सुन्दर, खिला हुआ लाल रंग से चमकता हुआ, सुन्दर सुगन्ध वाला बड़ा फूल आ पड़ा । फिर वह मक्खन से कोमल गाल और ऊँचे स्तनों का स्पर्श करता हुआ हाथों में आ गया । यहां पर एक पदार्थ 'कुसुम' का रानी के सिर, गाल स्तनों से हाथ तक अनेक स्थानों पर क्रम से जाने पर पर्याय अलंकार दृष्टिगोचर होता है ।

समाधि :

भाग्यवश आई हुई किसी वस्तु के कारण यदि प्रस्तुत कार्य सुगम अथवा सुकर हो जाए तो समाधि अलंकार होता है ।²⁹ यथा—

सा खण्डिता तरिर्वहमाना तत्रैव प्रपन्ना, यत्र तटनीतटात् पयसि पतितेन विशालपादपेन सा रावणक्षिप्ता मञ्जूषा निरुद्धा आसीत् विधिवशात् तेषां खण्डिततरिखण्डं तमेव दारुपिटकमाश्लिषद् यस्मिन् सा कौशल्या निरुद्धाऽऽसीत् ।³⁰ अर्थात् वह टूटी हुई नौका बहती हुई वहां ही पहुंच गई, जहाँ नदी के किनारे से पानी में गिरे हुए विशाल वृक्ष ने वह रावण द्वारा फेंकी हुई पेटी रोकी हुई थी । भाग्यवश उनका, टूटा हुआ नौका का टुकड़ा उसी पेटी के साथ मिल गया, जिसमें कौशल्या बन्द थी । प्रस्तुत गद्यांश में दशरथ की टूटी हुई नौका का भाग्यवश उसी पेटी से मिलने पर, जिसमें कौशल्य बन्द है, दशरथ और कौशल्या का मिलन से विवाह रूप कार्य सुगम हो जाता है । अतः यहां पर समाधि अलंकार है ।

तद्गुण :

अपने गुणों को छोड़कर अत्यन्त उत्कृष्ट के गुणों का ग्रहण करने से तद्गुण अलंकार होता है ।³¹ इसमें बलवत्तर पदार्थ के गुण को अल्प गुणवाला पदार्थ ग्रहण कर अपने गुण का त्याग कर देता है ।

यथा — मौक्तिकसमरदनावलि प्रभया सितीकृत—
वक्त्रारविन्द पुरो भ्राम्यद् भ्रमरो ।³²

अर्थात् मोतियों के समान दान्तों की पंक्ति की कान्ति से जिसने मुखरूपी कमल के आगे घूमते हुए भौरों को सफेद कर दिया ।

28. स. वि., 2/पृ. 34

29. समाधि: सुकरे कार्ये दैवाद्दस्त्वन्तरागमात् । सा. द., 10.86

30. स. वि., 7/पृ. 174

31. तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुण ग्रहः । सा. द., 10.90

32. स. वि., 2/पृ. 22

प्रस्तुत उद्धरण में भ्रमरों के द्वारा अपने गुण कृष्ण वर्ण को छोड़कर दांतों की पंक्ति के श्वेत वर्ण (रूप अन्य के उत्कृष्ट गुण को) प्राप्त करने का वर्णन है, अतः यहाँ तद्गुण अलंकार है ।

उभयालंकार यद्यपि प्रस्तुत गद्यकाव्य में संकर एवं संसृष्टि दोनों उभयालंकारों की योजना दृष्टिगत होती है । यहाँ पर केवल संकर अलंकार का विवेचन प्रस्तुत किया गया है ।

संकर :

इसमें अनेक अलंकार इस प्रकार मिले रहते हैं कि उनको पृथक् नहीं किया जा सकता अर्थात् नीरक्षीर न्याय के अनुसार परस्पर मिले हुए अलंकारों को संकर कहते हैं । आचार्य विश्वनाथ ने संकर अलंकार के तीन भेदों का वर्णन किया है – एक तो जहाँ कई अलंकारों में अंगांगिभाव हो, दूसरा जहाँ एक ही आश्रय में अनेक अलंकारों की स्थिति हो तथा तीसरा जहाँ कई अलंकारों का सन्देह होता है ।³³

यथा – शोषितसकलसरित्सरोवरसलिलस्तनुतनुकृत तरंगिणी प्रवाहो, निखिलसंसृतिं दग्धुकाम इव दहनं वर्षयन्निव निदाघकालः समागत ।

अर्थात् सारी नदियों और तालाबों का पानी जिसने सुखा दिया है, जिसने नदियों का प्रवाह पतले शरीर वाला कर दिया है, मानों सारी सृष्टि को जलाने की इच्छा वाला, मानों आग बरसाता हुआ सा ग्रीष्म ऋतु का समय आ गया ।

प्रस्तुत गद्यांश में 'सकलसरित्सरोवरसलिलस्तनुतनुकृततरंगिणी प्रवाहो' पदसमूह में दन्त्य वर्णों 'स्' 'त' और 'न्' की अनेकशः आवृत्ति होने से श्रुत्यनुप्रास है । 'तनु-तनु' शब्द की आवृत्ति में प्रथम 'तुन' का अर्थ 'पतला' तथा दूसरे 'तनु' शब्द का अर्थ 'शरीर' है । अतः सार्थक व्यंजन समूह की आवृत्ति होने पर तथा अर्थ भिन्न होने पर यमक अलंकार है ।

यहाँ पर 'तनुतनुकृततरंगिणी' इस एक ही पदसमूह में परस्पर आश्रित श्रुत्यनुप्रास और यमक अलंकार की योजना में संकर अलंकार दृष्टिगोचर होता है ।

33. अङ्गङ्गित्वेऽलंकृतीनां तद्वदेकाश्रयस्थितौ ।

संदिग्धत्वे च भवति संकरः त्रिविधः पुनः ॥ सा. द., 10.99

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निपुराण, सं. आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी, 1966
2. अलंकारानुशीलन, डॉ. राजवंश सहाय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1970
3. अष्टाध्यायी, (पाणिनि) चौखम्बा सुरभरती प्रकाशन, वाराणसी, 1976
4. काव्यप्रकाश, (मम्मट) सं. श्रीनिवास शास्त्री, साहित्य भण्डार, मेरठ ।
5. काव्यमीमांसा (राजशेखर) सं. गंगा सागरराय, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी ।
6. काव्यादर्श (दण्डी) सं. आचार्य रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी ।
7. काव्यालंकार (भामह) सं. आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, काशी
8. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति (वामन) सं. डॉ. रेवाप्रसाद द्विवेदी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
9. चन्द्रालोक (जयदेव) डॉ. सुरेन्द्रदेव शास्त्री, चौखम्बा संस्कृत ऑथफस, वाराणसी ।
10. सतीविजय (जयनारायणयात्री) 3जी स्कूल कम कनाल एरिया नीलोखेड़ी, करनाल, हरियाणा ।
11. साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) साहित्यभण्डार मेरठ, 1997

समकालीन परिस्थितियों में शांति शिक्षा में उपकरण के रूप में योग



डा. भारती कौशल
सहायकाचार्या (अतिथि),
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली, भारत।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 35-40

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 15 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांश- वर्तमानकालिक जीवन अपने सभी पहलुओं में अधिकाधिक हिंसा और संघर्षों से ग्रस्त होता जा रहा है, वहाँ दूसरी ओर संघर्षों को हल करने और प्रतिदिन मानवीय अस्तित्व बनाए रखने में शांति प्राप्त करने हेतु बढ़ती चिंता विचारणीय विषय है। इस गहन चिंता ने विश्व स्तर पर शांति शिक्षा के अनुप्रयोग में स्वयं की महत्ता को व्यक्त किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में यह अहसास बढ़ रहा है कि बच्चों को शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वर्धमानिक पीढ़ी शांति के मूल्य को आत्मसात करे ताकि उभरती विश्व व्यवस्था शांति की संस्कृति पर आधारित हो। चूंकि समाज में शांति मानव मनस के भीतर शांति की अभिव्यक्ति है, इसलिए उचित साधनों को अपनाकर आंतरिक शांति का पोषण करना महत्वपूर्ण है। कई अभ्यासकर्ताओं द्वारा यह बताया गया है कि योग आंतरिक शांति उत्पन्न करने में प्रभावी है। इसी तथ्यात्मक पहलू पर दृष्टिपात डालने का प्रयास प्रस्तुत पत्र के माध्यम से किया गया है।

मुख्य बिन्दु : शांति शिक्षा, मानव मनस, योग।

परिचय - सम्प्रति शांति शिक्षा को व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैश्विक रूप से अपनाने की जरूरत है। शांतिपूर्ण मनोभावों के साथ जीवन जीने के लिए व्यक्ति का निर्माण करना ही शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। जीवन में आज यह अहसास बढ़ता जा रहा है कि बच्चों को शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाई जानी चाहिए। यह एक सार्वभौमिक रूप से साझा दृष्टिकोण है कि हम एक विकसित दुनिया के बीच आतंकवाद, युद्ध, अपराध, अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के रूप में अभूतपूर्व हिंसा के युग में रह रहे हैं, जो संपन्नता और भौतिक बहुतायत से चिह्नित है, जिसे कुछ लोगों ने प्रसन्नता से अपना लिया है। बच्चे स्वाभाविक रूप से हिंसा की भावना को आत्मसात कर लेते हैं, जो पूरे सामाजिक, सांस्कृतिक ताने-बाने को घेर लेती है और जल्द ही यह हिंसा के अगली पीढ़ी में अपराधी प्रवृत्ति रूप में नजर आएगी। इस तरह की आपदा

को रोकने के लिए यह सबसे आवश्यक है कि बच्चों को शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों और कौशल को आत्मसात करने और विकसित करने में मदद की जाए। इसके लिए एक शांति, घटक को शिक्षा की प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए। जिन छात्रों को अपनी समस्याओं को हल करने का अधिकार दिया जाता है और उन्हें सकारात्मक नेतृत्व का प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं, वे धीरे-धीरे दूसरों की तुलना में कम हिंसक हो जाते हैं और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सक्षम हो जाते हैं। कहा भी गया है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति मानव मस्तिष्क की उपज है मानव के मस्तिष्क में शांति रक्षा के विचार का प्रस्फुटन होना चाहिए।

हमें इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि हम में अभी भी इस बात की समझ का बहुत अभाव है कि वास्तव में 'शांति क्या है?' समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, शिक्षाविदों के द्वारा शांति को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है-

i) **सकारात्मक शांति और नकारात्मक शांति-** शांति का अर्थ केवल खुली हिंसा और युद्ध का अभाव नहीं है, बल्कि सभी रूपों में हिंसा का उन्मूलन है जैसे हिंसक संघर्ष, जीवन के लिए खतरा, सामाजिक मूल्यों का हास, भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण, दरिद्रता, नैतिक मूल्यों का अभाव, अन्याय आदि। शांति तब तक वास्तविकता नहीं बन सकती जब तक समाज में स्वाभाविक रूप से हिंसक सामाजिक संरचनाएं उपस्थित हैं। शांति के प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार स्वाभाविक रूप से तात्पर्य है कि शांति एक बाह्य घटना है। दूसरा एक अलग दृष्टिकोण है जो मानता है कि शांति मुख्य रूप से एक आंतरिक कारक है। जो व्यक्ति के भीतर है जो यह सुझाव देता है कि शांति की व्याख्या सकारात्मक शब्दों में की जा सकती है और की जानी चाहिए यथा स्वास्थ्य, संतोष और (आर्थिक) भलाई की उपस्थिति।

ii) **आंतरिक शांति, सामाजिक शांति और ब्रह्मांडीय शांति-**

1. **आंतरिक शांति:** यह मानव व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों के उचित एकीकरण के माध्यम से प्राप्त सद्भाव और शांति को इंगित करता है जिसमें अच्छा स्वास्थ्य, और आंतरिक संघर्षों की अनुपस्थिति, संवेदनशीलता, खुशी, स्वतंत्रता की भावना आदि सम्मिलित हैं।

2. **सामाजिक शांति:** सामाजिक शांति अर्थात् पारस्परिक शांति यानी... साथी मनुष्यों के बीच शांति, सभी स्तरों पर स्वस्थ मानव संबंधों से उत्पन्न सद्भाव, जिसमें सामंजस्य, समाधान और संघर्षों का परिवर्तन, प्रेम, मित्रता शामिल है। एकता, आपसी समझ, स्वीकृति, सहयोग, भाईचारा, मतभेदों की सहनशीलता, सामुदायिक निर्माण, मानवाधिकार, नैतिकता आदि सामाजिक शांति के दौरान परिलक्षित होते हैं।

3. **ब्रह्मांडीय शांति या प्रकृति के साथ शांति:** हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और धरती मां के साथ सामंजस्य स्थापित करना और बनाए रखना। अगर हम महात्मा गांधीजी के द्वारा जीवन में दर्शाए गए अहिंसा के पथ पर अग्रसारित होने पर शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। कहा भी गया है- **अहिंसा परमो धर्मः**। आइए हम एक साथ हाथ मिलाएं और शांति के लिए प्रार्थना करें, शांति के लिए काम करें और सभी को शांति और सद्भाव से रहने दें। ऋग्वेद में भी वर्णित है-

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

शांति शिक्षा की परिभाषा :

मन की स्थिर अवस्था को शांति कहा जाता है। परन्तु फिर भी विद्वानों द्वारा शिक्षा और शांति शिक्षक को परिभाषित करना कठिन कार्य माना गया है, क्योंकि यह शिक्षा का एक विकसित और गतिशील क्षेत्र है। शांति शिक्षा को विभिन्न रूप से संघर्ष, समाधान, प्रशिक्षण, मानवाधिकार शिक्षा, लोकतंत्र शिक्षा आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। यूनिसेफ के

अनुसार- शांति शिक्षा व्यावहारिक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जो बच्चों, युवाओं और वयस्कों को संघर्ष और हिंसा को रोकने के लिए सक्षम बनाती है, दोनों खुले और संरचनात्मक; शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षों को हल करने के लिए; और शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए, चाहे वह अन्तरा-वैयक्तिक, अन्तर्वैयक्तिक, अन्तर्समूह, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थ बनाती है। शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की चेतना बढ़ाना, दृष्टि और कार्यवाही के माध्यम से हिंसा के विभिन्न रूपों को कम करना और अंततः समाप्त करना है। इस प्रकार, शांति शिक्षा मुख्य रूप से क्रिया उन्मुख है, जो एक अहिंसक, उज्ज्वल भविष्य की ओर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है।

शांति शिक्षा को लागू करने और इस प्रकार शांति की संस्कृति बनाने का प्रयास करते हुए, यह देखा गया है कि स्कूल कई स्पष्ट और यहां तक कि मात्रात्मक लाभ अर्जित करने के लिए खड़े हैं।

शांति व्यवहार के घटक : शांति व्यवहार के दस बुनियादी घटक जिन्हें शांति के कुछ प्रमुख घोषित उद्देश्यों के रूप में माना जाता है।

* सकारात्मक सोच - इसमें स्वयं में सकारात्मक आत्म-अवधारणा का निर्माण शामिल है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से मदद मिलती है कि व्यक्ति खुद को और जीवन को सभी रूपों में महत्व देता है।

* अनुकंपा: अनुकंपा से अभिप्राय है-प्रेम, दया, मित्रता जैसे सहानुभूतिपूर्ण गुण होना और दूसरों को कोई हानि न पहुंचाना।

* आंतरिक शांति: - एक विषय के रूप में आंतरिक शांति स्वयं के मनोवैज्ञानिक संघर्षों के समाधान और उससे जुड़ी समस्याएं और मन की शांति की खोज से सम्बन्धित है। इसमें स्वयं को समझने के तरीके और विचार की प्रक्रिया शामिल है। भावनाओं को नियंत्रित करना जैसे क्रोध, मन सुखदायक कला आदि।

* अपने लिए सच्चे व ईमानदार बनें: - अपने प्रति सच्चे व ईमानदार से अभिप्राय है। स्वयं के चरित्र की ताकत को पहचानना, ईमानदार और पारदर्शी होना। दूसरों को निराश किए बिना अपनी जरूरतों, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना, व्यवहार में कौशल से समस्याओं को हल करने और प्रभावी सामाजिक संपर्क के लिए यह आवश्यक है।

* साथ रहना :- लोगों को समूह में दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाकर काम करना सीखना चाहिए। एक साथ रहते हुए विषय को साझा करने, आपसी सहायता, विश्वास निर्माण, समूह की जिम्मेदारी लेने, नेतृत्व करने और अनुसरण करने जैसे उप-विषयों को समायोजित कर इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। सीखने का सहयोग मनुष्य में अहंकारी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति को कम करता है।

* समालोचनात्मक सोच - नागरिकों की ओर से आलोचनात्मक सोच एक लोकतांत्रिक समाज की एक आवश्यक विशेषता है। इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, किसी मुद्दे के दूसरे पक्षों को देखना, संघर्ष समाधान के लिए विकल्प के लिए संघर्ष और तार्किक सोच शामिल है।

* अहिंसक संघर्ष समाधान: इसमें ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे विश्लेषण, बातचीत, सक्रिय सुनना, मध्यस्थता, रचनात्मक समस्या-समाधान और वैकल्पिक समाधान तलाशना आदि।

* मानव गरिमा का सम्मान: मानव गरिमा का सम्मान मानव अधिकारों, कर्तव्यों और न्याय की अवधारणाओं पर आधारित है। यह एक ऐसी चेतना विकसित करने का प्रयास करता है जो अपने और दूसरों के अधिकारों को पहचानती है और उनका सम्मान करती है।

* समुदाय में शांति: - समुदाय में शांति का निर्माण करने का अर्थ है अपने सदस्यों को सामाजिक वास्तविकताओं के लिए खुली सोच होना और लोगों की समस्याओं को समझने और उनके साथ काम करने का अवसर प्रदान करना।

* ग्रह की देखभाल: ग्रह दशाओं का मानव जाति के स्वास्थ्य पर सीधा और तत्काल प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण की प्रशंसा, पुनः उपयोग, मरम्मत, प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्चक्रण आदि जैसे मूल्य इस विषय में शामिल हैं।

योग का महत्व:- महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्र में वर्णित है - 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात् चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। मनको स्थिर रखने के लिए योग महत्वपूर्ण साधन है। मन की स्थिर अवस्था हेतु शांति शिक्षा तब अधिक प्रभावी और सार्थक होती है जब इसे किसी देश के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ और जरूरतों के अनुकूल बनाया जाता है। इसे अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ-साथ सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से समृद्ध किया जाना चाहिए। शांति, युद्ध के रूप में, मानव मन में उत्पन्न होती है और इसलिए शांति को एक वास्तविकता बनने के लिए, किसी का मन शांतिपूर्ण होना चाहिए; दूसरे शब्दों में आंतरिक शांति होनी चाहिए। योग आंतरिक शांति और खुशी की उपलब्धि में योगदान देता है। योग जीवन का एक तरीका है - शरीर, मन और आंतरिक आत्मा के लाभ के लिए धार्मिक जीवन या एकीकृत प्रणाली की एक कला योग है। योग को एक वैज्ञानिक प्रणाली में व्यवस्थित करने का मुख्य श्रेय पतंजलि (लगभग 700 ईसा पूर्व) को जाता है, जिसका महान कृति योग सूत्र, योग के विषय पर सबसे प्रामाणिक पाठ माना जाता है।

योग का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति है। शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु पतंजलि ने आठ मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जानते हैं-

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि।

योग अनुशासन के चरण। वे हैं:

यम- (योग की तैयारी के लिए नैतिक प्रशिक्षण के माध्यम से आंतरिक शुद्धि)

नियम - (स्वच्छता, संतोष, वैराग्य, अध्ययन और भगवान की पूजा)

आसन-शारीरिक मुद्राएं या व्यायाम

प्राणायाम- (महत्वपूर्ण ऊर्जा का नियंत्रण / श्वास नियंत्रण)

प्रत्याहार- (इंद्रियों को बाहर निकालना/मन को आत्मनिरीक्षण करना)

धारणा- (मन की एकाग्रता)

ध्यान- (ध्यान)

समाधि- (ध्यान की उच्च अवस्था)

यह बताया गया है कि योग का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों ने जबर्दस्त आंतरिक परिवर्तनों का अनुभव किया है जिससे उनके व्यक्तित्व को काफी रचनात्मक तरीके से मजबूत किया गया है। कुछ मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वालों ने कहा है कि योग हैं:

- * तनाव में कमी
- * लचीलेपन की बहाली
- * मन को मानसिक अशांति से मुक्त करना
- * घबराहट, चिड़चिड़ापन और भ्रम में कमी
- * अवसाद और मानसिक थकान से बचा जाता है
- * समस्याओं से निपटने के लिए सतर्कता, ध्यान और इच्छा को पुनर्जीवित करें
- * स्वयं को महसूस करें और अपने आस-पास के मुद्दों को समझें

* आत्म-ज्ञान में वृद्धि करें।

* शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और विश्राम प्राप्त करें और बनाए रखें।

समस्त विश्व में अशांतिमय वातावरण बना हुआ है। अधिकांशतः मानव असामान्य व कुंठाग्रस्त जीवन जी रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है योग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यक्ति अगर योग को अपने जीवन में अपना ले तो वह समस्त संसार को शांति का मार्ग प्रशस्त करते हुए एकता के सूत्र में पिरो सकता है। विश्व अशांति का मुख्य कारण मानव का स्वार्थी स्वभाव, लालच व विषय-वासनाओं आदि में लिप्त होना है। समस्त विषय-वासना का शमन करने के लिए उपर्युक्त यौगिक क्रियाओं से बढ़कर कुछ नहीं है मानव जीवन के समग्र विकास के लिए योग संजीवनी है। ऐसा कहा जाता है कि योग अपने स्वयं के सच्चे स्व को खोजने और वास्तविक आनंद अनुभूति प्राप्त करने में सहायक है जिसे जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। योग के अभ्यास से एक व्यक्ति को जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, यह है कि वह अपने स्वयं के पूर्ण आदेश को प्राप्त कर लेता है। आज, जब दुनिया गला काटने की प्रतियोगिता की दौड़ में लगी हुई है, योग सार्वभौमिक प्रेम और करुणा के संदेश के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया में शांति और सद्भाव पैदा करने के लिए हमें सबसे पहले यह खोजना होगा कि यह शांति और सद्भाव व्यक्तियों के भीतर पैदा हो। योग हमें व्यक्तियों को शारीरिक रूप से सशक्त बनाकर आत्म-खोज की इस मार्ग को प्राप्त करने में मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाता है-

- योग का अभ्यास सकारात्मक सोच, आंतरिक शांति, करुणा, अहिंसक संघर्ष समाधान के लिए कौशल, स्वयं और दूसरों के लिए सम्मान आदि जैसे गुणों को विकसित करने में मदद करता है, जिन्हें शांति व्यवहार के घटक के रूप में माना जाता है। दूसरे शब्दों में, योग का अभ्यास शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास में मदद करता है। ध्यान, योग का सातवां चरण, अपने भीतर विश्राम और तनाव से राहत का एक शांतिपूर्ण अन्तर्मन खोजने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है।
- आसनों / योग मुद्राओं के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद मिलती है और मन को बल मिलता है।
- योग दृढ़ता के साथ दर्द और दुख को झेलने की शक्ति एवं मानसिक सिद्धि की ओर ले जाता है।
- संतुलन और शांति के साथ ही प्राणायाम सही श्वास तकनीक के माध्यम से श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने मन को शांत रखने में मदद मिलती है।
- हम अपनी जीवन ऊर्जा को रचनात्मक उपयोग में लगाते हैं। यह तनाव को दूर करने और मन की एक शांत अवस्था विकसित करने में भी मदद करता है।
- प्राणायाम का अभ्यास हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को सुगम बनाता है और इसे इष्टतम पर रखता है, यह हमारे लिए एक सहायक बन जाता है।

योग रचनात्मक सोच विकसित करने, मानसिक स्पष्टता बनाए रखने, सतर्कता में सुधार करता है। योग-निद्रा व आसन हमारे पूरे शारीरिक और मानसिक तंत्र को आराम देता है, इस प्रकार शरीर और दिमाग को पूरी तरह से तरोताजा कर देता है। चूंकि शांति शिक्षा का उद्देश्य मानवीय मूल्यों की गहरी जड़ें वाली परंपरा के ढांचे के भीतर बच्चों का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और नैतिक-आध्यात्मिक विकास करना है, और जैसा कि योग के अभ्यास में उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक

सिद्ध रिकॉर्ड रहा है, यह मानना तर्कसंगत है कि दोनों का उचित एकीकरण निश्चित रूप से शांति की संस्कृति बनाने में मदद करेगा।

निष्कर्ष- आज उभरते वैश्विक समाज में संकुचित राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक रूढ़ियों के स्थान पर अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता व सद्भाव एवं अनेकता और विविधता के बोध के साथ ही अहिंसा और सहिष्णुता की संस्कृति की स्थापना की आवश्यकता है। शांति शिक्षा के द्वारा समाज में शांति की संस्कृति, सहिष्णुता, प्रजातांत्रिक मूल्य, मानवाधिकार ,कर्तव्य बोध स्थापित किया जा सकते हैं। मारिया मांटेसरी ने कहा है –संपूर्ण शिक्षा 'शांति' के लिए है। जहाँ शांति शिक्षा, शांति से जीवन जीने की कला सिखाती है, वहीं योग मानसिक, शारीरिक व चित्त से सम्बन्धित संक्रियाओं में सामंजस्य बनाने के लिए साधन प्रदान करता है। अतः शांति शिक्षा को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता के रूप में पहचाना गया है। आतंकवाद, युद्ध, अपराध, अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के रूप में अनिश्चितता और हिंसा के वर्तमान युग में, मन, वचन और कर्म में 'शांति' को मानवीय चेतना में जीवित रखने की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिए गांधीजी के प्रेम या अहिंसा के नियम की पुनर्खोज और अनुप्रयोग निस्संदेह सबसे प्रभावी साधन हैं। शांति शिक्षा के लिए एक गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए शांति और अहिंसा के सांस्कृतिक युग में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त होगा। निश्चय ही शांति की संस्कृति का निर्माण करना कठिन है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शांति शिक्षा को अधिक स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या में शांति को एकीकृत करने के विभिन्न आयामों को भी अपनाया जाना चाहिए। हमारे घरों, विद्यालयों ,अन्य सभी संस्थानों को अधिक शांतिपूर्ण और शांति उन्मुख बनाने के लिए सचेत और अथक प्रयास किए जाने चाहिए ताकि शांतिभाव मानव में एक स्थायी रूप से विकसित हो और अनुभवात्मक वास्तविकता बन जाए, जो योग द्वारा सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- 1.जैन, राजीव ,सम्पूर्ण योग विद्या,ई- बुक
<https://freehindipustakalya.blogspot.com>
- 2.Shanti Shiksha evam Stata Vikas
<https://www.dietmathura.org>
- 3.Yoga and Peace
<https://www.jagran.com>

राष्ट्रीय मूल्यों में अध्यापक की भूमिका



दीपक कुमार पाठक

शोधछात्र, शिक्षा शास्त्र विभाग,
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारत।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number: 41-44

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

शोध सारंश – राष्ट्रीय मूल्य प्रत्येक नागरिक को अपने देश के प्रति कर्तव्य बोध कराता है जिससे उसे अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम का भाव उत्पन्न हो और जो हमारे राष्ट्र के लिए प्रगति का मार्ग प्रसस्त करता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक संदेश दिया था – “हमें अपने देश की नवजात स्वतंत्रता को सफल बनाना और सुरक्षित रखना अपना सर्वप्रथम कर्तव्य रखना चाहिए। यदि हम अपने समूह, अपने राज्य, अपनी भाषा या अपनी जाति के समान किसी, अन्य बात को महत्व देंगे और अपने देश को भूल जाएंगे, तो हमारा विनाश अवश्यम्भावी है। इन बातों का हमारे जीवन में उचित स्थान होना चाहिए, परन्तु यदि हम इनको अपने देश से अधिक महत्व देंगे तो हमारा अंत अवश्य है। राष्ट्रीय मूल्यों की भावना एक सच्चे समाज सेवक को राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने की प्रेरणा देती है। इस भावना से अभिभूत होकर एक सच्चा देश का सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारा राष्ट्र, भाषावाद, क्षेत्रवाद और संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होकर अपने देश की अखण्डता के लिए खतरा बना हुआ है। देश के निवासियों, राजनेताओं, समाजनेताओं को अपने देश की अखण्डता व एकता से पहले अपने नितान्त व्यक्तित्व स्वार्थ आने लगे हैं जो देश की राष्ट्रीय मूल्यों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। राष्ट्रीय मूल्य और राष्ट्र के प्रति भाव बनाए रखना आज की आवश्यकता बन गई है। हमारे अध्यापक वर्ग, समाज नेताओं व राजनेताओं को इसमें पूर्ण योगदान देना चाहिए और संकीर्णता की भावना को त्याग देना चाहिए। तभी देश की आवश्यकता व एकता बनी रहेगी और खतरा दूर किया जा सकता है क्योंकि आज संपूर्ण विश्व राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्भर है।

मुख्यशब्द– राष्ट्रीय, मूल्य, अध्यापक, समाज, क्षेत्रवाद।

भूमिका – हमारे जीवन में मूल्यों का अमूल्य स्थान है। किसी समाज व राष्ट्र का निर्माण के लिए हमें एक व्यापक दृष्टि की जरूरत होती है। शिक्षा वह है जो विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के अलावा नयी चीजें, सोचने समझने को प्रेरित करें, जो उन्हें जाति धर्म के भेदभाव से दूर करें, भाईचारा बढ़ाएं, महिलाओं के प्रति सम्मान तथा निर्धर व बेसहारा लोगों के प्रति सहानुभूति व मदद की भावना पैदा करें। विवेकानन्द जी ने भी कहा था – हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, जिससे चरित्र का निर्माण

को, मन की शक्ति में वृद्धि हो, बुद्धि का विस्तार हो और जिसमें व्यक्ति अपने पावों पर खड़ा हो सके, वास्तविक शिक्षा वह नहीं जो कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान से शुरू हो और उसी पर खत्म हो, अपितु जिसमें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता हो।

प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन कुछ मूल्यों के आधार पर ही जीता है। राष्ट्र के प्रति अध्यापकों में राष्ट्रीय मूल्यों से समाज व राष्ट्र के प्रति भावी जीवन में व्यक्ति निर्माण मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा सके।

राष्ट्रीय मूल्य- राष्ट्रीय मूल्य जो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भाव बतलाती है, जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं, कर्म, व्यवहारों से समाज को व्यवस्थित बनाये रखने में हमेशा तत्पर हो जिसमें नैतिक मूल्यों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों से राष्ट्र निर्माण हो सके।

हम जो करते हैं उसके लिए हमारे कोर मूल्य उन सभी के लिए दिशा आलोकित करते हैं और हमारे निष्पादन को निर्धारण करने के लिए हमें नयी दिशा देते हैं। राष्ट्रीय मूल्यों में कर्तव्य पालन, सदाचार, शिष्टव्यवहार, ईमानदारी, परोपकार, सेवा, त्याग, बलिदान, सत्यनिष्ठा, व्यवस्था के प्रति आदर आदि को लिया जा सकता है। एक ही समाज में विभिन्न कालों में नैतिक संहिता भी बदल जाती है। राष्ट्रीय मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना और उन आचरण के प्रतिमानों का संबंधित रूप है जिससे आधार पर सत्य, असत्य, अच्छा-बुरा, उचित-अनुचित का निर्णय किया जा सकता है, और वह विवेक के बल से संचालित होती है। इन मूल्यों पर चलकर एक सुदृढ़ सभ्य और स्वस्थ समाज की रचना की जा सकती है। देश की सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एक प्रशिक्षण परिषद के द्वारा उन मूल्यों की एक सूची तैयार की गयी है जो व्यक्ति में राष्ट्रीय मूल्यों के परिचायक हो सकते हैं। इस सूची में 84 मूल्यों को सम्मिलित किया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यों में अध्यापक की भूमिका

यह सच ही कहा गया है कि राष्ट्र को शक्तिशाली व पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना अतिआवश्यक है। परन्तु यह राष्ट्रीयता की भावना केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक वर्ग ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। राष्ट्रीय मूल्यों की भावनाओं को जाग्रत करने के लिए शिक्षक या अध्यापक की निम्नलिखित भूमिका होनी चाहिए -

- 1. पूर्ण आस्था** - अध्यापक की भावनात्मक व राष्ट्रीय मूल्य के लिए विचार एवं दर्शन में पूर्ण आस्था होनी चाहिए, तभी अपने विद्यार्थियों में इस भावना का विकास कर सकता है। अध्यापक ही राष्ट्रीय मूल्यों की भावना को बच्चों में विकसित करता है।
- 2. उचित वातावरण तैयार करना** - अध्यापक विद्यालय में एक अच्छा व उचित वातावरण तैयार करता है जिससे विद्यार्थियों में प्रेम व देश भक्ति विकसित होती है तथा घृणा व कुदृष्टिकोण की समाप्ति होती है।
- 3. नैतिक कर्तव्य** - एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को नैतिक कर्तव्यों का पाठ पढ़ाता है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों के हितों में देश भक्ति व देशप्रेम का दीपक जलाता है।
- 4. आदर्श** - अध्यापक हमेशा अपने विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श होता है, इसलिए अध्यापक को स्वयं एक आदर्श बनना चाहिए तथा विद्यार्थियों को आदर्श बनाकर प्रेम, भक्ति, स्नेह का पाठ पढ़ाना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और कर रहा है।
- 5. जीवन दर्शन** - अध्यापक के जीवन दर्शन का विद्यार्थियों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अध्यापक के जीवन दर्शन में शब्द, प्रेम, राष्ट्रीय एकता व भावनात्मक एकता की झलक दिखाई देनी चाहिए। बच्चों के ऊपर इस दर्शन का प्रभाव प्रेम व एकता के प्रभाव के रूप में दिखाई पड़ता है।

6. **महत्वपूर्ण दिवसों को मानना** – विद्यालयों व महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, शहीदी दिवस, बाल दिवस, महावीर जयंती, दीवाली, होली, दशहरा, रविदास जयंती व युवादिवसों का आयोजन दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में प्रेम व राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास होता है।

7. **संकीर्णता से ऊपर उठाना** – अध्यापक का जीवन उदार होना चाहिए तथा संकीर्णता का नामोनिशान अध्यापक के जीवन में नहीं होना चाहिए। उदार अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उदार बनाते हैं। संकीर्णता को दूर करके, अच्छे विचारों से विद्यार्थियों के जीवन को शुद्ध बनाते हैं जिससे प्रेम व भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है तथा राष्ट्रीय एकता व राष्ट्रीय प्रेम की भावना भी जागृत होती है।

8. **धार्मिक सहिष्णुता** – धार्मिक सहिष्णुता का पाठ केवल अध्यापक ही बच्चों को पढ़ा सकता है। धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाकर अध्यापक विद्यार्थियों को सभी धर्मों का आदर करना व अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपनाकर देश के हित को धर्म से ऊपर मानना आदि का उद्देश्य एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को देता है। इससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना की जागृति होती है तथा उसका विकास होता है।

9. **देश प्रेम की भावना** – देश प्रेम की भावना का अपने विद्यार्थियों में विकास करना एक अच्छे अध्यापक का कर्तव्य है। अध्यापक को ही देश के निर्माता की संज्ञा दी गई है। अध्यापक अपने बच्चों में अपने व्यक्तित्व व क्रियाकलापों द्वारा देश की आवाज पैदा करता है।

10. **महान पुरुषों की कहानियों द्वारा राष्ट्रीयता की भावना** – अध्यापक अपने बच्चों को महान पुरुषों, जैसे – महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, लाला लाजपतराय, शहीद भगत सिंह, राजगुरु तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, सुखदेव, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाषचन्द्र बोस, भीमराव अम्बेडकर आदि महान नायकों की कहानियों को सुनाकर देश भक्ति व देशप्रेम की भावना जागृत करता है।

11. **उचित शिक्षा** – अध्यापक अपने विद्यार्थियों को बिना किसी जातिवाद, धर्मवाद, रंगभेद, सम्प्रदायों या राज्यों के भेदभाव को भूलकर उचित शिक्षा देकर व सभी के साथ मेल मिलाप करने के बाद एकता का पाठ पढ़ाता है। उचित शिक्षा के माध्यम से ही अध्यापक विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मूल्यों में बांधने का कार्य करता है।

12. **राष्ट्र गान व शपथ** - अध्यापक प्रत्येक दिन स्कूल में पढ़ाई करने से पहले विद्यार्थियों को शपथ प्रदान करके राष्ट्र गान करवाता है। इससे विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है।

13. **देश के पहलुओं का ज्ञान** – देश में चल रही शिक्षा के पाठ्यक्रम में देश के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जिसको हमारे अध्यापक वर्ग उदाहरण देकर समझाते हैं। इस कारण विद्यार्थी देश के हर पहलुओं की जानकारी हासिल करते हैं और उनमें देश के प्रति प्रेम व भक्ति की भावना उत्पन्न होती है।

सुझाव

अध्यापक को राष्ट्रीय मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए और कार्य करने चाहिए जिनका विवरण निम्नवत है –

1. बालकों को भारत के आर्थिक विकास करवाना चाहिए।
2. राष्ट्रीय एकता के संबंध में महान पुरुषों के जीवन पर भाषण करवाने चाहिए।
3. क्षेत्र भाषा के अतिरिक्त अध्यापक को राष्ट्रीय भाषा पर बल देना चाहिए।
4. बालकों को भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का वर्णन करवाना चाहिए।

5. पाठ्यक्रम में लोकगीत व कहानियों को भी स्थान देना चाहिए।
6. बालकों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहिए।
7. बालकों को धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाना चाहिए।
8. विद्यार्थियों को देश के महान नायकों के जीवन का परिचय देना चाहिए।
9. विद्यालयों में राष्ट्रीय मूल्यों के संदर्भ में सेमिनार, नाटक व प्रदर्शनियों का आयोजन करवाना चाहिए।

निष्कर्ष - हमारा देश क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी मानसिकता से प्रेरित होकर अपने देश की अखण्डता को तोड़ने में लगा है। इसका राजनैतिक ढांचा पूरी तरह इतना बदल चुका है कि राजनेताओं का अपने देश की अखण्डता व एकता व मूल्यों से पहले अपने व्यक्तित्व स्वार्थ आने लगे है जो राष्ट्रीय मूल्यों के लिए खतरा बनते जा रहे है। पहले तो सभी मिलकर स्वतंत्रता की मांग करते थे लेकिन अब एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा है। यह घटिया सोच भारत की राष्ट्रीय मूल्यों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज तो देश में राष्ट्रीय मूल्यों के माध्यम से विद्यार्थियों में अध्यापकों के माध्यम से देश की अखण्डता और एकता को बनाए रखने के लिए व उसको दिनोदिन विकास की राह पर लाने के लिए राष्ट्रीयता की भावना जागृत व विकसित करनी चाहिए। इससे वे राष्ट्रीय हित को अपने व्यक्तिगत हित से ज्यादा व महत्वपूर्ण समझेंगे, अर्थात् राष्ट्रीय हित को महत्वपूर्ण स्थान देंगे।

संदर्भ

1. वर्मा, सरोजवाला, चोपड़ा प्रियंका, विद्यालय प्रबंधन, नई दिल्ली, हितैशी पब्लिशर।
2. गुप्ता, महावीर प्रसाद व वाजपेई प्रमोद कुमार, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, नई दिल्ली: मार्टन पब्लिकेशन।
3. मोनिका, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जालंधर, मार्टन पब्लिशर।
4. बालिया, जे.एक. सामाजिक अध्ययन शिक्षण जालंधर, पौदल पब्लिशर।

साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में ज्ञानरंजन के कथाकार—व्यक्तित्व की निर्मिति



डॉ. विशाल श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, पचवस, बस्ती,
उत्तर प्रदेश, भारत।

Article Info

Volume 4 Issue 3
Page Number: 45-51

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021
Published : 30 June 2021

शोध—सार — साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कथाकार व 'पहल' पत्रिका के सम्पादक के रूप में ज्ञानरंजन का योगदान अप्रतिम है। बेहद कम लिखने के बावजूद ज्ञानरंजन का उत्कृष्टता का प्रतिमान बहुत ऊँचा और विशिष्ट है। ज्ञानरंजन की कहानियों में नैतिकता का कोई आग्रह नहीं है तथा आधुनिकता, परम्परा—बोध, अराजकता और गहरे साहित्यिक प्रशिक्षण से उनके व्यक्तित्व की निर्मिति सम्भव हुई है। ज्ञानरंजन हमारे समय और समाज के बदलाव के गहरे आब्जर्वर हैं, वे पूरी ताकत के साथ परिवर्तनों और विचलनों को न केवल दर्ज करते हैं बल्कि उससे सम्बद्ध यथार्थ को पूरी शिद्दत से और बिना किसी संकोच के अनावृत्त करते हैं। ज्ञानरंजन अपनी आरम्भिक विचारशीलता में बीटनिक कविता से गहरे तक प्रभावित थे, मध्यवर्गीय पाखंड के खिलाफ एक तीखा व्यंग्य उनकी कहानियों में इसलिए मिलता है क्योंकि वे एंटी इस्टैबलिशमेंट थे। ज्ञानरंजन की कहानियाँ मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों की आलोचनात्मक पड़ताल करती हुई कहानियाँ हैं और वे अपनी कहानियों में मानवीय अनुभवों के उत्स तक पहुंचने का सार्थक प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं।

कूट—शब्द : नयी कहानी, ज्ञानरंजन, साठोत्तरी पीढ़ी, आधुनिकता, अराजकता, सातवाँ दशक, इलाहाबाद, नेहरूवियन समाजवाद, रूढ़िवाद, भारतीय मध्यवर्ग, पहल, सम्पादन।

ज्ञानरंजन जी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले यह तथ्य याद आता है कि साठोत्तरी पीढ़ी के प्रतिनिधि रचनाकार ज्ञानरंजन के प्रिय कवि मुक्तिबोध हैं और ठीक उनकी तरह ही वे भी एक फैंटेसी का पीछा अपनी कहानियों में करते हैं। यह एक अनूठा संयोग है कि मुक्तिबोध की ही तरह ज्ञानरंजन का जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता अनुशासनप्रिय थे, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पिता का अनुशासन घर में अत्यंत कठोर था, इतना कि घर में मिल का बना कपड़ा नहीं आता था। ऐसे कड़े अनुशासन में बिताए जीवन के कारण घर से एक मोहभंग की स्थिति उनकी कहानियों में दिखती है।

सातवें दशक के कहानीकारों में ज्ञानरंजन एक महत्वपूर्ण नाम हैं, वह भी तब जबकि उनकी कुल 25 कहानियों का ही जिक्र मिलता है, इसके अतिरिक्त संस्मरणों की एक किताब 'कबाड़खाना' है। एक कथाकार के रूप में उनका उदय उस समय हुआ जब नयी कहानी आंदोलन अपने उतार पर था और एक नयी पीढ़ी सामने आ रही थी। खासतौर पर इसमें चार नाम— रवीन्द्र कालिया, दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन और काशीनाथ सिंह चर्चित थे, जिनमें विजयमोहन सिंह को शामिल कर 'साढ़े चार यार' पद का प्रयोग प्रायः किया जाता है। यह दौर हिन्दी साहित्य के इतिहास में अकहानी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानरंजन या उनकी समूची पीढ़ी ने ऐसा क्या किया जो उन्हें उनके समय के रचनाकारों से अलग स्थापित करता है, यह सचमुच एक बड़ा प्रश्न है। दरअसल, ज्ञानरंजन की कहानियाँ मनुष्य के सामाजिक सम्बन्धों की आलोचनात्मक पड़ताल करती हुई कहानियाँ हैं और वे अपनी कहानियों में मानवीय अनुभवों के उत्स तक पहुंचने का सार्थक प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानरंजन के कथाकार की निर्मिति पर बात करते हुए कोई भी बात इलाहाबाद के बिना नहीं शुरू हो सकती, उनका और इलाहाबाद का रिश्ता अद्भुत है। सच तो यह भी है कि जब वे इलाहाबाद छोड़कर जबलपुर चले गये तो उनकी कहानी का सोता जैसे सूख सा गया। उनकी कहानियों में एक शहर के रूप में इलाहाबाद गहराई से रचा-बसा है। वे इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र भर नहीं थे बल्कि इलाहाबाद शहर के असल साहित्यिक नागरिक थे। उस दौर के लेखकों को देखें तो साठ के दशक के इलाहाबाद का जो सांस्कृतिक-राजनैतिक माहौल था वह अत्यंत समृद्ध था, वहाँ के लेखक और संस्कृतिकर्मी वहाँ के वातावरण को किस तरह निर्मित कर रहे थे, यह ज्ञानरंजन के लेखन में साफ दिखाई देता है। उनके रचनासंसार और उनके व्यक्तित्व की निर्मिति में इलाहाबाद का महत्वपूर्ण दखल रहा है। इस संदर्भ में उनके मित्र नीलाभ ने लिखा है कि *"ज्ञान के पूरे तेवर को निर्मित करने में लूकरगंज की वही भूमिका थी, जो सिकन्दर के सिलसिले में एथेन्स की या वर्जीनिया वुल्फ और उनके साथी साहित्यकारों के सिलसिले में ब्लूमजबेरी की।"*¹ उनका यह कहना अकारण या अनायास नहीं है, वह इलाहाबाद का स्वर्णिम दौर था जब शहर इलाचन्द्र जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, नरेश मेहता, शेखर जोशी, दूधनाथ सिंह, सतीश जमाली जैसे लेखकों का गढ़ था। उन दिनों वहाँ प्रगतिशील और परिमल गुट की अन्तर्धाराएं एकसाथ उपस्थित थीं। ज्ञानरंजन के अनुसार वे निर्मित हो रहे थे, वे नये रचनाकार थे और दो परम्पराओं को एक साथ एक-दूसरे के सामने खड़ा हुआ देख रहे थे और ऐसे में उनका निर्माण हुआ, उन्होंने परम्पराओं से सीखा। वे लिखते हैं *"हेमिंग्वे ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा पेरिस ने सिखाया। हमें भी इलाहाबाद ने।"*² उस समय का इलाहाबाद औपनिवेशिकता के कारण आधुनिकता का भी शहर था। ज्ञान जी की कहानी 'अनुभव' में वर्णित मध्यवर्ग में यूरोप से आयातित आधुनिकता का प्रवेश दिखाई देता है और यह भी कि भारतीय परम्परा के सापेक्ष ज्ञानरंजन एक क्लेश को देख रहे थे। एक परम्पराग्रस्त शहर के आधुनिक शहर में बदलने का वह समय था, जो आजादी के बाद के नेहरूवियन समाजवाद से मोहभंग की हताशा, निराशा और संत्रास शहर के कई प्रतीकों के माध्यम से सामने आता है। वे इलाहाबाद के बंगलों, काफी हाउस सड़कों और वहाँ बिताई शामों का जिक्र करते हैं, वे आधुनिकता के उपभोक्ता भी हैं। ज्ञानरंजन अपने साहित्यिक दोस्तों के अतिरिक्त साहित्येतर दोस्तों जिनमें जुआरी तक शामिल थे, के साथ खासा वक्त बिताया करते थे, कुछ ऐसे ही अनुभवों से निर्मित उनकी कहानी 'घंटा' में वर्णित पेट्रोल है। 1964 में परिमल के सम्मेलन के साथ नयी कहानी का बोरिया बिस्तर बंध गया था। ज्ञानरंजन और उनके साथी लेखकों ने नयी कहानी के लेखकों को उनकी सीमाओं का एहसास कराया था। जिस युगबोध का दावा नयी कहानी कर रही थी, उसके वास्तविक विस्तार के रूप में यह

लेखक आए। ज्ञानरंजन अपनी आरम्भिक विचाशीलता में बीटनिक कविता से गहरे तक प्रभावित थे, मध्यवर्गीय पाखंड के खिलाफ एक तीखा व्यंग्य उनकी कहानियों में इसलिए मिलता है क्योंकि वे एंटी इस्टैबलिशमेंट थे। वे फैंज को गाते और पसंद करते थे, तो एक तरफ उनके यहाँ रूमानीपन है तो दूसरी ओर गिन्सबर्ग और जैक बरोज जैसे अराजक तत्वों का प्रभाव है। ज्ञानरंजन ने लिखा है कि मुझे कहानी लिखने की प्रेरणा कविताओं से मिलती थी, वे लिखते हैं कि कई बार मैं अपने कमरे में जोर जोर से कविताओं का पाठ कर रहा होता था और तब मुझे कथा की सामग्री या प्रेरणा मिलती थी वे लोर्का का जिक्र करते हैं। बीटनिक कविता की अराजकता से साठोत्तरी पीढ़ी के चारों कथाकार प्रभावित हुए, लेकिन ज्ञानरंजन के बरक्स दूधनाथ सिंह हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, उनपर इस प्रभाव का रूप अलग है। एक साथ एक ही पीढ़ी के दो रचनाकारों की रचनाभूमियों में स्पष्ट अंतर है, वे बीटनिक कविता से अलग-अलग तरह से प्रभावित हैं। ज्ञानरंजन यदि व्यवस्थाविरोध को चुनते हैं तो दूधनाथ अनास्था के स्वर को। ज्ञानरंजन ने व्यवस्था विरोध को कहानी में खीझ, अवसाद और विद्रोह का रूप दिया, लेकिन इसके बावजूद समाज से गहरी संलग्नता भी बनाये रखी। सामाजिक सरोकार की अंतर्धारा से इस जुड़ाव के कारण कहानी में साफ और ठोस वैचारिकता का समावेश था, यही कारण है कि ये लेखक वामपंथी संगठनों से जुड़े। वैचारिक आग्रह का साफ होना साठोत्तरी लेखकों की विशेषता है, इस पीढ़ी के रचनाकार मध्यवर्गीय परिवारों की टूटन के आगे उनकी मृत्यु की कथा कहते हैं। 'अनुभव' कहानी में घर को आश्रम की संज्ञा देना इसका प्रतीक है। ज्ञानरंजन की सबसे प्रसिद्ध कहानी 'घंटा' मार्कण्डेय जी द्वारा प्रकाशित कथा पत्रिका के प्रवेशांक में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद अनुभव और बहिर्गमन आयीं। 'घंटा' में पेट्रोल के प्रतीक से जिस अराजकता का वर्णन है उसे वे 'बहिर्गमन' में उन सामाजिक बदलावों तक विस्तारित करते हैं, जो हमें सत्तर के दशक में देखते हैं। आपातकाल के नायकों का अवसरवाद और विचलन के परिवर्तन की आहट उनके लेखक ने पहले ही देख ली थी। एक मौलिक विचार के एक्सटेंशन के रूप में 'बहिर्गमन' महत्वपूर्ण कहानी है। 'अनुभव' को फलाप कहानी गया, लेकिन तत्वों का जो कथा विन्यास में संगुफन वहाँ मिलता है, वह अपूर्व है। ज्ञानरंजन ने लिखा है कि "हिन्दी कहानी सौ साल पुरानी है, इन सौ सालों में हिन्दी कहानी का ढांचा टूट गया है। उसका विन्यास टूट गया है, चरित्र का त्रिकोण टूट गया है, प्रेम का सिद्धान्त टूट गया है और पाप और पुण्य की नैतिकताएँ बदल गयी हैं।"³ नयी कहानी में यदि देखें तो प्रेम का त्रिकोण जगह-जगह मिलता है, उदाहरण के तौर पर कमलेश्वर की कहानी 'राजा निरबंसिया' में त्रासदी होने के बावजूद उसकी उपस्थिति है।

ज्ञानरंजन की कहानियों में नैतिकता का कोई आग्रह नहीं है, नैरेटर 'मैं' नैतिकता के आग्रहों को नहीं मानता, वह बहुत आसानी से कुंदन सरकार का घण्टा बन जाने को तैयार हो जाता है। उतनी ही आसानी से वह बहिर्गमन में मनोहर के साथ जाने को तैयार हो जाता है। ज्ञान कहते हैं "यथार्थ जिसको वास्तविकता कहते हैं, वास्तविकता को देखने के लिए भी आपके एक फैंटेसी की, एक स्वप्न की आँखों की जरूरत होती है। अगर आप स्वप्न नहीं देख सकते तो आप कहानी नहीं लिख सकते और यथार्थ नहीं लिख सकते।"⁴ मुक्तिबोध भी स्वप्नबोध का प्रयोग करते हैं, कहा जाता है कि मुक्तिबोध जीवन भर एक ही कविता लिखते रहे, कोई बेचैनी थी, कोई ऐसी बात थी, जो कहने से रह गयी थी, जिसे वह कहना चाहते थे। ज्ञान जी के साथ भी यह लगता है कि कोई अवसाद है जो एक कहानी में खत्म नहीं होता और दूसरी कहानी में बदली हुई शकल में सामने आ जाता है। ज्ञानरंजन कहते हैं कि "करवट मेरी युवावस्था से शुरू हुई, बेचैनी और भगदड़ मच रही थी, भीतरी विखण्डन शुरू हुआ। नये साहित्य की शुरुआत हो रही थी। दुनियाभर की

खिड़कियाँ खुलने लगीं, मन मचल रहा था। मन आश्रम से बाहर भागने को होता था। नये दोस्त और नयी किताबें आ रही थीं। शायद इसी तरह रचनाकार का सौंदर्यबोध बनता है इसी मंथन से उसकी रचना प्रक्रिया का बीज अंकुरित होता है और पौधे में तब्दील होता है।⁵

प्रतिनिधि कहानियों की भूमिका में वे लिखते हैं “मैं बचपन से ही उदास और आलसी रहा हूँ। यह मेरी आंतरिक बाधा और समस्या है इसलिए जब भी मैंने कोई कहानी लिखी, मुझे विस्मय हुआ अपने ऊपर और बहुत खुशी भी हुई कि मेरे जैसा कोई उदास और आलसी आदमी कहानी पूरी भी कर सकता है।”⁶ यहीं वे एक बड़ी रोचक बात करते हैं “घण्टा लिखते समय मेरा दिमाग मारसिलो मारित्रियानी के चेहरे जैसा रहा होगा, जिसे देखने से लगता है कि उसे जन्म के साथ ही सबकुछ जान लिया होगा।”⁷ मारसिलो इतालवी सिनेमा का बड़ा मशहूर और मकबूल नाम है। इतालवी सिनेमा की नयी धारा के दो चर्चित निर्देशकों डी सीका और फेडरिको फेलिनी के वे प्रिय अभिनेता थे। इस फिल्म की कथा में घण्टा कहानी से गहरा साम्य है, मारसिलो एक पत्रकार की भूमिका में फेलिनी की फिल्म ला डॉल्से विटा में रोम के उच्च समाज और खुशी या प्यार की खोज में सात रातें बिताता है। एक रचनाकार के रूप में ज्ञानरंजन ने कहाँ-कहाँ से प्रेरणा ली है, वह इससे स्पष्ट होता है। उनकी कथाभूमि में मौजूद नेहरू युग का मोहभंग समूचे साठोत्तरी दौर के कथा-संसार में बीजवपन का काम करता है, अमरकांत की कहानी हत्यारे में इसका संकेत है। एक तरह का निहिलिज्म, नकार या निषेधात्मकता इन कहानियों में मौजूद हैं, क्योंकि इन लेखकों के भीतर एक सच्चा सामाजिक विक्षोभ था, भीतर की सच्चाई से वे विचलित नहीं हुए इसीलिए अराजक आंदोलन से प्रभावित होकर भी मध्यवर्ग के पाखंड को उधेड़ देने में नग्न करने में ये संकोच नहीं करते। ज्ञानरंजन ने सभी मध्यवर्गीय संस्थाओं पर कटाक्ष किया है, हास्यरस कहानी विवाह संस्था पर व्यंग्य है। इस कहानी में अपनी प्रेमिका से विवाह कर अदालत से निकलता हुआ युवक अहाते के भीतर ही वीतरागिता और निरपेक्षता का शिकार होता जाता है और कहता है कि यदि मैं एक इलिसिट लवर होता तो ज्यादा अच्छा होता।

‘पिता’ कहानी काफी चर्चित कहानी है। एक पीढ़ी जा रही है, जाती पीढ़ी का पिता आत्मसम्मान से भरा है, जो किसी के सामने अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं होने देता। कहानी में रातभर बेचैन रहा पिता जो चिन्ताओं में डूबा है, इस बात से कहीं आश्वस्त है कि उनके संरक्षण में पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा है। अपने नौकरीशुदा बेटे का भी अहसान न लेने की जिद इस कहानी में सामने आती है। हिन्दी कहानी में प्रेमचन्द के बाद ज्ञानरंजन ही ऐसे कहानीकार हैं जिनके चरित्रों के नाम इतनी आसानी से याद रह जाते हैं चाहे वह मनोहर हो, सोमदत्त हो, कुंदन सरकार हो, ये चरित्र हमारे दिलोदिमाग से चिपक जाते हैं। जिस सामाजिक सम्बंध की परिकल्पना ज्ञान करते हैं और जिस मध्यवर्ग की परम्पराओं के ढहते जाने और टूटने की बात करते हैं, उसके बारे में बातें करते हुए पिता कहानी के सम्बंध में ज्ञानरंजन का कहना है कि “उस अनिवार्य दूरी से मैं इस कहानी को लिख सका जो एक प्रेममयी कहानी है मारक्वेज ने अपने एक उपन्यास के बारे में हैरत और विस्मय से बताया है कि सारे अमरीका में उसके उपन्यास का बेहद गलत पाठ पढ़ाया गया है।”⁸ मध्यवर्गीय परिवारों में पिता पुत्र के बीच अबोलेपन के बीच छिपे हुए प्रेम की कहानी है, पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता।

सम्बंध कहानी बाद की कहानी है, जिसमें एक अलग तरह की अराजकता है। इस कहानी में एक खीझ है, वे अपने भाई का जिक्र है, जिसके बारे में लेखक कहता है कि अगर वह आत्महत्या कर ले तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इस कहानी के बारे में उनका कथन है कि वह समाधान की कहानी या फिलॉसोफी नहीं है बल्कि एक परिवार की समस्या है। घर से विरक्ति की बात यहां भी है “ यह

कितना अविश्वसनीय लगता है कि दिन भर के बाद लौट कर यूँ ही मैंने अपने घर की इमारत देखी मैं हताश हो गया शायद मैं गाफिल था और सनक में मुझे यहां अंदाज भी नहीं हुआ कि चलते हुए मैं अपने घर की तरफ ही जा रहा हूँ। मैंने अपने घर की तरफ फिर देखा और कल्पना करिए इस भयानकता की कि मैं सोचता रहा यह एक बिल्डिंग है और इसके अंदर मुझे जाना है।⁹ इसी कहानी में आगे वर्णित माँ के चेहरे से ऊब धूमिल की कविता की याद दिलाती है।

‘फेंस के इधर और उधर’ कहानी में समाज के बदलाव में दोहरे स्तरीकरण के संकेत मिलते हैं। रूढ़िवादी परिवार और आधुनिकतावादी परिवार के अंतर को दिखाती है। दोनों घरों के बीच एक मिट्टी की फेंस है लेकिन यह एक सीमारेखा का प्रतीक है कि तनिक सी इस दूरी में जैसे एक ही दुनिया में दो अलग-अलग संस्कृतियाँ रह रही हैं। ज्ञान इस कहानी के माध्यम से भारतीय मध्यवर्ग के परम्परावादी पोंगापंथ की सीवनों को उधेड़ने का काम करते हैं। इस कहानी के अंत में वे लिखते हैं “ रात शाम का केंचुल उतार रही है। फेंस के पार टेबल के इर्द-गिर्द बैठे लोग उठ उठ कर बिखर गए। रोज की तरह पड़ोसी के निचले कमरे में बिजली का लट्टू जल गया है। दरवाजों के कोनों के बचे हुए हिस्सों पर मखमली रोशनी धब्बों की तरह चिपकी है, उनकी रात शांत और नियमानुसार हो चली है। पता नहीं उन्हें घर में एक व्यक्ति का कम हो जाना कैसा लग रहा होगा, हमारे घर तो पड़ोसी निंदा का बाजार बहुत गर्म है।”¹⁰

‘घंटा’ कहानी पेट्रोल के वर्णन से शुरू होती है। यह कहना गलत न होगा कि ज्ञानरंजन इलाहाबाद से जबलपुर क्या चले गए वे अपना पेट्रोल इलाहाबाद में ही छोड़ गये और शायद यही कारण है कि फिर कहानियाँ नहीं लिख पाए। कुंदन सरकार और पेट्रोल इस कहानी के दो सशक्त चरित्र हैं। पेट्रोल एक अमूर्त किस्म की जगह है, जिसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। वह एक ऐसी जगह है जहां कुछ अराजक किस्म के मित्र कुछ अपनी मनमर्जी का काम कर लेते हैं। वे लिखते हैं कि “ऐसा लगता है पेट्रोल की जिंदगी के बाहर चले जाना काफी मुश्किल हो गया है। यह जगह एक राहत स्थान में बदल गई थी। पेट्रोल से निकलकर शहर के उस क्षेत्र से अपने कमरों को जब हम वापस होते तो शहर का ढांचा दिखाई देता था। हमें पूरा विश्वास है कि हम उससे अधिक शहर के ढांचे के बारे में कम लोग जानते होंगे। मेरे साथियों को बीवी-बच्चों समाज और देश दुनिया से शायद ही कोई ताल्लुक रह गया था, वे लोग एंटी नहीं थे स्वाभाविक थे”¹¹ कथा में कुंदन सरकार का प्रतीक उस वर्ग का प्रतीक है जो बुद्धिजीविता का खोल ओढ़े नये युग के दलाल हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञानरंजन ने अपने समय में मौजूद बहुत सारे लोगों का कैरीकेचर तैयार कर कुंदन सरकार का चरित्र गढ़ा है। आज भी ऐसा लगता है कि चारों तरफ कुंदन सरकार जैसे लोगों ने हमें घेर रखा था। घंटा बनने के बावजूद लेखक के मन में पेट्रोल मौजूद है। कुंदन अपने साथ रखने के बावजूद घंटा की हैसियत को कम करके आंकता है। वह अपनी निरीहता से व्यथित है इसीलिए वह एक दिन विद्रोह का तय करता है और उच्चवर्ग के प्रतीक रेस्तरां में उस आडम्बर और वैभव के बीच वह खिस्स से हंस देता है। वे लिखते हैं “मैंने गौर किया कि पहले से ही स्थिति बेहतर अवश्य हुई है पहले मैं केवल मुस्कराता था जिसे संसार एक चुटिया पर है और मैं उसे समझ गया हूँ हालत यहां तक पहुंची किस मुस्कराहट के कारण मैं गूंगा समझा जाने लगा था इस शाकाहारी मुस्कराहट से सत्ता का तो कुछ बिगड़ता नहीं दमदार मुस्कराहट तो राजा की होती है महंत की होती है औरत की होती है और खतरों से मुक्त जिनका चमन है उनकी होती है”¹² इस कथन के माध्यम से कहानी में मौजूद मध्यवर्ग के नकली यथार्थ की परतों को उघाड़ने का काम ज्ञानरंजन सम्भव करते हैं। कहानी के अंत में धकिया कर

फेंक दिये जाने के बाद नैरेटर कहता है "इस प्रकार कुंदन सरकार का घंटा सड़क पर गिर पड़ा। जिस तरह से भीड़ भरी सड़क पर साइकिल से गिरने वाले सवार को कभी चोट नहीं लगती वैसी मेरी हालत थी झाड़-पोंछकर मैं सड़क पर आया जो काफी सन्नाटी थी। क्रांति-तरंग नदारद हो चुकी थी नाक से लार की तरह जुकाम गिरने लगा। चलता हुआ सीधा मैं अपनी पुरानी जगह पेट्रोल आके साथियों में पहुंचा। मुझे देखकर उन्होंने एक हल्का ठहाका मारा। इसके अलावा कोई दूसरा बुरा सुलूक उन्होंने नहीं किया।"¹³ पेट्रोल युवा वर्ग की निराशा और कुण्ठा का एक प्रतीक है जिसे ज्ञानरंजन ने बहुत ठोस सच्चाईयों के साथ गढ़ा है।

बहिर्गमन एक महत्वपूर्ण कहानी है क्योंकि वह छोटे शहरों से बड़े शहरों और वहां से राजधानी को हो रहे विस्थापन का बयान करती है। इस कहानी में छोटे शहर के कुंदन सरकार जैसे दलाल से आगे बढ़कर राजधानियों को अन्तरराष्ट्रीय दलाल दिखाई देते हैं जिन्होंने जनसेवा का चोला पहन रखा है। यह कहानी राजनैतिक कदाचार का दस्तावेज है। मनोहर और सोमदत्त के चरित्र इस नयी राजनीति का प्रतीक हैं, जिसके माध्यम से एक देश के रूप में निर्मित हो रहे भारत की स्थितियों की पड़ताल है। इस कहानी में वे लिखते हैं "मैंने धूल को बहुत देर तक नहीं रहने दिया एक आहत व्यक्ति की तरह मैंने सपाटे से धूल को खत्म करके अपना काम शुरू कर दिया। मैं सुस्त नहीं पड़ना चाहता था। अगर मैं बारीकी से पड़ताल करूं तो संभव है या नतीजा निकले कि जिस दिन मनोहर गया उसी दिन मेरे अंदर भी एक विस्फोट हुआ— एक शांत विस्फोट। मैंने पाया, मैं मनोहर का पीछा कर रहा हूं थोड़ी दूर तक यह पीछा चलता रहा है, फिर गड़बड़ हो जाता है। मैं बराबर सोच रहा हूं कि एक उबलते हुए युवाकाल में इस आदमी ने अपनी यात्रा कितने भोले और अशुद्ध तरीके से क्यों शुरू की? यह प्रश्न मेरे अंदर लगातार टपकता रहा। यह मेरी विचित्र तबीयत है कि जिन लोगों पर मुझे शक हो जाता है उन्हें मैं छोड़ नहीं पाता। उनकी पूरी कलाई मेरे लिए जरूरी हो जाती है।"¹⁴ इसी कहानी में वे आगे लिखते हैं, "वास्तव में हमारे बहुत से साथियों में तमाचा खाकर भी विचलित होने की अद्भुत कुव्वत थी। वे कदम मिलाने के लिए बौखलाए हुए दौड़े चले जा रहे थे। इसलिए यह मान लेना मूर्खता होगी कि अपने समय के सभी लोगों को जान लिया गया है मैंने तय किया कि मैं शंकास्पद स्थिति में नहीं रहूंगा। मुझे इन लोगों के बारे में अपने इस यकीन को खोजना है कि ये जीवन की अटूट शृंखला को तोड़ने की घात में लगे हुए हैं।"¹⁵

ज्ञानरंजन हमारे समय और समाज के बदलाव के गहरे आब्जर्वर हैं, वे पूरी ताकत के साथ परिवर्तनों और विचलनों को न केवल दर्ज करते हैं बल्कि उससे सम्बद्ध यथार्थ को पूरी शिद्दत से और बिना किसी संकोच के अनावृत्त करते हैं। यह प्रश्न भी प्रायः उठता है कि ज्ञान जी ने बहुत कम लिखा है, इस बारे में उनका कहना है, "मित्रो जब आप सच्चाईयों को स्पष्ट और नंगा देख लेते हैं तो फिर लिखना अवरुद्ध हो जाता है। यथार्थ की यही सीमा है। बस स्मृतियों की बहार में जाइए और सुस्ताइए। मैं उस पंक्ति का लेखक था जो पात्रों को जन्म भी देता है और उन्हीं की कब्र भी बनाता है। यह एक दुस्साहस है। यह पाठ बकाया है। और ऐसा लेखक जल्द बन्द हो जाता है।"¹⁶ इसी सन्दर्भ में आधुनिकता के बारे में अपना विचार स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि "मैं जिस आधुनिकता की चपेट में था वह भग्न हो रही थी, उसका क्रांति और ज्ञानोदय से सम्बन्ध टूट चुका था।"¹⁷

'पहल' पत्रिका के सम्पादक के रूप में ज्ञानरंजन की भूमिका उनके कथाकार रूप जितनी ही उल्लेखनीय है। पिछले कई दशकों से यह पत्रिका आंदोलन के रूप में हिन्दी संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 'पहल' सार्थक लेखक को सामने लाने का प्रयास करती रही है। ज्ञानरंजन की इस पत्रिका पर

कई आरोप भी लगे हैं, उन आरोपों पर अपना उत्तर देते हुए ज्ञानरंजन ने अपने एक साक्षात्कार में कहा है “पहल वामपंथ के सभी धड़ों और लोकतांत्रिकों का प्यार और सहयोग पाती रही है, यही उसकी प्राणशक्ति है। दक्षिणपंथ, कलावाद, फासीवाद के विरुद्ध ‘पहल’ का रचनात्मक संसार कभी लड़खड़ाया नहीं।”¹⁸ वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि अन्य पत्रिकाओं और सम्पादकों की भाँति पहल ने कभी लेखकों को पैदा करने का दावा नहीं किया, “पहल के लेखकों का एक सार्वभौम रहा है और आज़ादी। ‘पहल’ को यह सुख प्राप्त है कि उसका कोई खेमा नहीं है, लेखकों को पट्टे नहीं पहनाये जा सकते।”¹⁹

समग्रतः यह कहा जा सकता है कि साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कथाकार व ‘पहल’ पत्रिका के सम्पादक के रूप में ज्ञानरंजन का योगदान अप्रतिम है। बेहद कम लिखने के बावजूद ज्ञानरंजन का उत्कृष्टता का प्रतिमान बहुत ऊँचा और विशिष्ट है। आधुनिकता, परम्परा-बोध, अराजकता और गहरे साहित्यिक प्रशिक्षण से उनके व्यक्तित्व की निर्मिति सम्भव हुई है।

सन्दर्भ-सूची :

1. ज्ञानरंजन के बहाने, नीलाभ, नयी किताब, दिल्ली, 2013, पृष्ठ 22
2. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 30
3. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 19
4. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 20
5. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 25
6. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 5
7. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 5
8. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 27
9. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 73
10. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 88
11. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 103
12. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 109
13. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 113
14. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 115
15. प्रतिनिधि कहानियाँ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., 1984, पृष्ठ 116
16. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 109
17. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 110
18. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 150
19. उपस्थिति का अर्थ, ज्ञानरंजन, सेतु प्रकाशन प्रा. लि., 2020, पृष्ठ 159

21वीं सदी में महिला मानवाधिकारों का हनन करती कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास

जितेन्द्र कुमार सरोज

शोध छात्र

मानवाधिकार विभाग, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर, केन्द्रीय, विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 52-58

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांश— प्रचलित कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए साथ ही सरकार, समाज और परिवार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाये तभी हम इन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध लड़ सकेंगे।

मुख्य शब्द— महिला, मानवाधिकार, कुरीतियाँ, अन्धविश्वास, समाज, परिवार, साक्षरता, शिक्षा।

प्रस्तावना – जंगलों में भोजन की प्राप्ति और खाना बंदोस की जिन्दगी व्यतीत करने से प्रारम्भ, जीवन की इस यात्रा में आदिम अवस्था का परित्याग कर प्रकृति द्वारा उत्पन्न सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य, आज जब 21वीं सदी में विज्ञान के प्रभाव से सभ्यता एवं सांस्कृतिक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया है तो, हमारे मन एवं मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा की उसकी इस विकास यात्रा में निश्चित तौर पर स्त्री और पुरुषों का बराबर सहयोग रहा होगा वे इस दूरी को एक साथ मिलकर पारस्परिक सहयोग से तय किये होंगे किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ एक लंबे समय से ही हमारे देश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना गया जबकि आज सम्पूर्ण विश्व में प्राप्त संघर्षशील, कर्तव्यनिष्ठ, साहसिक महिलाओं के उदाहरणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी भी मामले में पुरुषों से कमतर नहीं हैं किन्तु फिर भी उन्हें समाज में गैर बराबरी, असमानता, असहिष्णुता, एवं सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें कभी प्राप्त करने की कामना ही नहीं की गई,¹ उन्हें स्वतंत्र समझा ही नहीं गया,² उन्हें तो दुःख का कारण माना गया।³ जरा कल्पना कीजिये अन्याय, अनीति, शोषण एवं उपेक्षा का सामना करते हुए अपने अस्तित्व को बचा कर समाज के अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान स्थापित करने वाली अत्यधिक संवेदनशील, रचनात्मक एवं धैर्यशाली आदि तमाम नैसर्गिक गुणों से परिपूर्ण महिलाओं को यदि प्राचीन काल से ही पुरुषों की भाँती समान प्रतिनिधित्व, अवसर एवं बराबरी का दर्जा दिया गया होता तो निश्चित तौर पर हम दोगुने रफ्तार से सफलता की बुलन्दियों पर पहुँचकर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे होते। दुनिया की यह आधी आबादी असहयोग, अपमान एवं अत्याचार का कडुआ घूँट पीती रही और कभी अपने शोषण के विरुद्ध

¹ अथर्ववेद 3 ,23, 6, 11

² पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्र्यमर्हति – वशिष्ठ 1-2

³ बृहदारण्यक उपनिषद 4 ,18

आवाज उठाने का साहस नहीं कर सकी। महिलाओं की इस दयनीय स्थिति के पीछे के कारणों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि कभी इसके लिए पुरुषवादी मानसिकता को दोषी ठहराया गया तो कभी उनकी शारीरिक कमजोरी का हवाला दिया गया कभी धर्म को आधार बनाया गया इन सब के साथ-साथ विशेष कर भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की दयनीय स्थिति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह थी इनके विरुद्ध प्रचलित कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास जिसने इनकी स्थिति को बद से बदतर बना दिया। आज हम 21वीं सदी के मानवतावादी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं जहाँ पर सम्पूर्ण विश्व आपसी प्रतिस्पर्धा में विकास के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहा है वहीं हमारा देश विभिन्न सामाजिक बुराईयों अन्धविश्वास कर्मकाण्डों के माया जाल में फंसा है और इस माया जाल में फंस कर हमारा देश विकास के मार्ग से भटक रहा है।

कुरीति का अर्थ एवं परिभाषा – कुरीति शब्द कु + रीति शब्द से बना है कु का अर्थ है अनुचित, बुरा या भद्दा और रीति का अर्थ है प्रथा अथवा रूढ़ि (अन्य पर्यायवाची परम्परा, रिवाज, चलन, प्रचलन) इस प्रकार कुरीति को जानने से पहले हमें रीति अर्थात् प्रथा या रूढ़ि को जानना होगा सामान्यतया प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित हों। जब जनरीतियों को पीढ़ी-दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वे प्रथाओं के नाम से जानी जाती हैं प्रथाएं नवीनता की विरोधी होती हैं और ये कार्य करने के परम्परागत तरीकों पर जोर देती हैं।⁴

हालैण्ड के अनुसार "रूढ़ि आचरण की वह प्रणाली है जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। जिस प्रकार किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते पड़ते एक पगडण्डी सी तैयार हो जाती है उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकरण से प्रथा का जन्म होता है।⁵

कार्टर के अनुसार "समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता को रूढ़ि कहते हैं।⁶ आस्टिन के अनुसार "प्रथा व्यवहार का एक नियम है जिसे शासित लोग स्वैच्छिक रूप से पालन करते हैं, परन्तु राजनीतिक श्रेष्ठ के द्वारा प्रतिपादित विधि के द्वारा नहीं।"⁷

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी समुदाय विशेष द्वारा किसी परम्परा का जब स्वेच्छा से पालन किया जाता है तो उनके द्वारा किया गया उनका यही आचरण ही रूढ़ि का रूप ग्रहण कर लेती है जिस पर चलना और जिसका पालन करना लोग अपने जीवन का अंग समझते हैं। प्राचीन हिन्दू साहित्य प्रथाओं के अनुरूप ही संव्यवहार करने का निर्देश देते हैं मनुस्मृति में शासक को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने न्याय-निर्णय को रूढ़िगत प्रथाओं तथा धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर आधारित करे।⁸ इसी प्रकार नारदस्मृति,⁹ बृहस्पति,¹⁰ याज्ञवल्क्य¹¹ सभी इस बात का समर्थन करते हैं की मनुष्य को प्रथाओं के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए।

⁴ विधिशास्त्र टी.पी. त्रिपाठी पृष्ठ 292

⁵ हालैण्ड टी. ई. रू एलिमेंट्स ऑफ़ ज्यूरिसप्रूडेन्स

⁶ विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 242

⁷ आस्टिन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिसप्रूडेन्स (चौथा संस्करण), पृष्ठ 104-105

⁸ विधिशास्त्र एवं विधि के सिद्धांत डॉ एन. वी. परांजपे पृष्ठ 241

⁹ व्यवहारो हि बलवान् धर्मस्तेनावहीयते।

¹⁰ देहजातिकुलानां च ये धर्मारू प्राक्प्रवर्तिता।

तथैव ते पालनीयारू प्रजा प्रक्षुभ्यतेऽन्यथा।।

¹¹ यस्मिन् देशे यरू आचारो व्यवहाररू कुलस्थितिरू।

तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वंशमु पगतरू।।

इन प्रथाओं को विधिक बल प्राप्त करने के लिए कुछ कसौटियों से गुजरना पड़ता है वे हैं स्मरणातीत काल से प्रचलन अर्थात् प्राचीनता, निरन्तरता, निश्चितता, संगतता, युक्तियुक्तता, संविधियों से अनुरूपता, शांतिपूर्ण उपभोग, बाध्यकारी शक्ति और साथ ही प्रथा अनैतिक नहीं होनी चाहिये चूँकि हमारे अध्ययन का विषय रीति या प्रथा न होकर कुरीति है जो कि इन सभी कसौटियों पर खरी नहीं उतर सकती क्योंकि सभी रूढ़ियों के पीछे युक्तियुक्त तार्किक कारण नहीं होता, केवल अन्धानुकरण द्वारा उन्हें जनता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इन कुरीतियों को कोई विधिक बल भी नहीं प्राप्त है साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (1) द्वारा इन्हें शून्य भी घोषित कर दिया गया है क्योंकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं किन्तु फिर भी ये समाज में प्रचलन में हैं और निरन्तर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं।

अंधविश्वास का अर्थ

अंधा विश्वास, “Blind faith” यानी ऐसा विश्वास जिसमें लोग अपना दिमाग नहीं लगाते, उसके सच, झूठ का पता नहीं करते, उसकी वैज्ञानिकता को नहीं जानते, उसे इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग मानते हैं। ‘श्रद्धा’ शब्द श्रुत् + धा से बना है। श्रुत् का अर्थ है Belief या Faith और धा का अर्थ है धारण करना। श्रद्धा का अर्थ है Belief in Devine revelation या Religious faith। जिस कल्पना पर पक्का विश्वास होता है उस भावना को श्रद्धा कहा जाता है। इस प्रकार कोई कहता नहीं की हवाई जहाज, टेलीफोन, पर मेरी श्रद्धा है। जो बातें विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो जाती हैं उन पर हमारा भरोसा होता है। भरोसा अनुभवजनित और विश्वासजनित होता है। इसके विपरीत जिस श्रद्धा में कोई समझदारी या अक्लमंदी नहीं होती है उसे हम अंधश्रद्धा या अन्धविश्वास कहते हैं। किसी भी बात को बिना सोच समझ के, बिना किसी आधार के चरम सीमा के परे जाकर करना एवं मानना अंधविश्वास है। इस प्रकार साधारण शब्दों में बिना किसी सम्यक् तार्किक अथवा वैज्ञानिक प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास करना अन्धविश्वास है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध प्रचलित कुरीतियाँ एवं अन्धविश्वास

(1) कुरीतियाँ

- कुरीतियाँ जो अब लगभग प्रचलन में नहीं रहीं –

सती प्रथा, विधवाओं का मुंडन, विधवा पुनर्विवाह न किये जाने की प्रथा, नियोग प्रथा, जौहर प्रथा, नित्यमंगली प्रथा, स्तन कर देने की प्रथा, परवर्दाह प्रथा, इत्यादि।

- कुरीतियाँ जिनका प्रचलन अभी भी भारत में है –

दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, गोठ प्रथा, डाकन प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, जन्म पूर्व अथवा पश्चात् कन्याओं की हत्या, मोक्ष के लिए कोड़े मारने की प्रथा, कुकरी प्रथा, इद्दत का पालन, मुता विवाह, हलाला, शुद्धिकरण प्रथा, साठा प्रथा, सफ़ेद दाग रोगियों से भेदभाव, वैवाहिक चिन्ह पहनने की प्रथा, कोना प्रथा इत्यादि।

(2) अन्धविश्वास

लिंग निर्धारण में महिला जिम्मेदार, बांझपन की शिकार महिला के साथ भेद-भाव, मृत्यु भोज (अन्त्येष्टि), जादू टोना, तंत्र, मन्त्र, भूत प्रेत, देवी आना, लड़कियों में भानमती, दैवीय प्रकोप, चमत्कार, सम्मोहन, भूत प्रेत से साक्षात्कार, बड़ी माता, छोटी माता, शुभ अशुभ, तावीज का प्रयोग, वशीकरण, ग्रहों का मायाजाल, मांगलिक वधू व आमंगलिक वधू, पाखण्डी बाबा की शरण इत्यादि।

प्रथा कुरीतियों और अन्धविश्वास के माध्यम से महिला मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उपाय विधिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 (1) यह प्रावधान करता है कि इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं अनुच्छेद 13 (3) (क) में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि विधि के अंतर्गत रूढ़ि या प्रथा भी शामिल है इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में प्रचलित वे सभी रूढ़ियाँ या प्रथाएँ जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हैं असंवैधानिक व शून्य हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 (2) (ख) इस प्रकार की प्रथाओं पर रोक लगता है इस अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा समाज-कल्याण एवं सुधार के लिए व्यवस्था करने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। उक्त खण्ड के अंतर्गत राज्य कानून बना कर उन सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का उन्मूलन कर सकता है जो राज्य की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं ऐसी क्रियाएँ किसी भी धर्म का आवश्यक तत्व नहीं होती हैं और इनका उन्मूलन धर्म पर आघात नहीं पहुंचाता ऐसी दशा में धर्म के ऊपर समाज-कल्याण एवं सुधार की व्यवस्था प्रभावी होती है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(क) (ङ) ऐसी प्रथाओं को त्याग करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।

भारतीय संविधान का भाग 3 "शोषण के विरुद्ध अधिकार" के माध्यम से मानव का दुर्व्यपार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 371 के अनुसार "जो कोई अभ्यस्तः दासों का आयत करेगा, अपसारित करेगा, खरीदेगा, बेचेगा, या उनका दुर्व्यपार, या दुर्व्यवहार करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भी भाँती के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक न होगी दण्डित किया जायेगा या जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता द्वारा धारा 312 से 318 तक के प्रावधानों द्वारा कन्याभ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया गया है।

सती (निवारण) अधिनियम 1829 और 1987 – भारत देश में सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक महिला को पति के साथ जिन्दा जला दिया जाता था। समाज के लोग महिलाओं पर इस आधार पर दबाव बनाते थे की इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस क्रूर और अमानवीय व्यवहार को रोकने के लिए भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया परिणाम स्वरूप लार्ड विलियम वेटिंग ने कानून बना कर इसे समाप्त कर दिया किन्तु बाद में भी ऐसी घटनाएँ होती रही जिसके कारण 1987 में पुनः इस पर कानून बनाया गया। और परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में सती प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई है।

बाल विवाह (निषेध) अधिनियम 2006 – बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 से प्रतिस्थापित किया गया है। यह अधिनियम बाल विवाह संपन्न कराने को बढ़ावा देने या उसकी अनुमति देने के लिए सजा विहित करता है। यह सजा दो वर्ष के कारावास और एक लाख रुपए तक के अर्थदंड की हो सकती है। अधिनियम राज्य सरकार को बाल विवाह की रोकथाम करने, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर साक्ष्य एकत्र करने, बाल विवाह के मुद्दों पर समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक निर्णयाधिकार के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति देता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 – हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 द्वारा बहुविवाह प्रथा पर रोक लगा दी गई है। इस धारा के अनुसार विवाह की पहली शर्त यह है की विवाह के दोनों पक्षकारों में किसी का पति या

पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस प्रावधान के उल्लंघन पर हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 और 495 के उपबंधों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 – वेश्यावृत्ति हमारे समाज, देश के लिए ही समस्या नहीं है वरन यह समस्या एक विश्वस्तरीय समस्या है। शनै-शनैः समस्त देश इसके निवारण के लिए कार्यरत रहे हैं और आज भी हैं, किन्तु यह आज भी हो रही है। हमारे देश भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए सन् 1956 में एक अधिनियम (कानून) पारित किया गया जिसे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम नाम दिया गया है। इस एक्ट के द्वारा वेश्यावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के सुधार एवं दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इस एक्ट में कुल 25 धाराएँ हैं।

दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम 1961 – दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में दहेज सम्बन्धी बुराईयों को रोकने के लिए पारित किया गया। यह बुराई निःसंदेह ही समाज को विकृत कर रही हैं। इस बुराई को रोकने के लिये संसद ने सन 1961 में अधिनियम संख्या 28 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' को पारित किया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज लेना और दहेज देना दोनों को प्रतिषिद्ध करता है। किन्तु यह खेद की बात है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अस्तित्व के आ जाने के बाद भी दहेज के माँग में कोई कमी नहीं आ रही है इस अधिनियम में 1984 में संशोधन भी किया गया लेकिन तब भी यह कारगर नहीं साबित हुआ हाँ इस अधिनियम का दुरुपयोग जरूर देखने को मिला है।

राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 – डायन-प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 पारित होने के बाद राजस्थान ऐसा कानून बनाने वाले गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है। इस अधिनियम में महिलाओं को डायन कह कर अखाद्य पदार्थ पीने या खाने को मजबूर करने, नग्न या अर्द्ध नग्न घुमाने अथवा सम्पत्ति से बेदखल करने को दण्डित किया गया है इसके तहत इन महिलाओं को सताने वालों के साथ ही डायन चिकित्सक होने का दावा करने वालों को भी सजा होगी। इस अधिनियम में डायन प्रताड़ना के मामले में सात साल तक तथा इससे मौत पर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि असम में प्रीवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच-हंटिंग बिल, 2015, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005, महाराष्ट्र काला जादू अध्यादेश 2013, 1982 कर्नाटक और 1988 आंध्रप्रदेश में देवदासी प्रथा बंद की गयी और कर्नाटक में अंधविश्वास निरोधक अधिनियम 2017 पारित किया गया जिनका मुख्य उद्देश्य अन्धविश्वास पर आधारित अपराधों का निर्मूलन था।

न्यायिक दृष्टिकोण –

सैफुद्दीन साहब बनाम स्टेट ऑफ़ बम्बई राज्य¹² के वाद में अनुच्छेद 25 (2) (ख) को आधार बना कर न्यायालय ने सती और देवदासी जैसी प्रथाओं को निषिद्ध करने के लिए बनाये गए कानून को विधिमान्य घोषित किया।

बालुसामी बनाम बाल कृष्णा¹³ मामले में माननीय न्यायालय ने कहा ऐसी प्रथा जो अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध हो न तो मान्य होगी न ही प्रवर्तनीय।

वासवा¹⁴ के मामले में माननीय न्यायालय में देवदासी प्रथा पर रोक लगाया और इसे अपराध घोषित किया क्योंकि न्यायालय का मानना था कि किसी बालिका को देवदासी के रूप में किसी मंदिर को समर्पित करना ऐसे

¹² AIR 1962 SC 835

¹³ AIR 1957 मद्रास 97

¹⁴ (1891) 15 मद्रास 75

अवयस्क के व्ययन के तुल्य है, क्योंकि यह ज्ञात रहता है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोजन हेतु लड़की का उपयोग में लाया जाना संभाव्य है।

गोवादुर भुयन¹⁵ तथा गंदूर नायका¹⁶ के वाद में न्यायालय ने जादू टोने या इन्द्रजाल के कारण सृजित भय के कारण मृत्यु कारित करने को न्याय संगत नहीं माना ।

इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ़ केरल और अन्य¹⁷ के मामले में जो की अत्यधिक विवादित रहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को हटा दिया । इस मंदिर में एक लम्बे समय से रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक थी ।

निष्कर्ष – जिस देश के संविधान का निर्माण ही व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली बन्धुता को बढ़ाने के लिए हुआ हो जिस देश का संविधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करने की मार्मिक अपील करता हो, उस देश में अन्धविश्वास एवं कुरीतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में अंधविश्वास एवं कुरीतियाँ न सिर्फ फली-फूली बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इत्यादि जैसी कुरीतियों के विरुद्ध केन्द्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण हुआ इन कानूनों का प्रभाव यह रहा कि कुछ कुरीतियों पर यह काफी हद तक कारगर साबित हुए तो कुछ कुरीतियों को इन कानूनों द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि अन्धविश्वास रोधी कोई भी केन्द्रीय कानून नहीं बनाया गया यद्यपि महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने इस क्षेत्र में कानून बना कर सराहनीय कार्य किये फिर भी अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का अभाव है इसलिए एक कठोर केन्द्रीय कानून का निर्माण किया जाना अति आवश्यक हो गया है नहीं तो पाखण्डी बाबाओं और तांत्रिकों आदि के द्वारा तन्त्र मन्त्र आदि के नाम पर महिलाओं का शोषण जारी रहेगा, डायन, टोनही कह कर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता रहेगा, हत्या और बलि जैसी घटनाएं रोजमर्रा होती रहेंगी ।

यह सुखद है कि केंद्र सरकार द्वारा असम की बिरुबाला रभा को और झारखण्ड की छुटनी महतो को भूत-प्रेत तंत्र मंत्र और डायन प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया जिससे ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोबल इस प्रकार की सामाजिक बुराईयों से लड़ने के लिए बढ़ेगा। यह सत्य है कि भूत-प्रेत, तन्त्र-मंत्र, कला जादू, टोना, डायन, वशीकरण इत्यादि के भ्रामक प्रचारकों और तथाकथित सिद्ध पुरुषों से समाज को बचाने के लिए तथा समाज में व्याप्त कुरीतियों से लड़ने के लिए एक सशक्त केन्द्रीय कानून का बनाया जाना अत्यंत ही आवश्यक है, परन्तु सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा इन कानूनों का सही भांति निष्पादन सुनिश्चित हो सके इसके लिए न्यायालयों को स्वयं मानिट्रिंग करनी होगी। जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष होने का दावा करता हो उसे सबके सामने इन दावों को सिद्ध करने को कहा जाये और इसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की जाए जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया जाये, गाँव-गाँव गली-गली में युद्ध स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाये और जनता की भीड़ इकट्ठी की जाए। यदि कोई मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो और अजीबोगरीब हरकत करे तो उसे अच्छे मस्तिष्क चिकित्सक को दिखाया जाए साथ ही मनोवैज्ञानिकों की सलाह ली जाए । प्रचलित कुरीतियों के प्रति लोगों

¹⁵ (1870)13 डब्लू आर (क्रि) 55

¹⁶ (1882)1 वेयर 305

¹⁷ AIR 2018 SCC SC 1690

को जागरूक किया जाए साथ ही सरकार, समाज और परिवार द्वारा महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाये तभी हम इन कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों के विरुद्ध लड़ सकेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1.भारत का संविधान 1950
- 2.असम में प्रीवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम विच-हंटिंग बिल, 2015
- 3.राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015
- 4.छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005
- 5.महाराष्ट्र काला जादू अधिनियम 2013
- 6.भारतीय दण्ड संहिता 1860
- 7.गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1974
- 8.सती (निवारण) अधिनियम 1829 और 1987
- 9.बाल विवाह (प्रतिषेध) 2006
- 10.हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
- 11.अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956
- 12.दहेज (प्रतिषेध) अधिनियम 1961
- 13.पाण्डेय जय नारायण डॉ, भारत का संविधान 46वाँ सं. 2013 से.लॉ.ए .इलाहाबाद
- 14.अग्रवाल एच, ओ. डॉ. अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार, से.लॉ.प. इला 10वाँ स. 2008
- 15.सम-सामयिक घटनासार
- 16.प्रतिमा चतुर्वेदी भारत में सामाजिक समस्या संस्करण, प्रथम 2011 प्रकाशक, वार्किंग बुक्स, जैन भवन,
- 17.एन. ई. आई. के सामने शांति नगर जयपुर
- 18.शर्मा जी. एल, सामाजिक मुद्दे प्रथम 2015



Post Nehrunivan Legacy and Its Impact on Globalization

Dr. Shazia Akhtar

Associate Professor, Department of Political Science K.K.(P.G.) College, Etawah (U.P.),
India

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 59-61

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

Abstract - This paper is an attempt to analyse the idea of Pt. Jawaharlal Nehru in the context of his legacy and its impact on globalization. He was never against the policy of globalization but to Nehru meant something different from what is understood and practical today. Of course he wanted the integration of his country with the other countries of the world, He looked for co-operation of other countries in the socio-economic development of India. His opinion was that no nation can progress in isolation. We tried to discuss his legacy and its impact on globalization. His views on globalization could best be understood from his efforts to make and implement the foreign policy for his country.

Keywords - U.N.O., M.N.Cs, I.GOs, GATT, UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNHCR, UN Agencies, Globalization, Monetary System, Global Communities, Pressure Group.

Globalization is generally defined as the expansion of economic and political activities across the boundaries of the nation. As Deepak Nayyar observes “It (Globalization) can be defined simply as the expansion of economic activities across political boundaries of nation’s state”.¹ It means different things to different people. More importantly, perhaps, it refers to a process of deepening, economic integration, increasing economic openness and growing economic interdependence between countries in the world economy.

Jawaharlal Nehru was never against the policy of Globalization. But Globalization to Nehru meant something different from what is understood and practised today. Nehru Of course wanted the integration of his countries with the other countries of the world. He always looked for the co-operation of other countries in the socio-economic development of India. He even joined hands with those countries from which he won the freedom for his country. He always tried to safeguard the social welfare and interest of the people of India. In other words, he did not want the progress of his country at the cost of exploitation of its people.

Nehru was of the opinion that no nation can progress in isolation. His views on globalization could best be understood from his efforts to make and implement the foreign policy of his country. Nehru had shown alarming concern about the intention of economic powers and their domination in re-defining the U.N. bodies. While speaking in the Indian parliament, he said “The forces of a capitalist if left unchecked, tend to make rich richer and poor poorer.”²

Nehru’s priority ‘Right of people to self determination’ became the debated issues. Nehru was critical of all forms of determination and exploitation of one country by another that proved anti-thesis and created

hostility and tension among the nation. Nehru said “a satisfactory peace or equilibrium in the world could not be achieved till this domination aspect is removed”.³ He felt that ignorance is always afraid of chance.

Nehru’s predicaments “that is the economic organization of U.N. become weak, political domination over rule and only poor nation became the real culprits. The political decisions and actions that are rapidly acquired powerful economic actors which resulted in the distortion of classical economic system. Then the multinational corporations (IGOs), social movements and inter-state pressure groups become more active. The creation of GATT in 1948 just after successful experiments of UNO was the reaction of conventionally controlled Global economy.”⁴

He was too much disturbed following the division of the world into ‘under-developed’ and ‘industrialised community’. He observed, “There is a vast difference in the living standard and all that goes with it between the highly industrialised countries. And what is even more significant that gap is widening.”⁵ For variety of reasons, Nehru had great attachment with U.N. agencies like UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNHCR and that should work as socio-economic security forums for poor and less developed countries.

Today organizations of globalization are creating politically supported monetary benefits by attacking the domestic economies. With the beginning of new-liberal agenda and gave economic crisis, the financial agencies continue to earn credible support by regularizing Global monetary system. The environment friendly profits motivated and capital incentives of MNCs have weekend the local bodies by attacking on Swadeshi and imposing strict rules and structural modifications over poor economies that terribly lack technical manpower resources and social security. In late sixties itself Nehru greatly felt that the need of creating a special funds for economic developments of underdeveloped countries.

Long ago before the advent of globalization, Nehru had opinion that economic and political intervention of number of global communities were interdependent, may be called as another form of global culture. In his ‘Discovery of India’, Nehru openly said : “There is bound to be friction among the nation”. Thus, he asserted “that it was in the interest of the prosperous countries that they should extend their economic assistance, preferably through the specialized U.N. agencies to the under-developed countries.”⁶

Nehru strongly urged for lessening the global tension by creating the foundation of international equilibrium of economic interest. Though he never used the word ‘Globalization’ the following statement of Nehru refers to Globalization, “What perhaps is not sufficiently realized in international character is industrialism. It has broken down national boundaries and it has made each nation, how powerful it may be, dependent on their countries. The world has become internationalised, production is international, markets are international and transport is international. No nation really independent, they are really interdependent.”⁷

Nehru was a great visionary. He had indeed, high ambition for his country and h always dreamed of its destiny. He made serious efforts to overcome the country from the existing social evils and economic problem of mass poverty and vast unemployment, illiteracy, food shortage etc. He carries India into a new era, from an era of stagnation to an era of dynamism. He initiated towards the establishment of welfare state based on democratic socialism plunged us into scientific evolution and gave us a scientific temper, laid down sound foundations of political and economic stability. In short, he put India on the world map.

The main purpose of globalization and Pt. Nehru’s socio economic policies has been to make India economically strong, stable, self-reliant and economic and political freedom more relevant and meaningful. His

ideas have all directed towards laying a strong foundation of shattered economy of India. His concept of economic freedom included an economic structure based on economic equality on the well being of the masses and co-operative spirit.

References

1. Deepak Nayyar, 'Globalization: What does it mean for Development', In Bibek Debroy(ed.) Challenges of Globalization. (Delhi: Konark Publishers Pvt. Ltd. 1998)
2. Quotation extracted from employment news (New Delhi), 12-18 Nov. 2005 P-40.
3. Tiber, Monde: Nehru: Conservation of India and world Affairs, George Braziller Inc. New Delhi 1956, P44.
4. Palmer, N.D. and Perkins, H.C.: International Relations A.I.T.B. Publishers and distributors, New Delhi 1997 P.537.
5. Nehru's Speech in the Constituent Assembly, March 28, 1948.
6. Lal, Nand: Jawaharlal Nehru's contribution to the theory of International Relations, Grover, V, Ex.note4, pp-583-84.
7. Verma, V.P., Modern Indian Political Thought. Lakhmi Narayan Agarwal Publication Agra, 1993 P.572

कोरोना संकट और हमारा दायित्व

रेशमा त्रिपाठी

शोधार्थी पीएचडी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 62-68

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांश— कोरोना संकट के समय अपने मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोगों की सहायता करें, पर ज़रूरी नहीं है कि वह सहायता आर्थिक ही हो। मनुष्य की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं यदि हम किसी को कुछ दिन छत दे सकते हैं, कुछ दिन रोटी दे सकते हैं और कुछ कपड़े अपने हिस्से का उसे दे सकते हैं तो वह भी हमारी मदद ही होगी, साथ ही सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना भी समूचे भारत में शान्ति सौहार्द, एकता और अखण्डता बनाये रखना भी देशहित में सहायक होगा। अब हमें, और आपको यह तक करना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती हैं हमारा जनजीवन पहले जैसा सामान्य नहीं हो जाता है तब तक हमें अपने दायित्वों का निर्वाहन भली-भांति करना चाहिये। जिससे इस संकट की स्थिति में देश, आप और हम बाहर आ सकें।

मुख्य शब्द— कोरोना, संकट, समाज, आर्थिक, मनुष्य, मानसिक, वैक्सीन, देशहित, पालन।

कोरोना संकट का आम आदमी के जीवन में शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जिस पर प्रभाव न पड़ा हो। विश्व स्तर पर भी यह संकट एक महामारी के रूप में बनकर उभरा। पिछले 6 महीनों से कोरोनावायरस से बचाव के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी हैं रोजमर्रा की दौड़ती, भागती जिंदगी के बीच अचानक ब्रेक लगने से मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक संकट पर गहरा असर पड़ा है इंडियन सैकेट्रिक सोसाइटी के एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना काल के दौरान मानसिक रोगियों में इजाफा 15 से 20 प्रतिशत तक हुआ है। इसका मुख्य कारण तीन बातों पर केंद्रित हैं—

1. कोरानावायरस से संक्रमित होने का डर।
2. नौकरी और रोजगार को लेकर अनिश्चितता।
3. लॉकडाउन के कारण अकेलापन।

गौरतलब हैं कि सरकारी नौकरी और रोजगार की समस्या निम्नवर्ग से लेकर मध्यवर्ग तक अधिक प्रभावी होगी। जिसमें कोरोना संकट के समय 2.1 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। जिसमें पिछले 6 वर्षों के दौरान 25 से 64 की उम्र के लोग शामिल हैं। जिनकी वर्तमान संख्या लगभग 47 मिलियन है जिसमें 3.5 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने की जरूरत है जिसमें श्रम शक्ति की भागीदारी के अनुसार 30 लाख युवकों को रोजगार देने की जरूरत है प्रतिमाह लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए क्योंकि भारत की श्रम शक्ति भागेदारी 40 फीसदी ही है जबकि विकसित देशों में 60 फीसदी है इस बात पर भी सरकार

को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत हैं क्योंकि चीन जनसंख्या की दृष्टि में भारत से आगे होते हुए भी रोजगार के मामले में अधिक जागरूक हैं। अतः सरकार को सार्वजनिक नौकरियों को खत्म करने के बजाय उसमें इजाफें करने की जरूरत हैं। स्टैण्ड-अप, स्टार्ट अप इंडिया और मुद्रा योजनाओं पर अमल कर उद्यमियता की भावना को जगाने का प्रयास करना चाहिये। क्योंकि देश में बेरोजगारी दर पिछले तीन सालों में 4 फीसदी से ऊपर है जिसे सरकार जनसंख्या बोज़ समझकर नजर अंदाज करती हैं बजाय उसमें संशोधन करने के। देश में वर्तमान समय में 83 मिलियन नौकरियों की जरूरत हैं। जिसमें रेलवे का निजीकरण भी चिंता का विषय है, साथ में मनरेगा में भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत हैं। हालांकि कोरोना संकट के समय इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है साथ ही यह तय कर पाना मुश्किल कि आगे की राह किस प्रकार विकसित होगी क्योंकि मानसिक द्वंद्व से लेकर आत्महत्या, चोरी, लूटपाट, भिक्षावृत्ति इत्यादि में इजाफा होना तय है। वहीं महिलाओं/बालिकाओं के संदर्भ में घरेलू हिंसा यौन शोषण में वृद्धि देखने को मिली हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग अनुसार— लॉकडाउन के दूसरे चरण तक करीब 92000 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। वही रेप के मामलों में 7 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है। एन.सी.आर.बी. ने 2019 के आंकड़े जारी किये जिसमें पिछले साल हर दिन दुष्कर्म के 87 मामले दर्ज हुये हैं। इस तरह साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 मामले दर्ज किये गये जो कि 2018 की तुलना में 7 प्रतिशत से अधिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2018 में महिलाओं के खिलाफ 3,78,236 आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे। रिश्तेदारों से क्रूरता के मामले 30.9 प्रतिशत और 17.9 प्रतिशत अपहरण के मामले सामने आये हैं। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो एक अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन की मार देशभर में करीब 78 प्रतिशत से ज्यादा लोगों पर पड़ी है यह सर्वेक्षण 23 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 169 जिलों में किया गया है यदि आर्थिक आधार पर वर्ग भिन्नता पर प्रकाश डालें तो गरीब वर्ग 82 प्रतिशत, समग्र 70 प्रतिशत और कुल लगभग 78 प्रतिशत लोगों पर कोरोना का असर देखने में आया है। वहीं वैश्विक स्तर पर कृषि मांस, मत्स्य उत्पादन, रेलवे, फिल्म उद्योग पूरी तरह से ठप होने के कारण जीडीपी में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जीएसटी संग्रह पर अभी भ्रामक स्थिति हैं क्योंकि रेस्तरां, विमान उद्योग, रेलवे जैसे सेवा क्षेत्र महज 30/40 फीसदी क्षमता के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जबकि कोरोना संक्रमण काल से पहले हर दिन 14,000 पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी लेकिन आज सिर्फ 400/500 ट्रेनों की चल रही हैं। इसी तरह हवाई सेवाएं भी पूर्व की तुलना में 30/40 फीसदी यात्री यात्रा कर रहे हैं। मेट्रो का भी यही हाल है। इस तरह कुल संग्रह में 71.75 फीसदी पिछले साल की तुलना में कमी आई हैं। मई 2020 से सुधार क्रम शुरू तो हुआ परन्तु जुलाई में फिर हमें निराश होना पड़ा। जून में जहां 9.03 फीसदी की गिरावट हुई थी वहीं जुलाई में 14.36 फीसदी गिर गई। जीडीपी मतलब सुधार के बजाय बिगाड़ के संकेत दिखने लगे। अब सितम्बर में 3.88 फीसदी की बढ़त दिखाई जा रही है, उससे यकीनन अर्थव्यवस्था के तमाम अंगों पर बेहतर प्रदर्शन होगा। जीएसटी संग्रह 10.4 की बढ़त मायने रखती हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण भले ही घट रहा हो लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बच्चों से सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। यह रिसर्च साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है जिसमें शोधकर्ताओं का कहना कि विकसित देशों की तुलना में भारत में 40 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु वर्ग में कोरोना के अधिक मामले सामने आये हैं। यह भी पता चला कि 70 फीसदी से ज्यादा मरीजों ने अपने संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को संक्रमित नहीं किया। सिर्फ आठ फीसदी संक्रमितों से 60 प्रतिशत नए लोगों तक संक्रमण फैला। कोरोना से मरने वालों की संख्या में तीन तरह के लोग शामिल हैं। पहला, 63 प्रतिशत मृतक ऐसे लोग पहले से किसी एक गम्भीर बीमारी से ग्रस्त थे। दूसरा, 36 प्रतिशत लोगों को पहले से दो या

दो से अधिक बीमारियों से ग्रसित थे। तीसरा, 45 प्रतिशत लोग जो मधुमेह से पीड़ित थे। ऐसे लोग कोरोना वायरस की सपेट में आने से मरने वालों की संख्या में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिमाह कोरोना से मरने वाले मरीजों में इजाफा हो रहा है। मई में मरने वालों की संख्या 4267 थी, जून में 11988 जुलाई में 19122 अगस्त में 28859 और वहीं सितम्बर में 33255 मामले दर्ज हैं। वहीं गौरतलब है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिस पर सरकार का ध्यान केंद्रित मंत्री गंगवार जी ने कहा है कि देश का कृषि बजट 1.34 लाख करोड़ रुपये हुआ। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 2014 में पदभार संभालने के बाद गांवों, किसानों, गरीबों और कृषि की निरंतर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा वर्ष 2009/2010 में कृषि मंत्रालय का बजट सिर्फ 12,000 करोड़ रुपये था, जिसे 11 गुना बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये राष्ट्रपति ने तीनों श्रम कानूनों पर अपनी सहमति भी दे दी है। गौरतलब है कि सरकार के कानून कागजों पर और बजट कुछ समझदार किसानों तक ही पहुंच पाते हैं। धरातल पर नून रोटी की खातिर दिन रात मेहनत, गालियां और चमचों की खातिरदारी में किसान अपने ही घर में न जाने कितनी रातें भूखे सो जाते हैं और अगली दफा, अगली सरकार, अगला बजट पारित हो जाता है फिर ऐसी क्या वजह है कि वहीं किसान और अधिक गरीब, कर्जदार हो जाता है। यकीनन कोई तो राजनीति होगी या सरकार किसानों का निजीकरण चाहती है विचार करना चाहिए। क्योंकि किसान से खरीदकर किसान को ही कम दाम में सरकारी कोटे द्वारा राशन कार्ड से राशन देना वाकई कई प्रश्न खड़े करता है वहीं गौरतलब है कि कोरोना संकट का असर।

बाल मजदूर और पिछड़ी जातियों पर अधिक प्रभावी रूप में देखने को मिलेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट की मानें तो विश्व में 117 देशों की सूची में भारत 102वें पायदान पर है। भुखमरी के क्षेत्र में लिहाजा भारत की स्थिति चिंताजनक है अन्य देशों की तुलना में क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान 66वीं, बांग्लादेश 94वें स्थान पर अपना अधिकार बनाने में कामयाब रहा यही मानना कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेस्ट हंगर हिल्फ की ग्लोबल हंगर इंडेक्स और यूनिसेफ का भी मानना है और यदि हम कोरोना काल पर नजर डालें तो हाल ही में आयी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में आई रिपोर्ट की मानें तो – **'covid 19 and child labour a time of crisis a time of act'** नामक रिपोर्ट में मौजूदा वैश्विक महामारी के कारण बाल श्रम में वृद्धि की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह महामारी आर्थिक संकट लेकर आएगी जिसमें लाखों बच्चों के धकेले जाने का खतरा बना हुआ है। इन देशों में भारत, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों की चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक वर्ष 2000 में करीब 24.6 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे जो 2017 में घट कर 15.2 करोड़ रह गये थे। इनमें से 7.3 करोड़ बच्चे उन कामों को कर रहे थे जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है।

यदि अधिकतम आबादी की बात करें तो पूरी दुनिया में अफ्रीका में सर्वाधिक बाल मजदूर पाये जाते हैं करीब 7.21 करोड़ बच्चे वहीं अन्य देशों की बात करें तो अमेरिका में 1.07, यूरोप और सेंट्रल एशिया में 55 लाख, अरब देशों में 75 लाख बाल बच्चों बाल मजदूरी कर रहे हैं। कुल मजदूरों में करीब 48 फीसदी बच्चें 8 से 11 वर्ष के जबकि वहीं 28 फीसदी 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। यदि भारत की बात करें तो बाल मजदूरी के मामले 2011 की जन गणना के मुताबिक 10.1 मिलियन बच्चें बाल मजदूरी कर रहे थे जिसने 5.6 मिलियन लड़के जबकि 4.5 मिलियन लड़कियां काम कर रही थी। स्पष्ट है कि बाल मजदूरी का अनुपात

कृषि क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप में सक्रिय हैं। हालांकि भारत से लेकर विश्व स्तर तक पिछले कुछ दशकों से बाल मजदूरी में गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है जिसमें भारत सरकार समय-समय पर बाल मजदूरी पर प्रतिबन्ध लगाने से लेकर विभिन्न सेवाओं के साथ कानून का पालन करने पर बल देने, लोगों को जागरूक करने का समग्र प्रयास कर रही हैं किन्तु बाल मजदूरी जड़ता में इस तरह विद्यमान है कि इसका अनुपात कोरोना काल में बढ़ कर देखने को मिल सकती है लिहाजा इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 20 वर्षों से जो गिरावट देखने को मिली है वह इस संकट के दौर में पुनः बढ़ती हुई आगे उभर कर आएगी जिसका असर भी लम्बे समय तक देखने को मिल सकता है। बाल मजदूरी का जन्म यदि गरीबी के कारण होता है तो उसका दूसरा पहलू यह भी है कि बाल मजदूरी के कारण गरीबी जन्म लेती है। यह समझना आवश्यक है कि कल कारखानों में काम करने वाले बच्चों सस्ते दामों पर अधिक काम, अधिक समय तक करते हैं जिसके कारण वयस्कों को रोजगार मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का जनसंख्या की दृष्टि में कम होना, योग्य एवम् कुशल उपभोगकर्ता का अभाव होना है।

एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल मजदूर औसतन 12 घंटे काम करते हैं ऐसे में सस्ता मजदूर मिल जाने पर वयस्कों को रोजगार कैसे मिल सकेगा लिहाजा गरीबी के कारण भुखमरी बढ़ती है और तब फिर जन्म ले लेता है बाल मजदूर इसका एक कारण यह भी है कि औद्योगिक क्षेत्र में संलिप्त होने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, पढाई बीच में छोड़ने का कारण भी प्रत्यक्ष रूप में गरीबी ही है और यदि हम उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों की साक्षरता दर का अनुमान देखें तो साफ पता चलता है कि वह संख्या के अनुपात के अनुसार कितने निचले पायदान पर खड़ा है। अक्सर देखने को मिलता है कि बाल मजदूरों को विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है परिणाम स्वरूप असमय मृत्यु, विभिन्न बीमारियों के शिकार होते हैं साथ ही दुर्व्यवहार, असुरक्षित प्रवासन, यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद – फरोख्त, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का करोबार, बाल अपराध जैसी बड़ी समस्या देश के समक्ष आती है जो कि बेहद संवेदनशील और प्रासंगिक विषय है जिस पर सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। वहीं यदि पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो कोरोना संकट के समय सर्वाधिक अनुकूल वातावरण रहा जिसमें नदियों के स्वच्छ होने से लेकर वायु प्रदूषण तक अधिक प्रभावी रूप में देखने को मिला जो ही बेहद खास रहा। क्योंकि पर्यावरण का जितना प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है उतना ही पशु, पक्षियों, जंगली जानवरों पर भी देखने को मिलता है। अपितु देखने में आया है कि बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, हो गई हैं उन्हीं में से एक भारत का राष्ट्रीय पशु, बाघ भी मानो इसकी चपेट में आने लगा है क्योंकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 71 बाघों की मौत सितम्बर माह 2020 में हो गई। यदि पिछले तीन सालों पर नजर डालें तो कुल 384 बाघों की मौत हो गई जोकि चिन्ता का विषय है। सरकार का ध्यान इस विषय पर भी खींचने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर दुनियाभर में चीन के प्रति विरोधी भावना जिस तरह से कारोबार पर असर डाला है उसमें भारत भी पीछे नहीं है। पहली बार चीन के मुरीद ग्राहकों और देशों ने भारतीय निर्याताकों से सम्पर्क साधा है। जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, कालीन, सैंडलरी, मीट, डेयरी, रसायन सहित एक दर्जन उद्योगों को मिल रहा है यही वजह है कि कोरोनाकाल में पहली बार निर्यात पांच फीसदी बढ़ गया। कोरोना से बचाव के लिये मास्क सबसे पहले चीन ने पूरी दुनिया में उतारे। एन-95 मास्क के लिये मारामारी मच गई। लेकिन भारत ने महज पांच

माह में मास्क में न केवल आत्मनिर्भरता हासिल किया बल्कि 22 देशों से चीन का बाजार छीन लिया। अब भारत से दुनिया में मास्क निर्यात हो रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के सलाहकार वाई एस गर्ग के अनुसार दो माह में नये बाजार के तौर पर बांग्लादेश, अफ्रीकी देश, जर्मनी, जापान और अमेरिका के नये ग्राहकों को माल निर्यात किया गया है। पिछली बार मासिक निर्यात में 5.27 फीसदी की वृद्धि हुई है। इनमें जिन शहरों ने अहम भूमिका निभाई वह हैं— अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, मेरठ, कानपुर आदि ने। इस पर केदारनाथ सिंह जी की एक कविता याद आती है कि—

‘चट्टानों को तोड़ो
वह सुन्दर हो जायेगी
उसे तोड़ो
वह और, और सुन्दर होती जायेगी
अगर कन्धे दुःख रहे हो
कोई बात नहीं
यकीन करो उन कन्धों पर
कंधों के दुखने पर यकीन करो
यकीन करो
और खोज लाओ
कोई नयी चट्टान।।’

भारत का आत्मनिर्भर बनने का संकल्प इसी कविता के भाव में निहित है और स्वयं के भीतर झांकने पर निश्चित ही हमें, आपको मिल जायेगी। इतना संकट होने के बाद भी भारत ने विविधता से भरपूर होते हुए भी एकता एवं अखण्डता का परिचय दिया जिसमें गरीब, मजदूर, असहाय जन्य लोगों ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिये सड़कों पर पैदल चलने से लेकर भूख से तड़प कर मर जाने तक का सफर तय किया। जिसमें परिवारजन का विक्षोह, अन्तिम दर्शन न कर पाना, बच्चे को बिलखता छोड़, भूख की तड़पन से लिप्त होने के बाद भी जिस तरह शांति का परिचय दिया यकीनन सभी जन सम्मान और आदर के हकदार हैं। इस संकट की घड़ी में जिस तरह देश में शांति, सौहार्द कायम रहा। इससे स्पष्ट है कि भारत पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि पड़ोसी देशों पर प्रभाव दिखाई देता नजर आ रहा है। दिसम्बर के अंत तक पाकिस्तान गेहूं के बड़े संकट का सामना कर सकता है। यह रिपोर्ट नेशनल असंबली स्टैण्डिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने दी है जिसके अनुसार संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 15 लाख टन गेहूं खरीदना चाहती है ताकि आपूर्ति के अन्तर को खत्म किया जा सकें। इसी तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाये जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका कम्पनियों के नतीजे बाजार को प्रभावित करेंगे।

यदि सामाजिक संदर्भ में बात करें तो अपवाद छोड़कर सभी धर्म संप्रदाय एवं समुदाय के लोगों ने कोरोना संकट के समय सामाजिक, पारिवारिक, पारंपरिक, तीज-त्यौहार, ईद, रमजान, होली संभावना है आगामी पर्व दीपावली-आमावस्या आयोजन में सजगता, सतर्कता एवं डब्लूएचओ के बताये नियमों और सरकारी आदेशों का पालन करते हुए कोरोनावायरस से बचाव करते हुये अपने-अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे जैसा कि अभी तक करते आये हैं। भारत देश की वर्तमान स्थिति आजादी के बाद की आर्थिक स्थिति के बराबर पर लगभग

पहुंच गई हैं फिर भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी गहरी पैठ हासिल की, जो कि देश के लिये गौरव का विषय हैं। जब समूचा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है तब भारत की संस्कृति, परम्परा, योग-ध्यान, खान-पान, औषधि के रूप में काम आया फिर वह सात्विक आहार हो, ध्यान हो, नमस्ते मिलाप हो या समानान्तर शारीरिक दूरी हो सभी ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया साथ ही समय रहते देश भर में लॉकडाउन घोषित करना भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सराहनीय कदम रहा। वहीं गौरतलब हैं कि कोरोना संकट में परिवार का ध्यान रखें, डब्लूएचओ के दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजमर्रा की जिंदगी में अनुकरण करें, जिसमें भारतीय संस्कृति को अपनाने से लेकर मुंह पर मास्क लगाना, सात्विक भोजन करना स्वच्छता का पालन करना समानांतर दूरी बनाए रखना, योग, ध्यान, प्राणायाम पर बल देना, अनावश्यक भीड़ का हिस्सा न बनाना इत्यादि बातों पर विशेष अमल करना चाहिये। रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण 2016 के अनुसार भारत के कुल कार्यबल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है इसमें से एक तिहाई बहुमत से मजदूर हैं जिनकी सहायता नगद भुगतान में बढ़ोत्तरी करके, मनरेगा श्रमिकों को नगद देकर, बाद के लिये काम की गारंटी देकर, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग सहायता राशि द्वारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, कोटेदार, जमींदार, संगठनों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा, गरीबों, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक मजदूर वर्ग की सहायता नगद खाद्यान्न रसद आपूर्ति के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करवाते हुये अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। यह एक सामाजिक प्रतिष्ठित आर्थिक संपन्न व्यक्ति द्वारा प्रवासी भारतीयों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिये जैसे कि महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने सराहनीय कार्य किया उसी तरह समाज के हर जनपद के जैसे कि प्रयागराज में एनजीओ संगठन आई डीयू लुक स्मृति सेवा संस्थान अभिषेक वर्मा जी ने सराहनीय कार्य किया है। लखनऊ से भरोसा आरिफ जफर ने अपने साथी डेवलपमेंट फाउण्डेशन द्वारा बहुत ही सराहनीय काम किया साथ ही प्रतापगढ़ जनपद से सीसी बीपीडीयू द्वारा अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा बहुत ही सामाजिक एवं सराहनीय कार्य किये गये। इसी तरह हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने से नीचे तबके के लोगों की सहायता करें यदि सरकारी विभागों की बात करें तो बायोमैट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगाकर, घर से काम करने, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजन, वार्तालाप, कार्यक्रम एवं विभागीय कार्य संपन्न कराये जायें जोकि सरकार ने सक्रिय रूप से लागू किया, हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक नुकसान बच्चों की शिक्षा पर देखने को मिले मिलेगा यकीनन किन्तु डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, प्रेरणा ऐप द्वारा बच्चों की पढ़ाई जारी रखना चाहिये। लेकिन यह व्यवस्था संकट काल तक ही सीमित रखा जायेगा तो ही बच्चों के लिये बेहतर होगा। इससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा नहीं तो इसका परिणाम साइबर क्राइम जैसे जघन्य अपराधों की ओर बढ़ावा देना होगा क्योंकि भारत को देखना हो तो गाँव से, मलिन बस्तियों से, फुटपाथों से देखो यकीनन स्वतंत्र एवं परतंत्र भारत में तुलना कर पाना मुश्किल होगा। अतः हमारा दायित्व बनता है कि कोरोना संकट के समय अपने मित्र, रिश्तेदार, समाज के लोगों की सहायता करें, ज़रूरी नहीं है कि वह सहायता आर्थिक ही हो। मनुष्य की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं यदि हम किसी को कुछ दिन छत दे सकते हैं, कुछ दिन रोटी दे सकते हैं और कुछ कपड़े अपने हिस्से का उसे दे सकते हैं तो वह भी हमारी मदद ही होगी, साथ ही सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना भी समूचे भारत में शान्ति सौहार्द, एकता और अखण्डता बनाये रखना भी देशहित में सहायक होगी। अब हमें/आपको यह तक करना है कि जब तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाती हैं हमारा जनजीवन पहले जैसा सामान्य नहीं हो जाता है तब तक हमें अपने दायित्वों का निर्वहन भली-भांति करना चाहिये। जिससे इस संकट की स्थिति में देश, आप और हम बाहर आ सकें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित होकर अपने दायित्व का निर्वहन करें ।।

सन्दर्भ सूची—

1. द हिन्दू में प्रकाशित लेख
2. दृष्टि आडियो आर्टिकल 395
3. केदारनाथ सिंह की कविता— चट्टान को तोड़ा
4. दैनिक समाचार में प्रकाशित आंकड़े 2020–21
5. स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2020
6. डब्लू० एच० ओ० द्वारा जारी कोरोना के आँकड़े 2020–21



Cultural Contribution of Nur Jahan

Subia Hashmat

Research Scholar, University of Allahabad, Prayagraj, , Uttar Pradesh, India

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 69-72

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

Abstract - Bagh-i-Bahar Ara was laid out by the Nur Jahan Begum in 1623 A.D. The site of this garden was the western side of the Dal Lake at Sadurkhun. Achabals was one of the favourite resorts of Nur Jahan. Nur Bagh was also laid out by Nur Jahan on the eastern bank of the river Jhelum. Nur Jahan also provided patronage to several other gardens. Thus, Nur Jahan was a versatile lady, who contributed a great deal in the field of art and architecture.

Keywords - Cultural, Contribution, Nur Jahan, Bagh-i-Bahar, provided , patronage.

Nur Jahan the daughter of Mirza Ghiyas Beg, a Persian noble who came to India in search of fortune during the time of Emperor Akbar. Nur Jahan's real name was Mehr-un-Nisa. On occasion of Nauroz in 1611 A.D. Jahangir saw Mehr-un-Nisa and fell in love with her. Two months after this meeting, the two of them got married on 25th May, 1611 A.D. Mehr-un-Nisa was now called Nur Mahal (Light of the palace). In 1616 A.D. Jahangir gave her the title of Nur Jahan (light of the world). In 1622 A.D, she won the title of 'Padshah Begum' (The first lady of the realm). Nur Jahan was a learned Mughal women of Jahangir's time, she was highly cultured, educated, talented and exceedingly beautiful. She was a lady of literary excellence. She was gifted with a poetic nature and wrote extempore verses. She was a highly educated lady with a mind singularly gifted and able. She was skilled in political matters and was equally gifted in literature too. By these unique abilities she blossomed like a lovely flower and her mind unfolded with the beauty of her face and figure. She was well-versed in Persian and Arabic literature.

In the company of Jahangir, Nur Jahan Begum Begum composing sober and thought provoking poetry. She composed verses in the Persian language which carried natural outflow of her emotions, dependency, suffering and Sufi sentiments. Nur Jahan's verses, also called poetry of high order, are proof enough for her talent in the field. She too, like Salima Sultana, wrote under the pen-name of 'Makhfi' (concealed).

She had a keen interest in collecting books and had her personal library. She was active in organizing poetic competitions during her time in the royal courts. In these competitions, also known as Muhaira, many celebrated poets from far and wide participated. The most celebrated poet to grace the royal Mushairas convened by Nur Jahan begum was Qasim Khan another son-in-law of Mirza Ghiyas Beg. Thus, Nur Jahan's outstanding contributions towards the literary field, as in many other fields, certainly made her one of, or perhaps, the leading and most remarkable royal lady of the Mughai dynasty in India. Thus well versed in Persian literature she composed verses glimpsed and flowing which assisted her in capturing the heart of her husband. She discarded the old designs of dresses which were inconvenient to wear and designed new patterns.

These new clothes were available for both the royalty and the common people. Several new model and stitches were invented by Nur Jahan. In place of the peshwaz (Full-dress gown), she introduced a very light dress called dudami which weighed just tow dams. Her panchotoliya, a scarf weighing only five tolas, too was a light substitute for a head cover or orhani.

Her farsh-i-chandni (White floor sheet) or sandalwood carped became very famous all the country and was available in different colours and designs. Some of theses designs are still renowned. Nur Jahan also laid down new patterns and elegant designs for many gold ornaments. She also designed inexpensive dress for marriage ceremonies and named it Nur Mahali which could be got for just Rs. 25 and was easily affordable for poor people. Nur Jahan was versatile, as only a very few of the great women of the world's courts have been. A hundred years after her death the fashions in dress she designed are still worn.

Nur Jahan was also an expert in the decoration apartments, palace and gardens. Nur jahan exhibited keen interest in the decoration of the inner apartments. With exquisites taste, vision of colour and care, she enhanced the magnificence of the Emperor's court. The expenditure was considerably curtailed by her superb art of household management. She made great improvement in the quality of furniture used in the royal apartments, introduced new royal fashions and etiquettes looking more dignified and colorful than those used before. She decorated the apartments with curtains, jhilmils, chilmans and chicks. The infusion of gold, silver and precious stones on pillars and the ceilings was seen everywhere. Nur Jahan decorated the spacious courtyards with marble, mosaic paintings and other inlaid decoration. She got them enclosed by gardens with water courses and fountains all round.

Nur Jahan invented new ways of arranging feasts and entertaining guests. Emperor Jahangir greatly appreciated her ability to arrange feasts perfectly, Jahangir in his memoirs mentioned several

occasions when feasts were arranged by Nur Jahan Begum. On the occasion of Shab-i-Barat, Nur Jahan organized a feast in one of her houses situated in the middle of large tanks. Jahangir also spoke of the wonderful feast he attended with his other ladies at Nur Afshan Garden

Once when Jahangir recovered from illness Nur Jahan, in great joy, arranged a grand feast and adorned the assembly with such care and skill that it astonished the beholders. Not only the apartments and gardens but the animals used by the Emperor Jahangir, were also adorned beautifully on festive occasions. Nur Jahan is credited with making the housing with various pieces of khwanposh (cover of trays), sent by the nobles, Jahangir was astonished to see such a beautiful covers on his elephants' body. She invented new patterns and new ways of decorating apartment buildings and arranging feasts.

The creativity of Nur Jahan was remarkably manifested in the invention of many scents. Her mother Asmat begum invented the Itra Gulab (rose perfume) known as itr-e-Jahangiri.

Nur Jahan, had proficiency in the art of singing and dancing. She patronized classical music and dance but disliked the prevalent cheap quality of royal entertainment in the harem. She tried to stop them and start healthy and classical music conferences of expert musicians. She composed and sang the songs in a melodious style. When she was unmarried, she often accompanied her mother to the royal zanana. Occasionally in these visits she sang and danced for many queens and princesses and delighted them all with her art, Nur Jahan was not only a gifted singer but also a poetess who composed beautiful lyrics.

Nur Jahan took keen interest in the construction of buildings, she built many sarais.

At her instance a house was built at Nur Sarai. Nur Jahan got a tomb constructed over the grave of her father Itimad-ud daula. It is an exquisite piece of art.

Bagh-i-Bahar Ara was laid out by the Nur Jahan Begum in 1623 A.D. The site of this garden was the western side of the Dal Lake at Sadurkhun. Achabals was one of the favourite resorts of Nur Jahan. Nur Bagh was also laid out by Nur Jahan on the eastern bank of the river Jhelum. Nur Jahan also provided patronage to several other gardens. Thus, Nur Jahan was a versatile lady, who contributed a great deal in the field of art and architecture.

References

1. Tuzuk-i-Jahangiri, English Translation by A. Roger and edited by H. Beveridge, rep., Delhi, 2006, Vol. I, II in 2 Volumes.
2. The Jahangirnama : Memoirs of Jahangir, by Wheeler M. Thackston, New York, 1999.
3. Elliot and John Dowson, History of India as Told by its own Historians, London, 1875, Vol. VI.
4. Beni Prasad, History of Jahangir, Allahabad Indian Press, 1973.
5. Ellison Banks Findly, Nur Jahan Empress of India, New York : Oxford University Press, 1993.
6. Chandra Pant, Nur Jahan and Her Family, Allahabad, 1978.
7. Ira Mukhoty, Empresses, Queens and Begums of the Mughal Empire, Daughters of the son, New Delhi, 2018.

बाजार की प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा: एक अध्ययन

डॉ. कमल सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्रा विभाग,
नेहरू मेमोरियल शिवनारायण दास पी.जी. कॉलेज, बदायूँ, उ.प्र.।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 81-87

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

शोधसारांश— यह शोध प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दों हेतु समर्पित है। इस अध्ययन का पद्धतिगत आधार एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा की समग्र और कार्यात्मक दृष्टि प्रदान करता है। यह पाया गया कि एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसके अनुसार औद्योगिक उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के संसाधनों की दक्षता पर मुख्य जोर दिया जाता है। एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है। हम प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में औद्योगिक उद्यम में आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यकताओं के पालन की जरूरत को साबित करते हैं, जिसमें शामिल हैं: उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के घटकों से संबंधित रणनीतिक उपायों की एक प्रणाली का गठन, औद्योगिक उद्यम नीतियों का विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, किसी उद्यम के जोखिमों और खतरों की निगरानी के लिए सूचना उपकरणों और डिजिटल तकनीकों का उपयोग, आदि।

मुख्य शब्द: आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक उद्यम, प्रतिस्पर्धी स्थितियां, प्रतियोगिता आदि।

परिचय— आधुनिक संसाधन असंतुलन, आर्थिक विकास के वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले निरंतर असंतुलन, बाजार की स्थितियों में प्रणालीगत बदलाव, तकनीकी परिवर्तन में तेजी से रुझान और अन्य चुनौतियों के लिए औद्योगिक उद्यमों को आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति प्रदान करने की अनुमति देता है। आर्थिक विकास की आज की परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धी स्थिति बनाए रखने के लिए औद्योगिक उद्यमों को आर्थिक सुरक्षा की एक प्रणाली विकसित करने के प्रश्न का सामना करना पड़ता है। खतरे और जोखिम मूल्यांकन के तरीकों को प्रमाणित करने की आवश्यकता के कारण, प्रबंधन के फैसले उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह और अन्य चीजें प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के अध्ययन की प्रासंगिकता को निर्धारित करती हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांतों की पहचान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित कार्यों की पहचान की है और उन्हें पूरा किया है :

एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यकताओं को उजागर करना, आर्थिक सुरक्षा के घटक तत्वों को अलग करने के दृष्टिकोण को औपचारिक बनाना, आर्थिक सुनिश्चित करने

के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करना प्रतिस्पर्धा की स्थिति में एक औद्योगिक उद्यम में सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में अपने आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए एक औद्योगिक उद्यम के प्रयासों की दिशा निर्धारित करना है।

साहित्य समीक्षा— औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या लंबे समय से वैज्ञानिक अध्ययनों में शामिल है, जो अन्य बातों के अलावा, वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के कारण हैं, जो बाजार में औद्योगिक उद्यमों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि औद्योगिक उद्यमों की स्थिरता के संरक्षण के संदर्भ में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर इन वैज्ञानिकों द्वारा विचार किया गया है, जो है। अरेफीवा ओ. (2017), इलियाशेंको एस. (2013), इवचेंको ई. (2018), कोवलचुक ए. (2020), क्रुतोव वी. (2008), कुजेंको टी. (2004), किचको आई., मेलिखोवा टी. (2018), मिजुक वी. (2008), पोपेलो ओ. (2014), शकरलेट एस. (2007), सोलोसिच ओ. (2020, 2021), तुलचिंस्की आर. (2021), यारोवा वाई (2016) और अन्य। इस प्रकार, अरफीवा ओ. (2021) और कुजेंको टी. (2004), औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा पर शोध करते हुए, विदेशी आर्थिक कारकों के संयोजन और संसाधनों और प्रक्रियाओं की आंतरिक संरचना के कारण इस अवधारणा की जटिलता पर जोर देते हैं। एक उद्यम, जो तब सक्रिय होता है जब उद्यम की सुरक्षा और बाजार पर इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति की आवश्यकता के साथ-साथ एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है।

आर्थिक सुरक्षा के लिए औपचारिक दृष्टिकोण, स्कारलेट एस. (2007) ने औद्योगिक उद्यमों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन प्रणालियों, सूचना प्रवाह और नवीन अवसरों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादन और संगठनात्मक संरचना के संबंध की प्रकृति की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इलियाशेंको एस. (2013) पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जो औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा की प्रभावशीलता का मुख्य निर्धारक है।

आर्थिक विकास की आधुनिक आर्थिक चुनौतियाँ लगातार प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों को बढ़ा रही हैं, जो औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान की प्रासंगिकता को बढ़ाती हैं। ये और अन्य कारण इस दिशा में आगे के वैज्ञानिक अनुसंधान का निर्धारण करते हैं।

कार्यप्रणाली— इस अध्ययन का पद्धतिगत आधार एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, जो प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा की समग्र और कार्यात्मक दृष्टि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान के सामान्य और विशिष्ट दोनों वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

ए) प्रेरण और कठौती— वस्तुनिष्ठ अनुसंधान और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांतों की पहचान के लिए,

बी) विश्लेषण— बढ़ती प्रतिस्पर्धा की आधुनिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा के रुझानों की पहचान करने के लिए, उद्यमों की औद्योगिक दिशा की बारीकियों को ध्यान में रखना।

सी) मोनोग्राफिक अध्ययन— प्रतिस्पर्धा में अपने आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक औद्योगिक उद्यम के प्रयासों की चयनित दिशा के लिए शर्तें और

डी) सामान्यीकरण— आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए औद्योगिक उद्यम अनुरोधों के समूह के आधार पर, प्रस्ताव तैयार करने के साथ-साथ औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए, घटकों और आवश्यकताओं को अलग करने के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना।

परिणाम और चर्चा— एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा एक बहुआयामी, बहु-वेक्टर अवधारणा है, जिसके अनुसार किसी उद्यम की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के संसाधनों की दक्षता पर मुख्य जोर दिया जाता है। उद्यम संसाधनों के कुशल उपयोग में उत्पादन और वित्तीय गतिविधियों के साथ-साथ सामरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में लागत का तर्कसंगत वितरण शामिल है। यह एक

औद्योगिक उद्यम की स्थिरता और संतुलन और बाजार पर इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को प्राप्त करना संभव बनाता है। आधुनिक आर्थिक परिवर्तन के प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांतों को अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रबंधन और औद्योगिक उद्यमों के आगे की रणनीतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना संभव बनाता है।


एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किए बिना एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा की जांच करना असंभव है। चूंकि उद्यम स्वयं और इसकी आर्थिक सुरक्षा दोनों प्रकृति में व्यवस्थित हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, वे उच्चतम स्तर के उप-प्रणालियों के रूप में कार्य करते हैं। आर्थिक सुरक्षा एक उद्यम के प्रभावी कामकाज को प्रभावित करती है और प्रतिस्पर्धी माहौल में विकास लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करती है। इसलिए, आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी अन्य प्रणाली के लिए, इसके कामकाज की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यकताओं में शामिल हैं:

- संरचना का संतुलन, जो संसाधनों और कार्यों के वितरण के बीच संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक संसाधन-गहन आर्थिक सुरक्षा प्रणाली खतरों और जोखिमों को कम करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यम विकास की रणनीतिक योजना पर, प्रभाव की उद्देश्यपूर्णता पर निर्भर करती है।
- संसाधनों को आकर्षित करने की दक्षता, जो किसी उद्यम में आर्थिक सुरक्षा बनाने के मुख्य मिशन से होती है
- औद्योगिक उद्यमों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम सहिष्णुता के एक निश्चित स्तर पर ध्यान दें
- किसी विशेष कार्यात्मक घटक पर आर्थिक सुरक्षा के प्रभाव की दिशा निर्धारित करने में प्राथमिकता।

एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा में घटक तत्वों की एक व्यापक प्रणाली होती है, जो औद्योगिक उद्यम की बारीकियों, उद्यम की प्रतिस्पर्धी स्थिति और बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर भिन्न हो सकती है। अक्सर, एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के घटकों में वित्तीय, तकनीकी, कार्मिक, सूचना, कानूनी, नवाचार और सुरक्षा शामिल होती है। इसके अलावा, सामाजिक, सांस्कृतिक, विदेशी आर्थिक, कॉर्पोरेट, आपराधिक, निवेश और अन्य घटकों को शामिल करने के लिए आर्थिक सुरक्षा के घटकों की इस सूची का विस्तार किया जा सकता है। आर्थिक सुरक्षा के मुख्य घटकों की संख्या, एक ओर, एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा की दिशा को अधिक व्यापक रूप से कवर करना संभव बनाती है, और दूसरी ओर – विकर्षण का कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिस्पर्धी माहौल में एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक सुरक्षा के घटकों की पहचान करने के लिए एक औपचारिक दृष्टिकोण का पालन करना महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा के घटकों को अलग करने के लिए इस तरह के औपचारिक दृष्टिकोण में शामिल हो सकते हैं:

- संसाधन, जो उद्यम संसाधनों के प्रकार द्वारा एक वर्गीकरण प्रदान करता है और उनकी उपलब्धता या किसी उद्यम की सुरक्षा के लिए संसाधन प्राप्त करने की संभावना के लिए स्थापित मानदंड निर्धारित करता है (संसाधनों की सूची में वित्तीय, मानव, बौद्धिक, सूचनात्मक, तकनीकी, तकनीकी-विज्ञान, निवेश, बुनियादी ढांचा और अन्य संसाधन शामिल हो सकते हैं),
- क्षेत्रीय, प्रत्येक औद्योगिक उद्यम में गतिविधि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, जो अपने आप में एक विशेष उद्योग में उद्यमों की विकास सुरक्षा के विभिन्न संकेतक हो सकते हैं (गतिविधि के क्षेत्रों, जैसे उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और व्यवसाय द्वारा पृथक्करण),


- कार्यात्मक, सुरक्षा के डिजाइन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक उद्यम में लागू आर्थिक सुरक्षा की कार्यात्मकताओं पर निर्भर करता है (ऐसी कार्यात्मकताओं में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय विकास, सूचना, वित्तीय, निवेश, कार्मिक, संगठनात्मक, प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में उद्यम की सुरक्षा कानून शामिल हो सकते हैं),
- प्रबंधकीय, जो आर्थिक विकास के लिए खतरों को कम करने की दिशा में आर्थिक सुरक्षा को निर्देशित करना सुनिश्चित करता है (बाजार, तकनीकी, नवाचार, भौतिक और अन्य क्षेत्रों पर प्रबंधकीय प्रभाव के क्षेत्रों से संबंधित),
- कारक, औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारकों के वर्गीकरण के अनुसार और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में उद्यम के संचालन के लिए जोखिम और खतरों के प्रकार हैं (आर्थिक और कार्यात्मक प्रभाव, तकनीकी, पर्यावरण, राजनीतिक, वैश्वीकरण और अन्य प्रभाव)। (चित्र- 1):



चित्र 1. एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए घटकों और आवश्यकताओं को अलग करने के दृष्टिकोण

किसी उद्यम की आर्थिक सुरक्षा की दक्षता में प्रतिस्पर्धी माहौल में उद्यम के कामकाज के स्तर को प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सभी संसाधनों का उपयोग इतनी उत्पादकता से किया जाता है कि यह प्रतियोगियों की तुलना में उद्यम को अधिक लाभप्रदता प्रदान करता है। इस तरह की दक्षता में उद्यम द्वारा बनाए गए उत्पादों की लागत में न केवल लाभ प्रदान करना शामिल है, बल्कि नवीन, सूचनात्मक और अन्य तकनीकों का उपयोग भी शामिल है, जो कंपनी को मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने या उद्यम के संचालन के लिए अन्य खतरों को कवर करने में सक्षम बनाती हैं। एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ लाभप्रदता भी बढ़ जाती है। यह स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति वाले प्रतिस्पर्धी माहौल में उद्यम के कब्जे को दर्शाती है। यह और अन्य शर्तें स्थितियों में एक औद्योगिक उद्यम में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रतियोगिता की निम्नलिखित आवश्यकताओं को निर्धारित करती हैं—

- उद्यम की आर्थिक सुरक्षा के घटकों के लिए प्रणालीगत, रणनीतिक उपायों का गठन,



चित्र 2. प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा

- नवीन विकास और निवेश संसाधनों को आकर्षित करने की कीमत पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के निर्माण पर एक औद्योगिक उद्यम की नीतियों का विकास,
- बाजार पर उद्यम की प्रतिस्पर्धी स्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में उद्यम के जोखिमों और खतरों की निगरानी के लिए सूचना उपकरणों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग,
- निगरानी, जिसमें संसाधनों, उत्पादों, पूंजी, वित्तीय और मूल्य निर्धारण नीतियों, बाजार की स्थितियों, आय स्थिरता के लिए बाजारों का सामान्य विश्लेषण शामिल है। (चित्र 2)

इस प्रकार, औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यकताओं का पृथक्करण, आर्थिक सुरक्षा के घटकों के पृथक्करण के दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण और इसके लिए आवश्यकताएं औद्योगिक उद्यमों के प्रयासों की दिशा को उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की अनुमति देती हैं। प्रतिस्पर्धी स्थितियां, जिनमें शामिल हैं:

- लचीला मूल्य निर्धारण और टैरिफ नीति,
- निर्मित औद्योगिक उत्पादों की उच्च गुणवत्ता,

- बिक्री सेवा के बाद प्रणाली का गठन, जो उद्यम की छवि में सुधार करेगा,
- एक बिक्री अवसंरचना प्रणाली की स्थापना,
- नवीन तकनीकों का सक्रिय परिचय और नवीन उत्पादों के उत्पादन का समायोजन,
- निवेश आकर्षण में वृद्धि,
- उद्यम की बौद्धिक पूंजी का विकास और पूंजीकरण, सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था के कामकाज के सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना,
- एक औद्योगिक उद्यम की संगठनात्मक प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता,
- निर्दिष्ट मानकों और सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता के मानकों पर औद्योगिक उत्पादों की लागत को कम करने के लिए स्रोत खोजना,
- उत्पादों की मांग की उपस्थिति में उत्पादन क्षमता का विस्तार,
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रवेश,
- उद्यम में अचल संपत्तियों का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण,
- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का गठन,
- ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकियों, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए अन्य बाजार सहभागियों के साथ संयुक्त कार्य।

एक औद्योगिक उद्यम का संगठन, उल्लिखित दिशाओं को ध्यान में रखते हुए, उद्यम में आर्थिक सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन की जटिलता और इसकी उच्च दक्षता सुनिश्चित करेगा। बदले में, एक औद्योगिक उद्यम की आर्थिक सुरक्षा प्रणाली की दक्षता बाजार पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी।

निष्कर्ष— प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांतों के अध्ययन ने औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा प्रणाली के आवेदन के पैटर्न और बाजार की दुनिया में व्यवहार की प्रतिस्पर्धी विशेषताओं को निर्धारित करना संभव बना दिया। इस अध्ययन की वैज्ञानिक नवीनता, एक प्रतिस्पर्धी माहौल में औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांतों की पहचान करना है, जो एक व्यवस्थित दृष्टिकोण और औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अनुरोधों के समूह के आधार पर, आर्थिक सुरक्षा के घटकों को प्रमाणित करने के लिए दृष्टिकोणों की औपचारिकता है। आगे के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संचालन की स्थिरता, आर्थिक हितों की सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक उद्यमों की आर्थिक सुरक्षा के अनुकूलन को सही ठहराने के लिए पद्धतिगत उपकरणों की खोज की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. Arefi va, O., Tulchynska, S., Popelo, O., Arefi v, S., Tkachenko, T. (2021). The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21(7), 35-42.
2. Arefieva, O.V., Kuzenko, T.B. (2004). Planning of economic security of enterprises. Kyiv. Averichev, I.M. (2014). Functional-parametric model of economic security of water transport enterprises. Collection of scientific works of Donetsk National University. Economics and organization of management, 4(20), 14-19.

3. Denisenko, M.P. (2017). Priority areas for strengthening economic security. *Economy and State*, (3), 32–35.
4. Illiashenko, S.M. (2013). Components of economic security of the enterprise and approaches to its evaluation. *Actual problems of the economy*, (3), 13–19.
5. Ivchenko, E.A. (2018). Transformations of the economic security of the enterprise. Sumy: Published by SNU. V. Dahl.
6. Krutov, V.V. (2008). Formation and development of a non-state system of business security. Kyiv: Phoenix.
7. Lyaskovets, O.V. (2017). Theoretical and methodological bases of providing strategic management of economic security development of machine-building enterprises. *Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade*, (2(80)), 97-105.
8. Melikhova, T.O. (2018). Research of functional components of economic security of the enterprise. *Scientific notes of TNU named after V.I. Vernadsky. Series: Economics and Management*, 29(68)(1), 49–52.
9. Mizyuk, V.V., Murga, O.M. (2008). The effectiveness of aviation safety of the air transport enterprise and the analysis of the factors influencing it. *Problems of improving the efficiency of infrastructure*, 18, 2-8.
10. Popelo, O., Kychko, I., Tulchynska, S., Zhygalkevych, Zh., Treitiak, O. (2021). The Impact of Digitalization on the Forms Change of Employment and the Labor Market in the Context of the Information Economy Development. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(5), 160-167.
11. Popelo, O.V. (2014). Entrepreneurial clusters as an innovative dominant of modernization of the region 's economy. *Regional economy*, (2), 95–105.
12. Shkarlet, S.M. (2007). Economic security of an enterprise: an innovative aspect. Kyiv: NAU Publishing House.
13. Solosich, O., Popelo, O., Nusinova, O., Derhaliuk, M., Tulchynska, S. (2021). Ensuring economic security of regions as a potential-forming space in the conditions of intellectualization. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27(6), 1-8. DOI: 1528-2686- 27-6-617.
14. Tulchynskiyi R.V., Tulchynska, S.O., Ruzhytskyi, A.V. (2021). Strategies for enterprise competitiveness in conditions of macroeconomic instability. *Investments: practice and experience*, 6, 5-9.
15. Tulchynska, S., Solosich, O., Chornii, V. (2021). Influence of digitalization of management processes on the system of economic security of the enterprise. *Investments: practice and experience*, 9, 54-58.
16. Tulchynska, S., Vovk, O., Popelo, O., Saloid, S., Kostyunik, O. (2021). Innovation and investment strategies to intensify the potential modernization and to increase the competitiveness of microeconomic systems. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(6), 161-168.
17. Tulchynska, S.O., Solosich, O.S. (2020). Theoretical aspects of the relationship of individual elements of the conceptual and categorical apparatus of economic security of the enterprise. *Entrepreneurship development as a factor of national economy growth: materials of the XIX International scientific-practical conference* (p.75). Kyiv.
18. Vovk, O., Kovalchuk, A., Lukarzhevska-Mialyk, V. (2020). Management of transport company competitiveness in security directions. *Collection of scientific papers «LOGOS» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference* (Vol. 1, pp. 16-17). Amsterdam.
19. Yarova Y.O., Artemenko L.P. (2016). The structure of economic security of the enterprise in a crisis. *Economic Bulletin of NTUU "KPI"*, (13(39)), 257-263.

पण्डितताराचरणभट्टाचार्यविरचितस्य भारतवसुन्धरासान्त्वनगीतिकाव्यस्य सामाजिकं समीक्षणम्

राहुलमण्डलः

शोधच्छात्रः, साहित्यविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपति:

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 77-80

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांशः - समधर्मणां मानवानां समूहः समाजो भवति। मनुष्यः सर्वथा सामाजिको भवति। समाजं विना मानवसभ्यतायाः विकासः नैव सम्भवति। यस्य राष्ट्रस्य सामाजिकं जीवनं यथा समुन्नतं भवति, तद्ग्राह्यं तदनुसारं प्रगतिपथमवतरति। अतः समाजशास्त्रज्ञः सर्वथा समाजस्य हिताय सन्मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। कविपण्डिताश्च स्वीयरचनासु सामाजिकजीवनस्य समुन्नतये प्रवर्तयन्ति। तस्मात् साहित्यं सर्वथा अस्माकं समाजस्य दर्पणमिति कथ्यते। सहितानां शास्त्राणां समन्वयः साहित्ये दृश्यते। गीतिकाव्ये अपि सामाजिकार्थिकराजनीतिशास्त्राणामपि समन्वयोः भवतीति सारभूतं तत्त्वं भारतवसुन्धरासान्त्वनम् इति गीतिकाव्ये समग्रतया स्पष्टं भवति। अतः मया अत्र अस्मिन् गीतिकाव्ये विद्यमानं समाजतत्त्वं संक्षेपेण विलिख्यते।

विशेषशब्दाः - राष्ट्रभक्तिः, समाजस्य ऐतिह्यम्, गुरोः उपदेशः, वसुधैव कुटुम्बकम्, अहिंसा परमो धर्मः, देवपूजासंस्कृतिः, निर्माणकला इत्यादयः।

अद्यावधि संस्कृतसाहित्ये विरचितेषु काव्येषु कालानुरोधेन वयं सामाजिकं चित्रमवश्यं द्रष्टुं पारयामः। यतोहि काव्यं सर्वथा लोकव्यवहारज्ञानाय भवति। किञ्च "लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यतीति" ¹ भरतवचनादपि ज्ञायते यत् काव्यनाटकादीनि समाजसंस्काराय लोकोपदेशजननानि भवन्त्येव।

कवेः ताराचरणभट्टाचार्यमहोदयस्य एकमेव गीतिकाव्यमिदं 'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' अथवा 'भारतगीतिका' इति प्रसिद्धम्। अस्य काव्यस्य रचनार्थं प्रेरणा तेन बङ्ग-भङ्गविरुद्धे प्रवर्तिते राष्ट्रियान्दोलनसमये सम्प्राप्ता तदानीन्तनकवयः नागरिकेषु राष्ट्रप्रेमजागरणार्थं विविधैरुपायैः प्रयत्नं कृतवन्तः। राष्ट्रभक्तिमयानि गीतानि विरचितानि।

तत्र वङ्कमचन्द्रचट्टोपाध्यायमहोदयेन संस्कृतनिष्ठबङ्गभाषया लिखितं 'वन्दे मातरम्' इति राष्ट्रभक्तिगीतं भारतवर्षे सर्वत्र प्रचारितम्। हिन्दीभाषया मैथिलीशरणगुप्तेन रचितं 'भारतभारती' काव्यमपि राष्ट्रभक्तिसम्प्रेरकमभवत्। एवमेव बहूनां कवीनां विविधभाषासमलंकृतैः राष्ट्रभक्तिकाव्यैः प्रभावितः कविपण्डितः श्रीताराचरणभट्टाचार्यः 167 पद्यैः विरचितं स्वीयं काव्यसंग्रहं 'भारतगीतिका' इति नाम्ना प्रस्तुतवान्। परन्तु विद्वद्धिः सह विचार्य 'भारतवसुन्धरासान्त्वनम्' इति नामकरणमकरोत्।

1. नाट्यशास्त्रम्-1/115

अत्र भारतवसुन्धरायाः भौतिकं तथा आध्यात्मिकं सौन्दर्यं वर्णितमस्ति। सूक्ष्मैक्षिकया परिशीलनेनात्र भारतीयं सांस्कृतिकं सामाजिकं च वैभवं पाठकानां कृते प्रदत्तमस्तीति प्रतिभाति।

भारतभूमिः देवभूमिः - कवे भावनया भारतवसुन्धरा देवभूमिरिति प्रतीयते। विश्वभुवनवन्दितायाः भारतभूमेः हीरकमुकुट इव हिमालयः शोभते। भारतमहासागरः तुङ्गोज्ज्वलवीचिभिस्तदीयं चरणाम्बुजं चुम्बति। समुद्रमन्थनवृत्तान्तवर्णनेन देवभोग्यानामृतादीनामुद्भवस्थलं भारतवर्षमिति ध्वन्यते। नद-नदी-पर्वत-कानन-लता-कुसुम-राजिभिर्विराजिता भारतवसुन्धरा वसुधैव कुटुम्बकमिति वार्ता प्रसारयति।

महर्षिः वाल्मीकिः भगवतः मर्यादापुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य पुण्यकथां वर्णयन् 'रामादिवत् वर्तितव्यम् न तु रावणादिवत्'² इत्यादि काव्योपदेशप्रदानद्वारा समाजे रामराज्यप्रतिष्ठायाः सङ्केतं करोति।

रामचरितगीतपीयूषतरङ्गिणी सम्प्रत्यपि विश्वं पवित्रीकरोतीति कविः संसूचयति। एवमेव भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य चारुचरित्रचित्रणेन सामाजिकीं समरसतां प्रतिपादयितुं कविः प्रयतते।

महर्षेः बादरायणस्य वैदुष्यवर्णनेन -

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्।³

इति वार्ता प्रसारिता। अर्जुनं प्रति गीतोपदेशदानेन सामाजिकी वार्ता प्रसारिता। पितुः कृते पुत्रस्य भीष्मस्य त्यागः कविना लिखितः। यथा -

वासुदेवमपि विशिखं योऽधारयदारान्

नो दधार पितुरपि यः प्रीणनाय दारान् ।

शरशतमुखशयितोऽपि च विपुलान् पृथगभिधान्

धर्मान् किल धर्मसूनुमुपदिदेश विविधान् ॥⁴

भारतवर्षस्य सामाजिकजीवने सूत्रकाराणां महर्षिणां योगदानमतुलनीयं वर्तते। तैः प्रतिपादितानि शास्त्राणि सर्वदा जनान् सन्मार्गे प्रवर्तयन्ति। महाकवेः कालिदासस्य कविताकौशलवर्णनप्रसङ्गेऽपि समाजे दाम्पत्यप्रेमणः पराकाष्ठा यक्षमुखेन प्रतिपादिता।

समुद्रगुप्तप्रभृतीनां शासकानां स्मरणेन कविः भारतवसुन्धरायाः ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च महत्त्वं प्रकटीकृतवान् इति प्रतिभाति। भोजराजस्य दानशीलता सामाजिकमूल्यबोधं बोधयति। विविधपौराणिकसन्दर्भकथनपुरःसरं कविः दानपरायणानां महापुरुषाणां प्रसङ्गमवतारयति।

2. काव्यप्रकाशः, प्र. 3, पृ-6

3. सुभाषितसंग्रहः -4

4. भारतवसुन्धरासान्त्वनम्. श्लोक-2

भगवतः गौतमबुद्धस्य चरितवर्णनेन समाजे 'अहिंसा परमो धर्मः' इति वार्ता प्रसारिता। किञ्च 'कामनायाः विनाशे दुःखस्य विनाशः' इति जीवनरहस्यं समाजे प्रचारितम्। महाराजस्य अशोकस्य स्मरणेन प्रजारञ्जनानुकूलं सामाजिकं कार्यं राज्ञः परमं कर्तव्यमिति वार्ता स्वतः प्रसार्यते। विक्रमादित्यस्य वर्णनेन उज्जयिन्याः गौरवमपि सूचितमस्ति। बङ्गदेशशासकानां सेनवंशीयानां महिमावर्णनेन कविः स्वमातृभूमेः गौरवं प्रकटयितुं नैव विस्मरति। तदानीन्तनकवीनां कृतिषु सामाजिकी चेतना सर्वथा परिपूर्णति कवेरभिप्रायः।

तदानीं बङ्गदेशे यवनाक्रमणादिघटनावर्णनेन सामाजिकं चित्रमपि काव्येऽस्मिन् प्रतिफलितं भवति। पृथ्विराजस्य प्रतापः, शिवाजीमहाराजस्य विजयगाथा, विविधविदुषां पाण्डित्यम्, विविधविद्वानां भारतवर्षे महत्त्वम्, विविधस्थापत्यादिकलासम्पत्तिवर्णनद्वारा सामाजिकं चित्रं समाकलयितुं शक्यते।

समाजे देवपूजायाः मन्दिरनिर्माणसंस्कृतेश्च महत्त्वमपि सूचितम् । यथा -

उत्कलभुवि कलिङ्गेषु दक्षिणदिशि बहुधा
कति हरिहरगौरीरविमठाः सन्ति किं मुधा ?
कति शरदोऽतीत्य ते तु तव वक्षसि संस्थिताः
युरोपनिवासिनोऽपि वीक्ष्य सन्ति विस्मिताः॥⁵
गिरिकृत्रिमकन्दरेषु मन्दिराणि सुन्दरा-
ण्यन्धकारमुक्तानि च भान्ति सन्ति कन्धराः।
कान्तिमन्ति चित्राणि च सूक्ष्माणि च लसन्ति
के नु वीक्ष्य तानि तानि नासीदिति वदन्ति ॥⁶

समाजे मूर्तिनिर्माणकलायाः सूचना यथा -

मृन्मयीभिरुपलचारुदारुज्ज्वलमूर्तिभिः
धातुघटितमूर्तिभिश्च मुखनयनस्फूर्तिभिः।
प्राचामपि नवानाञ्च निर्मिताभिराभिः
क्षोदिताभिरपि धरणिर्व्याप्ता तव मा भीः॥⁷
दृषदिष्टककाष्ठेषु च विविधधातुपात्रे
स्वर्णरजतलेपः किल विमलसौधगात्रे ।
तवाद्यापि दीयतेऽन्न शिल्पिभिरपि सूनुभिः
तानि जननि दृश्यन्ते प्रोज्ज्वलन्ति भानुभिः ॥⁸

5. भा. सा. श्लो. - 150

6. भा. सा. श्लो. - 151

7. भा. सा. श्लो. - 156

8. भा. सा. श्लो. - 157

बाङ्गलादेशस्य ढाकानगरे निर्मितवस्त्राणां, काशीनगर्याः व्यजनानि, पट्टवस्त्राणि, स्वर्णसूत्ररचितवस्त्राणि, काश्मीरदेशनिर्मितानि शीतवस्त्राणि च वर्णयन् कविः भारतवर्षस्य सामाजिकप्रगतेः सूचनां कृतवान्।

काव्योपसंहारे गोब्राह्मणरक्षणाय संसारे भगवतः अवतारः इति सूचयन् महतीं सामाजिकीं चेतनां प्रचारयति। यथा –

गोब्राह्मणरक्षणाय भगवानवततार
ध्रियते ते ध्रुवमनेन नियतं गुरुभारः।
प्रवेशस्य जलधिस्त्वयि विस्तृतमपि द्वारं
तमवलोक्य सर्वेषामबाधजलविहारम्॥⁹

किञ्च काव्यान्ते भारतधरणी बहुविधविभवैरभिनन्दिता स्वसन्तानैश वन्दिता सती दुःखानुभवं नैव कुर्यादिति बोधयन् कविः पुत्रस्य मातुः कृते सान्त्वनमिति सामाजिकीं वार्तामपि प्रयच्छतीत्यलं पल्लवित्तेन। तद्यथा –

त्रिदशकोटिनन्दनैः सुवन्दिताभिनन्दिता
नन्दनवनमन्दारैरर्चिताऽस्थनिन्दिता ।
एतावति विभवे सति किं पुनर्नु खिद्यसे
भुवनेश्वरि ! जगतामवि शिरसि धरणि ! विद्यसे ॥¹⁰

अत्र भारतवसुन्धरायाः भौतिकं तथा आध्यात्मिकं सौन्दर्यं वर्णितमस्ति। सूक्ष्मैक्षिकया परिशीलनेनात्र भारतीयं सांस्कृतिकं सामाजिकं च वैभवं पाठकानां कृते प्रदत्तमस्तीति प्रतिभाति। सर्वेषां हृदये राष्ट्रभक्तिः राष्ट्रप्रीतिश्च उदेति। वयं भारतीयाः एकं भारतं श्रेष्ठभारतमिति आह्वानमस्ति। अतः वयम् एतस्य काव्यस्य अध्ययनद्वारा अस्माकं सामाजिकमानसिकीं शक्तिं वर्धयामः। भारतं विशालराष्ट्रम् अत्र विभिन्नाः भाषाः सन्ति। किन्तु अस्माकं लक्ष्यम् एकम्। अस्माकं तत्र भारतीयानां जीवनम् उन्नतमस्ति, इति कविः सान्त्वनां प्रददाति भारतमातुः प्रति। इयं भूमिः देवभूमिः अस्ति। अतः राष्ट्रभावना जागरिता भवति। अस्य काव्यस्य पठनेन वयं संस्कृतभारतं समर्थभारतम् इत्यस्य परिकल्पनां कर्तुं शक्नुमः। महापुरुषाणां जीवनचरितस्य अध्ययनेन वयं स्वच्छभारतस्य परिकल्पना कर्तुं शक्नुमः। सर्वे आदर्शमहापुरुषाणां जीवनचरितं कविना वर्णितम्। वयमपि उत्तमाः नागरिकाः भविष्यामः। राष्ट्रस्य हितं करिष्यामः इति बहुविधलाभाः सन्ति। एवञ्च गवेषकाणां कृतेऽपि समकालिकसाहित्यसमीक्षणार्थमपि उपादेया तथ्यानि सन्ति। कवयः एवं रूपेण आधुनिकानि काव्यानि अपि रचयन्तीति समकालिकरचनाक्षेत्रेऽपि अस्य काव्यस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति।

सहायकग्रन्थसूची –

1. काव्यप्रकाशः – मम्मटाचार्यः, विमलाकान्तमुखोपाध्यायः (व्याख्याकारः, प्रथमप्रकाशः, कोलकाता, संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, 1417।
2. नाट्यशास्त्रम् – भरतमुनिः, डॉ. हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1992।
3. भारतवसुन्धरासान्त्वनम् – श्रीताराचरणभट्टाचार्यः, सं. प्रो. शिवरामशर्मा, शारदा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2017।
4. महाभारतम् – व्यासमहर्षि, निर्णयसागर प्रकाशक, मुम्बई, 1992।
5. संस्कृतसाहित्येतिहासः – कृष्णदास अकादेमी वाराणसी, 1999।
6. संस्कृतनिबन्धसंग्रहः – डॉ. पूर्णिमा आचार्या, चौखम्बा संस्कृत भवन, वाराणसी, 2017।
7. संस्कृत लोकोक्ति कोश – डॉ. प्रीतिप्रभा गोयेल, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, प्रथमसंस्करण – 2011।

9. भा. सा. श्लो. - 161

10. भा. सा. श्लो. - 167

ग्रामीण समाज के पुरुषों और महिलाओं पर जनसंचार के माध्यमों का प्रभाव कविता कनौजिया

असि0 प्रो0 समाजशास्त्र विभाग, उपाधि महाविद्यालय, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 88-93

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

शोधसारांश—जनसंचार माध्यमों के परिप्रेक्ष्य में समाज में अब सम्प्रेषण के क्षेत्र में अध्ययन की प्रवृत्ति में तेजी आयी है। शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर जनसंचार माध्यमों का समाज के विभिन्न पक्ष सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक धार्मिक पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। जनसंचार के प्रयोग द्वारा ग्रामीण समाज वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से जुड़ रहा है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त होने से ग्रामीण लोग उन योजनाओं का आर्थिक लाभ उठा पा रहे हैं।

मुख्य शब्द— ग्रामीण, समाज, महिला, जनसंचार, माध्यम।

प्रस्तावना— जनसंचार समस्त मानवीय क्रियाओं का आधार है। संचार की प्रक्रिया सामाजिक व्यवस्था के सम्पूर्ण ढांचे में आन्तरिक रूप से इस प्रकार आबद्ध है कि इसके अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन और विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार स्थापित करने में सहायक होते हैं। प्रायः इसका अर्थ सम्मिलित रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र से लिया जाता है जो समाचार एवं विज्ञापन दोनों के प्रसारण के लिए प्रयुक्त होते हैं। नाट्य, संगीत, भजन, कीर्तन, धर्मोपदेश, आदि के द्वारा भी जनसंपर्क किया जाता है। ल्यूशन पाई ने संचार को मानव समाज का तानाबाना कहा है जो मानवीय अन्तः क्रियाओं का आधार होने के साथ-साथ सामाजिक विकास की गति एवं दिशा को भी निर्धारित करता है।

जनसंचार शब्द का प्रयोग ऐसे संचार हेतु किया जाता है जो कि श्रोताओं तक

सूचनाओं एवं संदेश एक साथ विस्तृत क्षेत्र में पहुँचाने की क्षमता रखता है।

जनसंचार अपेक्षाकृत बड़े, विविध, जातीय और अपरिचित श्रोता समूह की ओर लक्षित होता है। इसी कारण आधुनिक औद्योगिक समाजों में व्यापक जनमत को प्रभावित या परिवर्तित करने के उद्देश्य से प्रचारको द्वारा सामूहिक जनसंचार साधनों का प्रयोग किया जाता है।

सामान्य रूप में सूचना देने वाला, सूचना देने से पूर्व विषय को अपने तरीके से परिवर्तित करता है। जिसे संकेतन **Encoding** कहा जाता है। इसी प्रकार सूचना ग्रहण करने वाला त्मबपअमत सूचना ग्रहण करने से पूर्व अपने तरीके से सूचना को समझता है फिर ग्रहण करता है उसे विसंकेतन **Decoding** कहते हैं। इस प्रकार सूचना या विचार उचित संचार माध्यम के द्वारा सूचना वाहक से श्रोता तक पहुँचता है इसे प्रदर्शित किया जा सकता है।

विचार Idea	सूचना देने वाला Sender	संकेतन Encoding	संचार माध्यम Channal	विसंकेतन Decoding	सूचना ग्रहण करने वाला Reciver	विचार Idea
---------------	------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------

जनसंचार माध्यम

परम्परागत माध्यमः- मानव प्राचीन समय से अपनी भावनाएँ, संदेश को व्यक्त करने के लिए परम्परा से चले आये जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करता रहा है। परम्परागत माध्यमों में काल के अनुरूप परिवर्तन दिखाई देते आये हैं। किन्तु ये सभी परम्परागत जनसंचार माध्यम कुछ सीमा तक वर्तमान समय में भी प्रभावी दिखाई देते हैं।

1. **लोककलाएँः-** चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, हस्तकला।
2. **लोकनृत्यः-** कठपुतली नृत्य, समूह नृत्य, विवाह आदि अवसर पर किये गये नृत्य।
3. **लोकगीतः-** विभिन्न क्षेत्रों के परम्परागत गीत, जन्म, मुण्डन, विवाह, जन्मदिवस, और त्यौहारों के अवसर पर गाये जाने वाले गीत।
4. **लोकनाट्यः-** नौटंकी, तमाशा, भवई, रास, जात्रा, अंकिया, नाटक आदि।
5. **लिखित स्वरूपः-** ताम्रपत्र, शिलालेख, कला, पत्रक।
6. **लोक गाथाएँः-** प्रशस्ति परक काव्य, तथा शौर्य गाथाएँ।
7. **सामाजिक तथा धार्मिक पर्व :-** उत्सव, त्यौहार, मेले, प्रदर्शनियों, कीर्तन आदि।
8. **धार्मिक आयोजनः-** मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, और आश्रमों में होने वाले धार्मिक उत्सवों के अवसर पर लोग भारी संख्या में एकत्रित होते हैं तथा संचाद करते हैं।

आधुनिक माध्यमः- मनुष्य सदैव प्रगति के मार्ग पर चलना उचित मानता रहा है इसके फलस्वरूप जनसंचार के क्षेत्र में मनुष्य ने प्रगति की है और नित नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विश्व के किसी कोने में घटित घटना की जानकारी हमें जनसंचार माध्यमों द्वारा प्राप्त होती है।

1. **दूरदर्शनः-** दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। रेडियो पर केवल समाचारों को सुना ही जा सकता है किन्तु दूरदर्शन के आने से विश्व में घटित किसी भी घटना का सीधा प्रसारण तरंगों के द्वारा देखा व सुना जा सकता है।
2. **फिल्में :-** फिल्में दृश्य श्रव्य साधन का प्रभावी माध्यम है। फिल्मों में पात्र जो अभिनय करते हैं। उन्हें देखने सुनने से व्यक्ति उनसे जुड़ जाता है और इन्हीं की छवि के अनुरूप कार्य करने की इच्छा रखता है। फिल्में समाज को आइना दिखाती हैं। फिल्म की कहानी में सामाजिक समस्याओं देशभक्ति, मानवता, मित्रता, और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाई जाती हैं। जिससे जनसंचार का कार्य होता है।
3. **समाचार पत्र पत्रिकाएँ :-** समाचार पत्र, पत्रिकाओं, का इतिहास अन्य संचार माध्यमों से कहीं अधिक पुराना है। आज भी विश्व की अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएँ इन पत्र पत्रिकाओं के रूप में इतिहास का जीवन्त दस्तावेज बन चुकी हैं। इसकी पहुँच समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरल और कम खर्चीली है।
4. **कम्प्यूटर :-** वर्तमान समय में कम्प्यूटर ने संचार के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। शायद ही समाज का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ कम्प्यूटर की अनिवार्यता न हो। वैज्ञानिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, अन्तरिक्ष विज्ञान में, पर्यावरण क्षेत्र, संचार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है।
5. **इण्टरनेटः-** कम्प्यूटर तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन इण्टरनेट है। तब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इण्टरनेट ने सूचना के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति उत्पन्न कर दी है। इण्टरनेट का आरम्भ और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय विकास अकादमी द्वारा सन् 1990 में किया गया। कई कम्प्यूटरों को जोड़ने का काम इण्टरनेट द्वारा होता है। इण्टरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में अपने संदेश के क्षण भर में भेज सकते हैं। इण्टरनेट ने सम्पूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है।

6. विज्ञापन:— वर्तमान समय में बाजार में आने वाली प्रत्येक वस्तु और सेवा को सम्मोहक जानकारी देने का एक ठोस माध्यम विज्ञापन है। विज्ञापन जहां समाचार माध्यमों के लिए राजस्व जुटाने का काम करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ विज्ञापनों द्वारा दर्शकों का मनोरंजन भी होता है। विशेषतः बच्चे इन विज्ञापनों से अधिक प्रभावित होते हैं।

7. सोशल मीडिया:— सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप देश दुनिया के अनेक व्यक्तियों से ऑनलाइन तकनीक में माध्यम जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया न्यूज, व्यूज, सूचना, मनोरंजन, मार्केटिंग, एवं प्रमोशन का सुलभ उपकरण है। फोटो शेयरिंग, ब्लॉगिंग, सोशल गेमिंग, सोशल नेटवर्क, वीडियो शेयरिंग, बिजनेस नेटवर्क, वर्चुअल वर्ल्ड, रिव्यू आदि सोशल मीडिया के अन्तर्गत ही आते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंकडइन, ट्विटर, वाट्स-एप, पिनटरेस्ट, स्नैपचैट, सोशल मीडिया के उदाहरण हैं।

भारत में डिजिटल क्रांति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने समाज के लगभग सम्पूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया है। वर्तमान सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ शासन प्रणाली से लेकर उत्तम स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं में डिजिटलीकरण कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन देन नौकरशाही में पारदर्शिता कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष और तेजी से क्रियान्वयन दिखाई दिये हैं। नगरीय समाज के लोग तो डिजिटल क्रांति के आगमन से जनसंचार के साधन इण्टरनेट मोबाइल टैबलेट आदि का पूरा लाभ उठा रहे हैं हमारे अध्ययन का उद्देश्य यह है कि हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में यह जानने का प्रयास करें कि जनसंचार माध्यमों का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या ग्रामीण समाज के लोग संचार साधनों का लाभ उठा पा रहे हैं क्या ग्रामीण लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ पा रहे हैं यह सब जानने की आवश्यकता है क्योंकि भारत एक ग्रामीण समाज है यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है इसलिए ग्रामीण समाज पर जनसंचार माध्यमों की प्रभाविकता को जानना अति आवश्यक है।

वर्तमान युग में आज जब वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण नगरीय समाज के लोग जनसंचार साधनों के प्रयोग द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, आर्थिक आदान-प्रदान कर रहे हैं। बैंकिंग, डिजिटल लेन-देन, व्यापार, आदि के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तथा अधिकतम उत्पादन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार नगरीय समाज के लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठा रहे हैं क्या उसी प्रकार ग्रामीण समाज के लोग भी जनसंचार माध्यमों के प्रयोग द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठा पा रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति कर पा रहे हैं या नहीं क्या ग्रामीण पुरुष और महिलाएं समान रूप से उसका लाभ उठा पा रहे हैं।

वर्तमान प्रगतिशील युग में शोध का महत्व सतत रूप से बढ़ता जा रहा है किसी भी शोध विषय के अध्ययन का महत्व उससे जुड़े हुये पक्षों के संदर्भ में होता है ताकि उन्हें गहन रूप में समझा जा सके। प्रस्तुत शोध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंचार साधनों का सामाजिक जीवन प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जनसंचार साधनों के प्रयोग द्वारा ग्रामीण समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जायेगा, ग्रामीण समाज के लोगों को वैश्वीकरण की अवधारणा की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज के लोग वैश्वीकरण की प्रक्रिया से स्वयं को जोड़ पायेंगे।

वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। जनसंचार माध्यम सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और जनसंचार साधनों ने सभी वर्गों को प्रभावित किया है। जनसंचार एक प्रवाहमयी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं नित्यप्रति प्रवाहित होती रहती हैं। वर्तमान समय में जनसंचार साधनों ने ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु संचार साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज ग्रामीण समाज के पुरुषों और महिलाओं में भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जागरूकता के कारण परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं।

- 1. पाठक शिवानी के अनुसार (2005)** वर्तमान में जनसंचार माध्यम समाज के परिवर्तन का उपकरण बन गया है यह प्रत्येक सामाजिक नियोजन का हिस्सा है जनसंचार मात्र आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक तत्वों को ही प्रभावित नहीं करता वरन् यह सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक जीवन को विकसित एवं क्रियाशील करता है।
- 2. मिश्र अजय कुमार के अनुसार (2013)** शोधकार्य में ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया। सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययनों के तहत ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाया गया है। कृषि सम्बंधी क्रांतियों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में

सूचना स्रोतों की भूमिका एवं ग्रामीण महिलाओं के आचार, व्यवहार, हार-श्रृंगार, हाव भाव, बोलचाल आदि सभी में व्यापक परिवर्तन आया है।

3. **के0 स्वाती (2018)** महिला सशक्तिरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका प्रस्तुत लेख में संचार क्रांति आने से गाँवों में रोजगार के संसाधन बढ़े हैं तथा महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। महिलाएं मोबाइल रखना चाहती हैं। गाँव में संचार सुविधाएं आने के बाद और कई तरह की सुविधाओं को चार चोंद लग गये हैं। अब गाँवों में जगह-जगह पर साइबर कैफे खुल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं भी अब कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की जानकारी प्राप्त कर रही हैं जिससे एक ओर उनका ज्ञान बढ़ रहा है और दूसरी ओर रोजगार मिल रहा है।
4. **पाण्डेय मनीशा (2000)** ने अपने शोध में ग्रामीण रूपान्तरण में जनसंचार माध्यमों की प्रभाविकता ग्रामीण समुदाय में प्रचलित संचार के परम्परागत साधनों के स्थायित्व और निरन्तरता तथा सूचना सम्प्रेषण के नवीन साधनों के प्रभाव का अध्ययन किया जिसमें परम्परागत साधनों, लोकगीत, नाँटकी, कठपुतली खेल, मदारी, जादूगर आदि को ग्रामीण मनोरंजन का सस्ता व सुलभ साधन मानते हैं। नवीन माध्यम टी.वी, रेडियो, इंटरनेट नवीन जानकारी प्रदान करने का प्रभावी माध्यम है। सूचना सम्प्रेषण में क्षेत्र के सरकारी अधिकारियों की भूमिका का अध्ययन करते हुए यह विदित होता है कि ये सभी सूचना सम्प्रेषण के क्षेत्र में सामान्य भूमिका निभाते हैं। सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ ग्रामीण निर्बल बल को यथेष्ट मात्रा में नहीं पहुंच पाता है अज्ञानता और गुटबन्दी को भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की असफलता का प्रमुख कारण माना है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ बहुधा उच्च जाति के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया जाता है।
5. **राजगढ़िया विष्णु 2008** ने अपनी पुस्तक 'जनसंचार सिद्धान्त और अनुप्रयोग' में सूचना क्रांति के विभिन्न रूपों तथा तकनीक में नित्य विकास ने संचार के क्षेत्र में नये नये आयाम जोड़े हैं – प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संचार के सम्भावनाओं को बताया है। मार्क्सवादी विचारकों ने भी जनसंचार से जुड़े विविध पहलुओं पर गंभीर चिंतन किया है। जनसंचार के तत्काल प्रभाव तथा दीर्घकालीन प्रभाव की कल्टिवेशन थ्योरी की भी बात की गई है।
6. **शर्मा संध्या 2016** ने आधुनिक संचार माध्यमों का ग्रामीण जीवन पर कारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है। रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, टेलीग्राफ, फ़ैक्स, ई मेल, कम्प्यूटर, मोबाइल आदि संचार माध्यम ग्रामीण समाज पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी कृषि आदि संबन्धी समस्याओं का हल इंटरनेट पर सुगमता से प्राप्त हो जाता है। ग्रामीण जनता इसका भरपूर उपयोग कर रही है। ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्राप्ति जागरूकता आई है जनसंचार के युग में नई तकनीक ने सूचना पाने के कई संसाधनों को जन्म दिया है जिन्होंने ग्रामीण जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया है ग्रामीण लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है। शिक्षा को ग्रामीण समाज में महत्व दिया जाने लगा है। इंटरनेट के कारण कृषि कार्यो तथा विपणन में आसानी रहती है। इंटरनेट के कारण बैंकों की पहुंच गाँवों तक हो गयी है। गाँवों में भी युवाओं की संख्या का प्रतिशत अधिक हुआ है जो एम0 बैंकिंग, ई-टिकिटिंग, ई शॉपिंग, ई-रिजर्वेशन आदि का उपयोग कर समय बचाकर गाँवों में ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं किन्तु इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी कहीं न कहीं समस्या बनी हुई है।
7. **मिश्र कुमार विनोद 2020** ने बताया कि जनसंचार समाज में तीव्र परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है सामाजिक मूल्यों को भी बनाये रखने का दायित्व मीडिया पर है आपसी बातचीत, विचार विमर्श, वाद-प्रतिवाद के द्वारा नयी नयी मान्यताएं स्थापित की जा सकती हैं। संदेशों के आदान प्रदान से व्यापार कार्यशैली, मनोरंजन, खानपान, वेशभूषा, रहन सहन, जीवनशैली को तो प्रभावित किया है परन्तु जनसंचार माध्यमों को सामाजिक सरोकारों में भी अपनी सुदृढ़ सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना बाकी है। लोकतंत्र मतदान अधिकार, स्त्रीशिक्षा प्रसार, महिला जागरूकता, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति अंधविश्वासों कुप्रथाओं का उन्मूलन, अधिकारों का संरक्षण जैसे नवीन विचारों को स्थापित करने का काम जनसंचार ने किया है। जनसंचार साधनों ने अपनी महत्ता को सबसे परिचित करवा दिया है इसने एक नयी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया है आम जनता को जागरूक किया है तथा सामाजिक चेतना का प्रसार किया है। संचार क्रांति आज सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गयी है।

- 8. कुरुक्षेत्र 2016** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल के माध्यम से गाँव के प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इंटरनेट और तकनीक का विस्तार सभी दिशाओं में तेजी से फैला है आधुनिक तकनीक और डाटा प्रबंधन ने सरकार और नागरिकों के बीच अंतर को पाटा है। इसका सीधा असर नागरिक सहभागिता और जागरूकता पर पड़ता है जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मोबाइल हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा बन गया है इसने हमारे सोचने, काम करने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने, बातचीत करने और जीवनशैली में बहुत परिवर्तन ला दिया है। वर्तमान समय में शासकीय व अशासकीय प्रत्येक कार्य सीधे मोबाइल के माध्यम से जोड़ा गया है। इस पत्रिका में डिजिटल इंडिया एक क्रांति जो बिना किसी सीमा को जाने पहचाने लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है।
- 9. राठौड़ हितेन्द्र सिंह 2010** ने अपनी पुस्तक 'जनसंचार साधन और ग्रामीण समुदाय' में बताया कि आज के समय में जनसंचार माध्यमों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। समाज में विकास प्रगति और परिवर्तन लाने के लिए जनसंचार माध्यम एक प्रभावी कारक है जनसंचार साधनों में प्रत्येक वर्ग को छुआ है। इस पुस्तक में ग्रामीण समाज को जनसंचार माध्यमों ने किस प्रकार प्रभावित किया है यह दर्शाया गया है इसमें गाँव की वास्तविक स्थिति और जनसंचार का प्रभाव दिखाई देता है। ग्रामीण समाज की समस्याओं को हल करने में सहायक है। ग्रामीण लोगों की सोचने समझने, विचार करने की शैली में भी परिवर्तन आया है। जनसंचार माध्यमों ने ग्रामीणों में शिक्षा के प्रति रुझान को बढ़ाया है।
- 10. कुमार डॉ सुबोध 2012** अपने अध्ययन में बताया कि जनसंचार माध्यम किसी भी समाज में सूचना प्रसार का महत्वपूर्ण साधन है यह सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने में हत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार को भारतीय दर्शन का अभिन्न भाग के रूप में दर्शाया गया है। संचार जातिव्यवस्था को तोड़ने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय समाज और संचार के आधुनिक साधन इंटरनेट, मोबाइल के उचित प्रयोग के लाभों के बारे में बताया है। जनसंचार माध्यमों के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों की प्रकार से प्रभाव दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में मीडिया सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। जागरूकता फैलाता है यंहा संचार की भारतीय अवधारणा को समझने का प्रयास किया गया है।
- 11. सिंह विजय कुमार 2007** ने शोध 'ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की भूमिका' अध्ययन से यह विदित है कि ग्रामीण कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीण जन की जागरूकता एवं ग्रहणता के क्षेत्र में जनसंचार की भूमिका सीमित मात्रा में प्रभावशाली रही है। ग्रामीण समाज में जातिगत भेदभाव, भूस्वामित्व का वर्चस्व गुटबन्दी कारक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के क्षेत्र में जितने अधिक प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करते हैं उतना कार्यक्रमों के सामान्य जनसंचार के अभिकरण नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त अशिक्षता, अज्ञानता के कारण जनसंचार माध्यमों का उपयोग अत्यन्त सीमित मात्रा में कर पाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग मुख्यतः मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। पारम्परिक जनसंचार माध्यमों का स्थान ग्रामीणों के अधिक निकट है क्योंकि यह उनकी भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ा रहता है।

निष्कर्ष – जनसंचार माध्यमों के परिप्रेक्ष्य में समाज में अब सम्प्रेषण के क्षेत्र में अध्ययन की प्रवृत्ति में तेजी आयी है। शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययनों और अनुभवों के आधार पर जनसंचार माध्यमों का समाज के विभिन्न पक्ष सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक धार्मिक पक्षों पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रस्तुत करने का कार्य किया है। जनसंचार के प्रयोग द्वारा ग्रामीण समाज वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से जुड़ रहा है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी प्राप्त होने से ग्रामीण लोग उन योजनाओं का आर्थिक लाभ उठा पा रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक, शिवानी (2005), ग्रामीण महिलाओं पर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव
2. मिश्र अजय कुमार (2013), ग्रामीण महिलाओं पर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव
3. के0 स्वाती (2018), महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, वाल्यूम 5
4. कुमार डॉ0 सुबोध (2012), जनसंचार और भारतीय समाज, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च खंड 1
5. मिश्र विनोद कुमार (2020), जनसंचार माध्यम एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च

6. शर्मा संध्या (2016), संचार माध्यमों से बदलता ग्रामीण जीवन, शब्द ब्रह्म पियर रिव्यूड रिफ्रीड रिसर्च जर्नल खंड 4
7. यादव राजेश कुमार (2017) ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की भूमिका
8. पांडेय मनीष (2000), ग्रामीण रूपान्तरण में जनसंचार माध्यमों की प्रभाविकता
9. राठौड़ हितेन्द्र कुमार (2010), जनसंचार साधन और ग्रामीण समुदाय, हिमांशु प्रकाशन
10. ओचेनी स्टीफन, नवाकोव सी बेसिल (2012), विज्ञान के समाजशास्त्र में अध्ययन
11. पाई ल्यूशन 1972, कम्यूनिकेशन एण्ड पालिटिकल डेवलपमेण्ट राधाकृष्णन प्रकाशन पृष्ठ 04
12. महाजन, धर्मवीर : राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1996, पृष्ठ 231
13. डॉ पाटनी मंजू, डॉ शर्मा ललिता : प्रसार शिक्षा एवं संचार, स्टार पब्लिकेशन पृष्ठ संख्या 146
14. आहूजा ,राम : भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या 286
15. अरोड़ा डॉ हरीश : जनसंचार, युवा साहित्य चेतना मंडल
16. यंग पी0 वी0 , साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च , पेज नं0 96
17. राजगढ़िया विष्णु (2008), जनसंचार, सिद्धांत और अनुप्रयोग
18. कुरुक्षेत्र 2016, ' मोबाइल क्रान्ति ने दी ग्रामीण विकास को नई दिशा
19. सिंह, विजय कुमार : 2007 ग्रामीण विकास में संचार माध्यमों की भूमिका
20. Goode W J and Hatt P.K, Methods in social research, page 209
21. Ackoff , R. L. Design of Social Research, University of Chicago Press 1953
22. <https://hi.m.wikipedia.org>
23. <https://en.m.wikipedia.org>
24. www.census2011.co.in

हर्षचरितम् में धर्मशास्त्रीय अंश

रेखा जैसवार

शोधच्छात्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 94-97

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांश— इसमें बाणभट्टकृत हर्षचरित में उपलब्ध धर्मशास्त्र विषयक संदर्भ उपस्थित है। बाण ने हर्षचरित में धार्मिक एवं सामाजिक रूपरेखा को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने यज्ञ, दान, महापातक एवं विवाह संस्कार आदि प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक विषयक ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के बल पर ऊपर उठकर जो पूर्ण सत्य, आप्तकार्यता अमृतत्व और परम शान्ति की अनुभूति होती है।

मुख्य शब्द— यज्ञ, षड्ग्रहति, अग्नि, महापादक, स्कन्द, हवन, प्रायश्चित, इन्द्राणी।

मनुष्य तथा समाज की उन्नति के निमित्त हिन्दू शास्त्रकारों ने जिन आदर्शों का विधान किया है उनमें 'धर्म' का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य के चार पुरुषार्थों में धर्म अन्यतम है। धर्म मनुष्य तथा समाज के बीच सम्बन्धों की व्याख्या करता है, उन्हें नियमित बनाता है तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नियंत्रित भी करता है। धर्म शब्द मूलतः 'धृ' धातु से निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'धारण करना' अथवा अस्तित्व बनाये रखना। यह वह तत्त्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। वह सामाजिक व्यवस्था का नियामक है। महाभारत में कहा गया है कि 'धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है तथा सृष्टि का अस्तित्व बनाये रखता है।^प इसी में आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिये की गयी है, जिसमें सभी प्राणियों का हित होता है वही धर्म है।^{पप} वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है वह धर्म है।^{पपप}

महाकवि बाणभट्ट धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। हर्षचरित में जगह-जगह धर्मशास्त्र सम्बन्धी अनेक प्रसंग उपलब्ध होते हैं। धर्म के तीन स्कन्ध माने गये हैं— यज्ञ, अध्ययन तथा दान। इन तीनों स्कन्धों का विवरण हर्षचरित आख्यायिका में प्राप्त होते हैं। यज्ञ मनुष्य के आत्मिक उत्कर्ष के साथ ही साथ मानसिक शान्ति तथा विभिन्न प्रकार के महापातकों के शमन हेतु उपादान माने जाते हैं। न केवल राजा द्वारा यज्ञ करने का विधान था अपितु प्रजा द्वारा भी यज्ञ करने का प्रचलन था। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि पुण्यभूति के

शासन में निरन्तर होने वाले यज्ञीय धुओं से उत्पन्न अश्रुपात (निकलने वाले आँसुओं की धारा) से प्रक्षालित थे जैसे वर्णसंकर दोष मिट गया हो— **मखशिखिधूमजलधरधाराद्यौत इव ननाश वर्णसंकरः।**

हर्षचरित में षडाहुति होम की चर्चा मिलती है— **मन्दं मन्दं द्वारपालैः प्रणम्यमानैश्च दीयमानसर्वस्वम्, पूज्यमानकुलदेवतम् प्रारब्धामृतचरुपचनक्रियम्, क्रियमाणषडाहुतिहोमम्।^{पअ}**

जिसमें छह आहुतियों का प्रक्षेप होता है उसे षडाहुति होम कहते हैं। छह आहुतियाँ इस प्रकार हैं— (1) ओं देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसिस्वाहा (2) ओं मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा (3) ओं पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा (4) ओं आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा (5) ओं एनसोऽवयजनमसि स्वाहा (6) ओं यच्चैनो विश्वांश्चचार यद्वां विद्वांस्तस्य सर्वस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा।^अ हर्षचरित के टीकाकार शंकर के अनुसार छः बार अग्नि में आहुति डालकर जो होम किया जाता है, उसे षडाहुति होम कहते हैं।

बाण ने हर्षचरित में एक स्थान पर 'कोटिहोम' का उल्लेख किया है— **'स्थानस्थानेषु पवनबलकुटिलाभिः कोटिहोमधूमलेखाभिरुल्लसन्तीभिर्यममहिषविषाण कोटिभिरिवोल्लिख्यमानम्'^{अप}** कोटिहोम यह एक प्रकार का यज्ञ है। वराहमिहिर ने दिव्योत्पात के शमन करने के लिए इसके विधान का उल्लेख किया है—

दिव्यमपि शुभमुपैति प्रभूतकनकान्नगोमहीदानैः।

रुद्रायतने भूमौ गोदोहात् कोटिहोमाच्च।^{अपप}

बाण ने धर्मशास्त्र के तीसरे स्कन्ध 'दान' का वर्णन अनेक प्रसङ्गों में किया है। हर्ष का वर्णन करते हुये बाण लिखते हैं कि जिसका वक्षःस्थल जीवनपर्यन्त लिये हुए 'सर्वस्य महादान' कर देने के दीक्षाव्रत के वल्कल—वस्त्र सदृश दिखाई दे रहे मोतियों के हार के किरण—प्रकाश से आवृत हो रहा था।^{अपपप} एक अन्य स्थल पर 'महादान' पद की चर्चा आयी है— **महादानविधानकलकलाभिद्रुता इव प्राद्रवन्नुपद्रवाः।^{पप}**

बाण ने दान के साथ—साथ स्नानादि की भी मीमांसा हर्षचरित में की है। यह तथ्य सर्वविदित है कि समस्त धार्मिक क्रियायें व्यक्ति के स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद ही सम्पन्न की जाती है।

बाण ने एक स्थल पर 'अवमृथ स्नान' की चर्चा की है— **राजसर्गसमाप्त्यवमृथस्नान— दिवसमिव सर्वप्रजापतीनाम्।^प** नित्य—नैमित्तिक कर्मों के अन्तर्गत भोजनोपरान्त आचमन करने का उल्लेख हर्षचरित में हुआ है।

हर्षचरित के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि बाणभट्ट संस्कारों को विशेष महत्त्व देते थे। हर्षचरित में बाण ने स्वयं के वर्णन—प्रसंग में उल्लेख किया है कि मैं सोमपान करने वाले वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण हूँ। उचित समय पर मेरे उपनयन आदि संस्कार सम्पन्न किये गये हैं।

हर्षचरित में 'विवाह' संस्कार का भी उल्लेख मिलता है। हर्षचरित के चतुर्थ उच्छ्वास में बाण ने राज्यश्री के विवाह के प्रसंग में इन्द्राणी के पूजन की चर्चा की है— 'अशेषाशामुखाविभूतचारणपरम्परापूर्यमाणप्रकष्टो प्रतिष्ठाप्यमानेन्द्राणी दैवतम्।^{गप} विवाह पद्धतियों के शास्त्रीय ग्रन्थों के अनुसार विवाह में शची—पूजन का निर्देश दिया गया है— 'सम्पूज्य प्रार्थयित्वा तां शचीदेवीं गुणाश्रयाम्।

बाण राज्यश्री के विवाह—वेदी के प्रसंग में लिखते हैं कि वह विवाह—वेदी शमी के पल्लवों से मिश्रित खीलों से उद्भाषित हो रही थी— 'नूतनशूर्यार्पितश्यामलशमीपलाशमिश्रलाजजहासिनीं वेदीम्।^{गपप}

पाणिग्रहण संस्कार विवाह संस्कार का प्रमुख कृत्य है। यशोमती हर्ष से कहती हैं कि मैं धर्म से सदाचरण से धवल कुल में जन्म लिया है तथा नरेन्द्र श्रेष्ठ तुम्हारे पिता ने मेरा पाणिग्रहण किया है—'नरेन्द्रवृन्दारकेणगृहीतःपाणिः।^{गपपप}

हर्षचरित में बाण ने अग्नि—संस्कार का उल्लेख किया है^{गपअ} जिसे अन्त्येष्टि—संस्कार भी कहा जाता है। प्रथम पन्द्रह संस्कार ऐहिक जीवन को पवित्र और सुखी बनाने के लिये हैं जबकि यह अन्तिम मृतक संस्कार परलोक—सुख के लिए।

बाण ने हर्षचरित में 'महापातक' पद का वर्णन प्रभाकरवर्द्धन के रुग्णावस्था के प्रसंग में किया है—अग्निमयानिव जनितहृदयदाहान् विषमयानिव दत्तमूर्च्छावेगान् महापातकभयानिवोत्पादितघृणान्।^{गअ} पितृशोक के कारण विद्वल हर्ष के प्रसंग में महापातक का प्रयोग किया है। मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी तथा गुरुपत्नी गमन ये सभी महापातक कहे गये हैं। ब्रह्महत्या आदि करने वालों का संसर्ग भी महापातक है। हर्षचरित में चन्द्र द्वारा गुरु (बृहस्पति) की पत्नी के अपहरण का उल्लेख मिलता है—गुरुदारग्रहणमकार्षीत्।^{गअप} मनुस्मृति के अनुसार गुरुपत्नी का अपहरण कर उसके साथ सम्भोग करना 'महापातक' है।

हर्षचरित में 'प्रायश्चित' का भी उल्लेख मिलता है। बाण ने यशोमती को स्त्री जाति के प्रायश्चितों की शुद्धि जैसी बताया है। हर्षचरित में बाण ने यशोमती को पवित्र मनोवृत्तियों अथवा पवित्र आचरणों में धर्मशास्त्रमयी जैसी बताया है। तथा वह राजा (प्रभाकरवर्द्धन) के प्रेम, विश्वास, धर्म और सुख की भूमि थी— यशोमती नाम महादेवी प्राणानां प्रणयस्य विस्त्रम्भस्य धर्मस्य सुखस्य च भूमिरभूत्। धर्मशास्त्र के वचनानुसार पत्नी धर्माचरण का साधन है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी पत्नी को धर्माचरण का प्रमुख साधन माना गया है— अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः। महाभारत के अनुसार तो पत्नी ही त्रिवर्ग (धर्म अर्थ और काम) का मूल है।^{गअपप}

इस प्रकार हम देखते हैं कि बाण ने हर्षचरित में जगह—जगह धार्मिक प्रसंग का उल्लेख कर अपने धर्मशास्त्र—विषयक ज्ञान से पाठकों को परिचित कराने का पूर्णरूप से प्रयास किया है।

सन्दर्भ

- i धारणात् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः ।
यत्स्याद्धरण संयुक्तं स 'धर्म' इति निश्चयः ।।—महाभारत (कर्णपर्व)
- ii प्रभवार्थं च भूतानां धर्म प्रवचनं कृतम् ।.....महाभारत
- iii यतोऽभ्युदय निःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः ।—कणाद्, वैशेषिकदर्शन
- iv हर्षचरित— 5 / 457
- v हर्ष जीवानन्दकृत टीका— पृ० 472
- vi हर्षचरित—5 / 453
- vii बृहत्संहिता—46 / 6
- viii हर्षचरित—2 / 187
- ix हर्षचरित—3 / 263
- x हर्षचरित—2 / 189
- xi हर्षचरित—4 / 414
- xii हर्षचरित—4 / 435
- xiii हर्षचरित—5 / 503
- xiv हर्षचरित—5 / 516
- xv हर्षचरित—5 / 477
- xvi हर्षचरित—3 / 237
- xvii महाभारत आदि० 74 / 40

महिला उद्यमिता विकास में बैंकों की भूमिका : एक अध्ययन

दीपक कुमार राणा

सहायक प्राध्यापक ,अर्थशास्त्र ,टी.पी. कॉलेज,मधेपुरा

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 98-105

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

शोध सारांश - वर्तमान समय में भारत में आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से आर्थिक विकास का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है । व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में तीव्रगति से परिवर्तन होने लगा है जिसके कारण उद्यमिता का महत्वा भी बढ़ता जा रहा है। महिलाएं पारिवारिक , सामाजिक और शैक्षिक के साथ ही साथ आर्थिक क्षेत्र में भी कामयाब हो रही हैं। वह स्वयं घर से भी अपने कौशलों का उपयोग करके धनोपार्जन करके परिवार चला सकती हैं। महिलाएं अपने आस-पास की महिलाओं को संगठित कर नए रोजगार का सृजन कर सकती हैं। महिला उद्यमियों के समुचित प्रशिक्षण और प्रशासन द्वारा परिवारों का आर्थिक उन्नयन हो सकता है। इसलिए बैंको द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चला जा है। महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति योजना ,मुद्रा योजना जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक बैंक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं । इस अध्ययन का उद्देश्य महिला उद्यमियों के विकास में बैंकों द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का अध्ययन करना है । देश के संतुलित एवं सतत विकास के लिए महिला उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। महिलाओं का आर्थिक रूप से निर्भर होना न केवल परिवार एवं समाज बल्कि अंत में देश को मजबूत बनाता है।

मूल शब्द : महिला उद्यमिता ,बैंकिंग योजनाएँ , समस्याएँ ।

परिचय- आज की बदलती हुई परिस्थितियों में जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए न सिर्फ पुरुष ही प्रत्यनशील है, बल्कि नारी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाओं को योगदान केवल घर पर ही नहीं बल्कि कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, शिक्षा, लघु उद्योग आदि में भी सराहनीय है। महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ाती है। आज होटल, फैशन डिजाइन, ऑटोमोबाइल, टूर एंड ट्रेवल्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृषि एवं कुटीर उद्योग आदि क्षेत्रों में निरंतर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति से देश में महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक विकास हुआ है। महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय एवं उद्यम देश में रोजगार के अवसर पैदा करके, जनसांख्यिकीय बदलाव लाकर देश के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

महिला उद्यमिता की सामान्य विशेषताएं- कम आय वाली एवं छोटी सुविधाओं वाली महिलाओं के उद्यमी बनने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में कम या बिना शिक्षा और प्रशिक्षण वाली बड़ी संख्या में महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश करती

हैं। जबकि शहरी क्षेत्र में अधिकतर महिला उद्यमी शिक्षित एवं प्रशिक्षित होती हैं। कई महिलाएं आर्थिक आवश्यकता के कारण उद्यमी बन जाती हैं। महिलाओं की ईमानदारी और कड़ी मेहनत स्थिरता और विकास का कारण है। महिला उद्यमी विकास उन्मुख न होकर सुरक्षा उन्मुख होता है। ज्यादातर महिलाएं स्थिर आय और कम जोखिम पसंद करती हैं। महिलाओं के व्यावसायिक उद्यमों में कार्यशील पूंजी की कमी होती है, इससे कम लाभ मार्जिन होता है।

यद्यपि सन 1954 से महिला विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुए। किंतु सन् 1975 में 'अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। सन् 1991 में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में महिला उद्यमियों का प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने का कार्य तेजी से बढ़ा। देश की पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' पर विशेष बल दिया गया। वर्ष 2001 के 'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष' में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेतु महिला विकास की अनेक योजनाएं जारी की गईं। वर्तमान सरकार द्वारा विशिष्ट महिला उद्यमी योजनाओं के कारण भारतीय सामाजिक संरचना में महिला उद्यमियों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन होने के साथ ही, निरंतर विकास हो रहा है। हमारे देश में पुरुष क्षेत्र के सर्वाधिकार वाले उद्योग-व्यापार में भी कई महिला उद्यमियों जैसे- इंदिरा नुई, इंदु जैन, किरण मजूमदार, चंदा कोचर, नीलम धवन, ज्योति नायक, और रितु कुमार आदि ने नाम कमाया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं जो रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे सिंचाई परियोजना, सड़क एवं बांध निर्माण, पेयजल, आवास व्यवस्था, विद्युत परियोजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, लघु उद्योग, संचार क्रांति, वित्तीय संस्थाओं का गांव में प्रवेश, बढ़ते शहरीकरण आदि विकास मुलक परियोजनाएं रोजगार के अवसर में तेज गति से वृद्धि की है। जिससे आज ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ है एवं कृषि से जुड़े अन्य उद्योग भी लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के गांव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास इस गति को और तीव्र कर रहे हैं।

उद्देश्य -

1. महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न बैंकिंग योजनाएँ का अध्ययन करना।
2. उद्यमी महिलाओं के समस्याओं का अध्ययन करना।
3. वर्तमान अध्ययन के आधार पर सुझाव प्रदान करना।

शोध का आवश्यकता एवं महत्व - इस अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि बैंकों का महिला उद्यमिता विकास में क्या योगदान है। महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शोध प्राविधि - प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण रूप से वर्णात्मक प्रकृति का है एवं द्वितीय समंको पर आधारित है।

परिकल्पना- बैंकों द्वारा महिला उद्यमिता के विकास के लिए सकारात्मक कदम उठाया गया है।

महिला उद्यमिता विकास के लिए बैंकों द्वारा किया गया पहल- देश में अब कारोबार करना केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं रह गया है। महिला उद्यमियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। महिलाओं को बिजनेस के क्षेत्र में सशक्त बनाने में विभिन्न योजनाओं ऋण का भी योगदान है। बैंक द्वारा वर्तमान महिला उद्यमिता को गति एवं दिशा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के साथ ही महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। जिनका विवरण इस प्रकार है-

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर-

1. **अन्नपूर्णा योजना**-- खाद्य उद्योग में कार्य करने को इच्छुक महिलाओं को ' 50 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसका भुगतान महिलाएं अगले 36 माह में आसान किस्तों द्वारा कर सकती हैं। 'अन्नपूर्णा योजना' में भोजन के व्यापार आदि हेतु रसोई के बर्तन व अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. **स्त्री शक्ति योजना** - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर' द्वारा महिला उद्यमियों के लिए 50 लाख तक का ऋण कम व्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। यह राशी उन महिलाओं को दिया जाता है जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लिया हो।

भारतीय स्टेट बैंक

1. **स्त्री शक्ति योजना उद्योग**--जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी एवं मालिकाना हक हो, तो ऐसे उद्योगों को भारतीय स्टेट बैंक' (एसबीआई) द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसमें 2 लाख से अधिक ऋण पर ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

देना बैंक

1. **देना शक्ति योजना** - जो महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण क्षेत्र, खुदरा व्यापार, शिक्षा, सेवा क्षेत्र या अन्य छोटे-छोटे उद्यमों द्वारा व्यापार करना चाहती हैं ऐसी महिला उद्यमियों को देना बैंक द्वारा 50 हजार से 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

पंजाब एंड सिंध बैंक

1. **उद्योगिनी स्कीम** --- पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा आसान किस्तों और रियायती ब्याज दर पर 18 से 45 साल तक की महिला उद्यमियों को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। पारिवारिक आय की स्थिति अनुसार अनुसूचित जनजाति/ जनजाति की महिलाओं को 45 हजार तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

1. **सेंट कल्याणी स्कीम** - अपने उद्यम के विस्तारीकरण या पुनरुत्थान हेतु महिला उद्यमियों को 'सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया' द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन महिला उद्यमियों को बैंक द्वारा उपलब्ध ऋण हेतु कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं देना पड़ता। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, स्वरोजगार में संलग्न महिलाओं, कृषि एवं संबद्ध कार्यों, खुदरा व्यापार हेतु महिला उद्यमियों को बिना किसी सुरक्षा गारंटी के उद्योग लगाने हेतु बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

पंजाब नेशनल बैंक - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5 विभिन्न योजनाएँ अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख कर प्रदान कर रही है

1. **महिला उद्यम निधि स्कीम**--- इस योजना में महिला उद्यमियों को 10 वर्ष हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि महिलाएं ब्यूटी पार्लर खोलने, साइबर कैफे खोलने, ऑटो रिक्शा खरीदने, दुपहिया वाहन खरीद सकें। यह ऋण राशि 10 लाख तक की हो सकती है।

2. **पीएनबी महिला उद्यम निधि योजना** -इस योजना का उद्देश्य समानता में अंतर के अन्तराल को भरना छोटे -मोटे नया उद्योग खोलना अथवा वर्तमान उद्योग को विस्तार देने के लिए मदद करती है।

3. **शिशु सदन के लिए वित्त-** इस योजना का उद्देश्य जैसे महिलाओं की मदद करना जो शिशु सदन खोलना चाहती हैं। इस वित्त राशी का उपयोग आवश्यक सामग्री की खरीद या चालू खर्च पूरा करने के लिये किया जा सकता है।

4. **पीएनबी महिला सशक्तिकरण अभियान** – इस स्कीम के तहत उन महिला उद्यमियों को ऋण दिया जाता है जो गैर कृषि क्षेत्र में लघु एवं सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। इसमें बैंक द्वारा फ्रीस माफी के साथ कम व्याज दर ऋण पर दिया जाता है।

5. **पीएनबी कल्याणी कार्ड स्कीम** – इस योजना में उन सभी महिलाओं को ऋण दिया जाता है जो कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं।

ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स- ओरियंट महिला विकास योजना- महिला उद्यमियों को सहायता पहुंचाने हेतु ऋण दिया जाता है। किसी उद्यम में यदि 51 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी हो, तो वह ऋण हेतु आवेदन कर सकती हैं। लघु उद्योग हेतु 10 से 25 लाख तक का ऋण 7 वर्षों के लिए मिलता है तथा इस पर 2% ब्याज की छूट का प्रावधान है।

सिंडिकेट बैंक- सिंडिकेट बैंक महिला शक्ति योजना-- सिंडिकेट बैंक भी 10 वर्षों हेतु महिला उद्यमी को ऋण देता है। हालांकि यह बैंक भी किसी उद्यम में 50 प्रतिशत से अधिक मालिकाना हक वाले उद्यमी को ही ऋण देता है। महिला उद्यमियों को प्रगतिशील बनाने, उन्हें समर्थन देने हेतु, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नाटक बैंक- KBL महिला उद्योग ऋण- किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के लिए प्रदान किया जा सकता है जिससे आय प्राप्त होती है। यह ऋण विशेष रूप से महिलाओं को दिया जाता है और इस पर अधिकतम 10 लाख रु. तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है, जिसका भुगतान अधिकतम 10 साल तक कर सकती हैं। महिला उद्योग लोन उन महिला उद्यमियों को दिया जाता है, जहां किसी फर्म या कंपनी में शेयरहोल्डिंग और स्टेक कंट्रोल करने में उनकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी होती है।

भारतीय महिला बैंक - महिलाओं के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने साल 2013 में 'भारतीय महिला बैंक' का गठन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 19 नवंबर 2013 को 1,000 करोड़ रुपए पूंजी आवंटित कर बैंक का उद्घाटन किया था। उषा अनंत सुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की पहली और आखिरी प्रबंध निदेशक बनीं। बैंक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की बैंकिंग आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना और उनके विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया और उनके द्वारा ही संचालित इस बैंक में पुरुषों द्वारा राशि जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। बैंक का उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल वाले लोगों को प्रेरित करना, गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महिलाओं को छोटे-मोटे व्यवसायों में प्रशिक्षित करना और महिलाओं के बीच संपत्ति के स्वामित्व को बढ़ावा देना था।

भारतीय महिला बैंक द्वारा महिला उद्यमियों के लिए दो तरह के बिजनेस ऋण की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत श्रृंगार और अन्नपूर्णा ऋण की सुविधा शामिल है। भारतीय महिला बैंक, जो हाल ही में एसबीआई में विलय हुआ है।

1) **श्रृंगार ऋण** – बिजनेस ऋण के तहत श्रृंगार ऋण उन महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं। जिसके तहत ऋण राशि का भुगतान अधिकतम 7 वर्ष के भीतर किया जा सकता है।

2) **अन्नपूर्णा ऋण** – वहीं अन्नपूर्णा ऋण उन महिलाओं को दिया जाता है तो लंच बेचने या अपने फूड केटरिंग के बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हैं। इस ऋण का भुगतान तीन वर्षों के भीतर किया जा सकता है।

मुद्रा योजना- मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। योजना के तहत व्यक्तियों, स्टार्टअप, बिजनेस मालिकों को ऋण दिया जाता है। महिला उद्यमी भी इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। ऋण की राशि की मात्रा के आधार पर मुद्रा योजना को तीन

भाग में बांटा गया गया है। शिशु: रु. 50,000 तक की ऋण राशि, किशोर: रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक की ऋण राशि, तरुण: रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 10.00 लाख तक की ऋण राशि महिला उद्यमियों को मुद्रा लोन के ब्याज पर छूट का प्रावधान है। स्कीम के तहत मिलने वाला ऋण प्रतिभूति मुक्त होता है। यानी कोई सिक्क्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई केंद्र तथा ट्यूशन सेंटर आदि को खोलने के लिए 50 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत 70 फ्रीसदी लोन महिलाओं को दिया गया है। मुद्रा योजना ने महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। इसके तहत महिलाओं ने ऋण लेकर अपना रोजगार प्रारंभ किया और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए।

सिडबी- सिडबी महिला उद्यमी प्रतिभागियों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण और आंशिक क्रेडिट गारंटी के रूप में समर्थन का एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध करता है।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावे बैंक द्वारा पूरे देश में अनेक छोटे मोटे योजनाएँ महिलाओं में उद्यमिता के विकास के लिए प्रदान की जा रही है।

महिला उद्यमियों के लिए समस्याएँ- महिला उद्यमियों को कारोबार में अनेक समस्याएँ आती है। महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

1. वित्तीय बाधाएँ- उद्यमियों दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के फंड की जरूरत होती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण और अग्रिम प्राप्त करने के लिए, उन्हें प्रतिभूतियाँ बैंकों में जमा करना होता है। लेकिन आमतौर पर महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती है। ऐसी स्थिति में बैंक कर्ज देने मना कर देते हैं। तब महिला उद्यमी को अपनी बचत और अनोपचारिक स्रोतों से ऋण पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। फंड की मात्रा कम होने एवं महँगे होने से महिला उद्यम विफल होने की संभावना बढ़ जाती है।

2. महिला उद्यमियों पर कम विश्वास- महिलाओं द्वारा चलाये जाने वाले व्यावसाय लघु एवं सूक्ष्म प्रकार के होते हैं। बड़े उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होने के कारण व्यावसायिक बैंक कम विश्वास करते हैं। यहाँ तक की महिला बैंक भी महिलाओं को कम क्रेडिट योग्य मानते हैं। महिला उधारकर्ताओं पर व्यावसायिक बैंक कम विश्वास होने का दूसरा वजह यह भी है कि उन्हें लगता है वे किसी भी समय अपना व्यवसाय छोड़ सकती हैं।

3. बिचौलियों पर अधिक निर्भरता- महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के वितरण के लिए बड़े पैमाने पर बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये बिचौलिए अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। महिला उद्यमियों के लिए बिचौलियों को खत्म करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश और बहुत अधिक यात्रा की आवश्यकता होती है। महिला उद्यमियों को बाजार पर कब्जा करने और अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में मुश्किल होती है।

4. कड़ी प्रतिस्पर्धा- महिला उद्यमियों को संगठित उद्योगों और पुरुष उद्यमियों के उत्पादों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। प्रचार और विज्ञापन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए उनके पास संगठनात्मक ढांचा नहीं है। समाज की यह भावना है कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद गुणवत्ता में निम्न हैं क्योंकि वे स्वयं महिलाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इन कारकों से महिला उद्यमों का परिसमापन होगा।

5. उत्पादन की उच्च लागत- महिला उद्यमियों के सामने एक अन्य समस्या उत्पादन की उच्च लागत है। सरकारी अनुदान और सब्सिडी उन्हें इस कठिनाई से निपटने में मदद करती है, लेकिन ये अनुदान और सब्सिडी इसकी स्थापना के शुरुआती चरणों में ही उपलब्ध हैं। विस्तार और विविधीकरण गतिविधियों के लिए ये सहायता नगण्य होगी।

6 सीमित गतिशीलता- पुरुषों के विपरीत, भारत में महिलाओं की गतिशीलता विभिन्न कारणों से अत्यधिक सीमित है। शारीरिक रूप से वे बहुत अधिक यात्रा करने के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से और अकेले उद्यम चलाने वाली महिला को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं के प्रति अधिकारियों का अपमानजनक रवैया उन्हें उद्यम शुरू करने के विचार को छोड़ने के लिए मजबूर करता है।

7. शिक्षा का अभाव- भारत में लगभग 60% महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं। अशिक्षा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। शिक्षा की कमी के कारण महिलाएं व्यापार तकनीक और बाजार से अनभिज्ञ हैं। यह महिलाओं के बीच उपलब्धि प्रेरणा को भी कम करता है। इस प्रकार, शिक्षा की कमी महिलाओं के लिए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने और चलाने में समस्याएं पैदा करती है।

8. सामाजिक दृष्टिकोण- यह महिला उद्यमिता के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। महिलाओं में क्षमता होती है लेकिन व्यवहार में महिलाओं को 'अबला' माना जाता है। कठोर पुरुष प्रधान सामाजिक दृष्टिकोण उन्हें सफल और स्वतंत्र उद्यमी बनने से रोकते हैं।

महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान- उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि महिला उद्यमियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं-

1. अलग वित्त प्रभाग- महिला उद्यमियों को आसान और तैयार वित्त प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा अलग-अलग वित्त विभाग खोले जा सकते हैं। इन प्रभागों के माध्यम से वे महिला उद्यमियों को रियायती दरों पर वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रबंधन में महिलाओं की भागेदारी अधिक हो ।

2. सहकारी महिला विपणन समितियां- उत्पादों का विपणन महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वे सहकारी समितियां शुरू कर सकते हैं। ये समितियां महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों को एकत्र कर सकती हैं और बिचौलियों को खत्म कर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेच सकती हैं।

3. शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन- लोगों को उद्यमिता विकास, विभिन्न उत्पादों, उनकी विपणन सुविधाओं, प्रतिस्पर्धा आदि के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। महिलाओं के प्रति समाज के नकारात्मक रवैये को बदलना चाहिए।

4. प्रशिक्षण- उचित प्रशिक्षण देकर हम किसी व्यक्ति की प्रतिभा को विकसित कर उसे उद्यमी बना सकते हैं। इसके लिए सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए अलग-अलग डिवीजन स्थापित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण योजना इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि महिलाएं प्रशिक्षण सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

5. सरकार से सहायता:- केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नए उद्यम शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकारों को उन्हें ढांचागत सुविधाएं, कच्चा माल, कर छूट और रियायतें देनी चाहिए। सरकार महिला उद्यमियों को विशेष अनुदान और सब्सिडी भी दे सकती है। इसके लिए उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, सरकार और समाज के बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन और समर्थन की जरूरत है।

निष्कर्ष - महिलाओं के विकास के किये बैंकों द्वारा अनेकों योजनाएँ चलायी जा रही है जिसका उचित उपयोग कर अर्थव्यवस्थामें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन योजनाएँ से महिलाओं में उद्यमिता विकास कर उनके सर्वांगीन विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। समय समय पर इन योजनाओं का समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उचित समाधान हो सके और उनका लाभ महिलाओं को मिल सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ -

1. भारतीय अर्थव्यवस्था- रुद्रदत्त एवं सुन्दरम
2. <https://www.informise.com>
3. <https://www.sbi.co.in>
4. <https://www.pnbindia.in>
5. प्रतियोगिता दर्पण

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन

प्रो० रीता सिंह
शोध निर्देशक, शिक्षक-शिक्षा विभाग
तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

राजकुमार सिंह
शोधकर्ता (शिक्षाशास्त्र)
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

Article Info

Volume 4 Issue 3

Page Number : 106-113

Publication Issue :

May-June-2021

Article History

Accepted : 20 June 2021

Published : 30 June 2021

सारांश— शोध पत्र में कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन है। अध्ययनकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर अध्ययन कार्य में किया है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया है न्यादर्श के रूप में गोरखपुर जनपद के कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों का चयन करते हुए उसमें अध्ययनरत् 450 बालिकाओं (150 पिछड़ी जाति, 150 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 150 अल्पसंख्यक वर्ग) का चयन किया गया है। सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति सूचकांक अनुसंधानकर्ता द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक स्तरों पर स्वनिर्मित किया गया है जिसमें क्रमशः 20-20 कथनों का सम्मिलित किया गया है जो कि छात्राओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का विभिन्न बिन्दुओं पर मापन करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष प्राप्ति हेतु प्रतिशत, एनोवा (प्रसरण विधि) तथा क्रान्तिक अनुपात को आधार बनाया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि- सामाजिक-आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं में अन्तर है अर्थात् पिछड़ी जाति की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का मध्यमान अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की अपेक्षा उच्च है।

मुख्य शब्द— कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय, सामाजिक-आर्थिक स्तर, पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग, छात्राएँ, अन्तर।

प्रस्तावना— स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के अधिक प्रयास के लिए भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है कि- "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" संविधान की धारा 43 में यह स्पष्ट निर्देशित है कि 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। चाहे वह बालक या बालिका किसी भी जाति, धर्म की हो। परन्तु आज भी स्त्री पुरुष की

साक्षरता दर में अन्तर है। इस अन्तर के मुख्य कारणों में आर्थिक सामाजिक, धार्मिक कारणों के साथ साथ अभिभावकों की भी मुख्य भूमिका हैं। अभिभावकों की सोच, मनोवृत्ति भी बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधक बनी है। बालकों में अपने भविष्य को और बेटियों को दूसरे के घर जाना है, इस सोच के साथ वे बालक और बालिका में भेदभाव करते हैं।

ग्रामीण बालिकाएँ एवं गरीब बालिकाएँ पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों से शिक्षा के आलोक से वंचित रह जाती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1979-80 में “अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम” प्रारम्भ किया गया ताकि उन बच्चों को साक्षरता की दौड़ में समावेशित किया जा सके।

भारत-सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (1992) की स्थापना की। ‘ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड’ के अन्तर्गत 50 प्रतिशत महिलायें शिक्षा प्रदान करेगी।

‘खुशहाल बालिका भविष्य देश का’ नारा देखकर बालिकाओं के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। 1997 में ‘बालिका समृद्धि योजना’ प्रारम्भ हुआ। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 30 मार्च, 1993 को हुयी। इन सभी तथ्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अतीत में जहाँ उसका जीवन घर की चाहरदीवारी तक सम्बद्ध था एवं उसे स्तरहीन समझा जाता था निश्चय ही इसके मूल में पुरुष का अहं छिपा हुआ था।

सबको अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त कराने हेतु नवीं दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ चलायी जा रही है जैसे मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, कन्या विद्याधन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पोशाक वितरण, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना आदि। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन, निःशुल्क साइकिल आदि का वितरण किया जाता रहा है।

प्रायः देखा जाता है कि जिनका आर्थिक एवं सामाजिक स्तर निम्न होता है। उस परिवार में पोषित बालक की शिक्षालब्धि उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उच्च मध्य स्तर पर क्योंकि अर्थाभाव, रूढ़िवादी भावना तथा अशिक्षित परिवेश के कारण या तो वे इस ओर बढ़ते ही नहीं और यदि बढ़ते भी है तो ठीक से पढ़ नहीं पाते है। जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। इस स्तर पर उन्हें शैक्षिक सुविधाएँ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। एक तो स्वयं ही उसका कार्य सुचारु ढंग से नहीं चल पाता फिर ऊपर से अनियमितता तथा गैर पाबंदगी के कारण अध्यापक-अध्यापिकाओं की झिड़की तथा सहपाठियों के उपेक्षा भरे व्यंग उसे पढ़ाई छोड़ने पर ही विवश करता है। या फिर यदि उसे जबरदस्ती पढ़ाया जाता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता जिसका प्रभाव उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है।

उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि अच्छी रहती है। चाहे वे बालक हो या बालिकाएँ। इसके विपरीत निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर पर विषम परिस्थितियों, प्रतिकूल, वातावरण, सुविधाओं के अभाव तथा दूषित मार्ग दर्शन के कारण शैक्षिक उपलब्धि अच्छी नहीं रहती है। उच्च स्तर पर शैक्षिक उपलब्धि में अन्तर पाया जाता है। बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि प्रायः बालकों की अपेक्षा अच्छी होती है। कभी-कभी इसके विपरीत भी परिणाम होते है। उच्च स्तर पर बालक पैसे के बल पर तथा माता-पिता के आवश्यकता से अधिक लाड़-प्यार के कारण पढ़ने में मन नहीं लगाते पर बालिकाएँ इस स्तर पर पर्याप्त सुविधाएँ मिलने के कारण अच्छी शैक्षिक उपलब्धि अर्जित कर लेती है। कारण उनका क्षेत्र सीमित होता है। वे घर की चहार दीवारी में बन्द होने के कारण अपनी आर्थिक सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाती।

समस्या कथन— कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन।

अध्ययन का उद्देश्य— अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है—

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ—

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध-विधि— अध्ययनकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग कर अध्ययन कार्य में किया है।

जनसंख्या/समग्र— अध्ययन हेतु गोरखपुर मण्डल के अन्तर्गत कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् बालिकाओं को जनसंख्या के रूप में लिया गया है।

न्यादर्श— प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श का चयन साधारण यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा किया गया है न्यादर्श के रूप में गोरखपुर जनपद के कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों का चयन करते हुए उसमें अध्ययनरत् 450 बालिकाओं (150 पिछड़ी जाति, 150 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 150 अल्पसंख्यक वर्ग) का चयन किया गया है।

उपकरण-सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति सूचकांक : उपर्युक्त सूचकांक अनुसंधानकर्ता द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक स्तरों पर स्वनिर्मित किया गया है जिसमें क्रमशः 20-20 कथनों का सम्मिलित किया गया है जो कि छात्राओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का विभिन्न बिन्दुओं पर मापन करते हैं। इस सूचकांक के द्वारा बालिकाओं से उनके परिवार, आय के स्रोत इत्यादि के कथन पूछे गये हैं और इस प्रकार पूर्ण रूप से भरे हुए सूचकांक का निम्नलिखित रूप से फलांकन किया गया है। उत्तर की प्रभावगीता के सापेक्ष क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.....इत्यादि अंक प्रदान किये गये। प्रत्येक सामाजिक/आर्थिक स्तर सूचकांक पूर्णांक 60 निर्धारित किया गया है।

सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति सूचकांक के आधार पर बालिकाओं को निम्नलिखित तीन स्तरों में बाट दिया गया।

सामाजिक-आर्थिक स्तर प्राप्तांक	सामाजिक-आर्थिक स्तर
0-20	निम्न स्तर
21-40	मध्य स्तर
41-60	उच्च स्तर

प्रयुक्त सांख्यिकी विधियाँ : प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष प्राप्ति हेतु प्रतिशत, एनोवा (प्रसरण विधि) तथा क्रान्तिक अनुपात को आधार बनाया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

1. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का अध्ययन करना।
- H₁ कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सार्थक अन्तर है।
- H₀₁ कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।


तालिका-1

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक सूचकांक

सामाजिक-आर्थिक स्तर	सामाजिक-आर्थिक सूचकांक	बालिकाओं की संख्या					
		पिछड़ी जाति की बालिकाएँ	प्रतिशत (%)	अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाएँ	प्रतिशत (%)	अल्पसंख्यक बालिकाएँ	प्रतिशत (%)
उच्च	41 से ऊपर	55	36.67%	30	20.00%	32	21.33%
मध्य	22-40	55	36.67%	62	41.33%	54	36.00%
निम्न	0-21	40	26.66%	58	38.67%	64	42.67%
योग		150	100.00%	150	100.00%	150	100.00%

पिछड़ी जाति की बालिकाएँ 55 (36.67%) उच्च एवं 55 (36.67%) मध्यम सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाएँ 62 (41.33%) मध्यम एवं 58 (38.67%) निम्न

सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के अन्तर्गत तथा अल्पसंख्यक बालिकाएँ 54 (36.00%) मध्यम एवं 64 (42.67%) निम्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के अन्तर्गत पायी गयी। परिणामतः पिछड़ी जाति की बालिकाएँ उच्च एवं मध्य तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाएँ मध्य एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की पायी गयी।



आरेखीय चित्रण-4.30

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का आरेखीय चित्रण (प्रतिशत में)

तालिका-2

सामाजिक-आर्थिक स्तर के अन्तर का एफ-मान

स्रोत	स्वतंत्रांश (df)	वर्ग योग (SS)	माध्य वर्ग योग (MS)	एफ-मान (F-Value)
समूहों के मध्य (Between Groups)	2	2567.12	1283.56	9.01*
समूहों के अन्दर (Within Groups)	447	63651.77	142.40	
कुल	449	66218.89	1425.96	

*0.05 = 3.02 एवं 0.01 = 4.66 पर सार्थक


समूहों के मध्य (Between Groups) का वर्ग योग (SS) एवं माध्य वर्ग योग (MS) क्रमशः 2567.12 एवं 1283.56 तथा समूहों के अन्दर क्रमशः 63651.77 एवं 142.40 है। एफ-मान = (9.01) जो कि स्वतंत्रांश (df) = (2, 447) पर एफ-अनुपात के क्रान्तिक मान 0.05 एवं 0.01 पर 3.02 एवं 4.66 से अधिक है, जो दोनों स्तरों पर सूचक है। पूर्व निर्मित शून्य परिकल्पना (H_{01}) अस्वीकृत। परिणामतः सामाजिक-आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में तीनों प्रकार की बालिकाओं में विभिन्नता है।

तालिका 1.1

कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में अन्तर का क्रान्तिक-मान

क्र. सं.	जाति	N	M	σ_D	D	t-value
1.	पिछड़ी जाति	150	34.47	1.38	5.07	3.68*
	अनुसूचित जाति/जनजाति	150	29.40			
2.	पिछड़ी जाति	150	34.47	1.38	5.06	3.67*
	अल्पसंख्यक	150	29.41			
3.	अनुसूचित जाति/जनजाति	150	29.40	1.38	0.01	0.01
	अल्पसंख्यक	150	29.41			

तालिका 1.1 में क.गाँ.बा.आ. विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का मध्यमान क्रमशः 34.47, 29.40 एवं 29.41 है। पिछड़ी जाति बालिकाओं का अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के मध्य क्रान्तिक-मान क्रमशः 3.68 एवं 3.67 है जो 0.05 एवं 0.01 पर सार्थक है अतः पिछड़ी जाति बालिकाओं का अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में अन्तर है जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्य क्रान्तिक-मान 0.01 है जो कि 0.05 एवं 0.01 दोनों स्तरों पर असार्थक है। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर में अन्तर नहीं है।



आरेखीय चित्रण-2

क.गाँ.बा.आ. विद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्यमान

निष्कर्ष- परिकल्पनाओं के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये-

- ❖ पिछड़ी जाति की बालिकाएँ 36.67% उच्च एवं 36.67% मध्यम सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति की बालिकाएँ 41.33% मध्यम एवं 58 38.67% निम्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांक के अन्तर्गत तथा अल्पसंख्यक बालिकाएँ 36.00% मध्यम एवं 42.67% निम्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांक की है। निष्कर्षतः पिछड़ी जाति की बालिकाएँ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की अपेक्षा उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर है।
- ❖ सामाजिक-आर्थिक स्तर के सम्बन्ध में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं में अन्तर है अर्थात् पिछड़ी जाति की बालिकाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का मध्यमान अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं की अपेक्षा उच्च है।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्ता, प्राची (2018). अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा में सामाजिक बाधाओं का तुलनात्मक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम-3, इश्यू-2, पृ० 367-368
2. झाझडिया, मनोज (2015). सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुण्ठा का अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड साइंस रिसर्च रिव्यू, वॉल्यूम-2, इश्यू-1, पृ० 64-69
3. फ्रैंकी, दीपा एवं चामुण्डेश्वरी, एस. (2014). साइको-सोशल कोरिलेट्स ऑफ ऐकेडमिक एचिवमेन्ट ऑफ स्टूडेन्ट्स, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैरेन्ट रिसर्च एण्ड ऐकेडमिक रिव्यू, वॉल्यूम-2, नं० 2, पृ० 148-158
4. मिश्रा, विजय लक्ष्मी (2017). अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का तुलनात्मक अध्ययन, पैरियाडिक रिसर्च, वॉ० 6, इश्यू-2, पृ० 83-87
5. यादव, नरेन्द्र कुमार सिंह (2000). अनुसूचित जाति के सन्दर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति : एक अध्ययन, शोध प्रबन्ध (शिक्षाशास्त्र), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
6. राजपूत, प्राची एवं सिंह, देवेन्द्र (2016). माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि व समायोजन पर पड़ने वाले प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, नार्थ एशियन इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस – ह्युमिनिट्ज, वॉल्यूम-2, इश्यू-5।

ज्ञानशौर्यम्



Publisher

Technoscience Academy

(The International open Access Publisher)

Website : www.technoscienceacademy.com